Tuesday, 04 April, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated On 8.2.89
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16 मंगलवार 4 अप्रैल, 1972/15 चैत्र, 1894 (शक)

No. 16, Tuesday, April 4, 1972/Chaitra 15, 1894 (Saka)

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
242.	गुजरात में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills in Gujarat	1-2
243.	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार	Trade Arrangement with Yugoslavia	3
244.	कंट्रोल के कपड़े के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में औद्योगिक लागत ब्यूरो की सिफारिशें	Recommendations of Bureau of Industrial Costs regarding revision of Prises of Controlled Cloth	4-5
247.	विदेशों में रेलवे के लिए परामर्श सेवा	Consultancy Service for Railways in Foreign Countries	5-7
248.	मनासा (जिला मंदसौर) में एक रेलवे आउट एजेंसी की स्थापना	Setting up of a Railway out-Agency at Manasa (District Mandsaur)	7-8
251.	गुजरात राज्य को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई	Additional Power Supply to Gujarat State	8-10
253.	वेगनों की मामूली मरम्मत न किये जाने के कारण उनको चलाया न जाना	Wegons held up for minor repairs	10-13
255.	बिजली की कमी	Shortage of Power	13-17
256.	छोटे व्यापारियों को आयात लाइसेंस	Import Licence to Small Traders	17-19

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० सख्या

S. Q. Nos.

257.	मख्य मार्गों (ट्रंक रूट) पर चलने वाली रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयन डिब्बों की व्यवस्था	Second Class Sleeper Coaches on Trunk Route Trains	19-20

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

241.	दिल्ली जंकशन पर कश्मीर मेल में पाये गये विस्फोटकों के बारे में जांच	Investigation re. Explosive found in Kashmir Mail at Delhi Main Station	20
245.	सोवियत संघ और यूरोपीय देशों को तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco to Soviet Union and European Countries	20-21
246.	उत्तर रेलवे में क्रय अधिकारियों का कार्यकाल	Tenure of Purchase Officers (Northern Railway)	21
249.	दक्षिण गुजरात को कोयले के वैगनों की सप्लाई	Supply of Coal Wagons to South Gujarat	21-22
250.	सरकार द्वारा कपड़े का निर्यात व्यापार अपने हाथ में लेना	Take over of Textile Exports	22
252.	चमड़े के जूतों और चप्पलों का निर्यात बढ़ाने के लिये उपाय	Steps to promote Exports of Leather Shoes and Chappals	22-23
254.	पाकिस्तान के साथ परोक्ष रूप से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध	Ban on Indirect Trade with Pakistan	23-24
258.	कमला नदी तटबांध का बढ़ाया जाना	Extension of Kamala River Embankments	24
259.	हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा पैरिस में चलाई जा रही 'सोना शाप'	'Sona Shop' in Paris run by Handloom and Handicrafts Export Corporation	24-25
260.	साँता क्रूज बम्बई में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone at Santa Cruz, Bombay	25

विषय		Subject	पृष्ठ/Pagas
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			

1807.	पालामाऊ (बिहार) में विद्युत संयत्र लगाना	Installation of Power Plant in Palamau (Bihar)	25-26
1808.	केरल में नारियल जटा उद्योग के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता	Additional Financial Assistance to Coir Industry in Kerala	26
1809.	केरल में रेल मोटर पुलों का निर्माण	Construction of Rail cum-Road Bridges in Kerala	26
1810.	पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैलूनों में यात्रा	Senior Officers of Western Railway Travelling in Saloons	26-27
1811.	बिहार में कोयल नदी परियोजना	Koel River Project in Bihar	27
1812.	बिहार में सोन बाँध को नया रूप देना और इन्द्रपुरी में नये बांध का निर्माण	Remodelling of Son Barrage and Construction of New Barrage at Indrapuri in Bihar	27-28
1813.	रेलवे अधिकारियों के लिये अलग डिब्बे	Separate Carriages for Railway Officers	28-29
1814.	केरल में कबाड़ (स्क्रैप) डिपो (दक्षिण रेलवे)	Scrap Depots in Kerala (Southern Railway)	29
1815.	नारियल जटा के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये प्रतिनिधिमंडल	Delegation to Explore Coir Exports	29
1816.	बिहार में बिजली की कमी	Scarcity of Power in Bihar	29-30
1817.	अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना	Termination of Services of some Employees of Ajodhya Textile Mills, Delhi	30-31
1818.	संसद भवन में चाय और काफी बोर्ड केन्द्रों को दूध की सप्लाई	Supply of Milk to Tea and Coffee Boards Shops in Parliament House	31
1819.	भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन पर व्यय	Expenditure on Vigilance Organisation of Indian Railways	31-32
1820.	रेलवे से माल डिब्बों की मांगे	Demands for Goods Wagons from Railways	32-34

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अ० ता० संख्या U. S. Q. Nos.			

1821.	उड़ीसा में खारे पानी के फलाव को रोकने के लिये योजना	Plan to stop Saline Inundation in Orissa	34
1822.	सरकारी क्षेत्र के सिंचाई उपक्रमों की प्रगति	Progress of Public Sector Irrigation Undertakings	34-35
1823.	रेलवे में कर्मचारियों को बदलना	Rotation of Employees on Railways	35
1824.	आयातित कारों का मूल्य	Value of Imported Cars	35
1825.	भारत पाक युद्ध में सराहनीय कार्य के लिये रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कार	Reward to Railway Employees for Commendable work during Indo Pak War	36
1826.	कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में कमी	Decline in employment in Textile Industry	36
1827.	हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry	36-37
1828.	कपड़ा उद्योग में रोजगार जुटाने के लिये योजना	Scheme to provide jobs in Textile Industry	37
1829.	नाइजीरिया में सीमेंट कारखाना लगाना	Setting up of Cement Factory in Nigeria	37-38
1830.	गैर सरकारी क्षेत्र में आयात लाइसेंसों का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of Import Licences in Private Sector	38
1831.	जापान द्वारा खनिजो के भण्डार करना	Stock Piling of Minerals by Japan	38-39
1832.	उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार	Trade with North Victnam	39
1833.	ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के बारे में राष्ट्र-मंडल विदेश व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Commonwealth Foreign Trade Ministers regarding UK's Entry into ECM	39
18 34.	लौह अयस्क के निर्यात में कमी	Shortfall in export of Iron Ore	40
1835.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभ्रक का निर्यात	Export of Mica by M. M. T. C.	40

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1836.	अमरीका को सर्जरी के औजारों का निर्यात	Export of Surgical Instruments to United States	40-41
1837.	समुद्री उत्पाद निर्यात सवंर्धन प्राधिकरण संबंधी प्रारूप विधेयक	Draft Bill on Marine Products Export Promotion Authority	41
1839.	राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू का क्रय विक्रय	Purchase and sale of Tobacco by STC	41-42
1836.	झरिया और रानीगंज कोयला खानों के लिये रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई	Wagon supply to Jharia and Raniganj Coalfields	42
1840.	चैकोस्लोवोकिया के व्यापार मंत्री के साथ व्यापार वार्ता	Trade talks with Czechoslovac Trade Minister	42-43
1841.	विधान सभा चुनावों के दौरान मत पेटियां और मत पत्रों का उठा ले जाया जाना	Removal of Ballot boxes and Ballot papers during Assembly Eelections	43-44
1842.	चम्बल बांध के वाटर लेवल को बढ़ाना	Raising of Chambal Dam Water Level	44
1843.	देश में विद्युत उत्पादन का दस वर्षीय कार्यक्रम	Ten Year Programme for Power Generation in the Country	44-45
1844.	गुजरात निर्यात निगम द्वारा डीजल इंजिनों का निर्यात	Export of Diesel Engines by Gujarat Export Corporation	45
1845.	स्टेपल फाइबर और धागे की कीमतों में वृद्धि	Rise in price of Staple Fibre and Yarn	45-46
1846.	राज्यों को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई	Additional Power Supply to States	46
1847.	चमड़े के जूतों का निर्माण	Export of Leather Shoes	46-47
1848.	रेलों में ठेका श्रमिकों को समाप्त करना	Abolition of Contract Labour on Railways	47
1849.	भारत रुमानिया व्यापार करार	Indo-Rumania Trade Agreement	47-48

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.			
1850.	पटना सिटी स्टेशन के पश्चिम में स्थित कल्वर्ट नं. 102 का सुधार	Improvement in Culvert No. 102, West of Patna City Station	48
1851.	रेल यात्रियों को घटिया किस्म का और कम खाना सप्लाई करना	Supply of Sub-Standard Quality and Less Quantity of Meals to Railway Passengers	48-49
1852.	दक्षिण रेलवे पर मनमदुरै और रामेश्वरम के बीच स्टेशनों के बुकिंग कांउटरों पर नियुक्त कर्मचारी	Manning of Booking Counters on Stations between Manamdurai and Rameshwaram (Southern Railway)	49
1853.	भारतीय रेलवे में कर्मशियल क्लर्कों के पदों की संख्या बढाना	Increase in Posts of Commercial Clerks on Indian Railways	50
1854.	दक्षिण पूर्व जोन की आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन का ज्ञापन	Memorandum by All India Railway Commercial Clerks Association (South Eastern Zone)	50-51
1855.	मोहिनी नदी पर तटबन्ध बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Construction of Embankments over Mohini River	51
1856.	राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by STC	51-52
1857.	हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम को हुआ लाभ अथवा हानि	Profits and Loss of Handloom and Handicrafts Exports Corporation	52-53
1858.	बिहार और बंगाल से कोयले ढोने के लिये पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा नियत किये गये माल डिब्बे	Wagons Allotted by Eastern and South Eastern Railways for Coal Movement from Bihar and Bengal	53
1859.	रेलवे प्रशासन द्वारा क्षति, हानि और चोरी के दावों का निपटाने के लिये समय सीमा	Time Limit for Settlement by the Railway Admn. of Claims of Damage, Loss and Pilferage	53-54
1860.	विभिन्न देशों के साथ व्यापार प्रणाली	Mode of Trade with various Countries	54-55
1861.	विभिन्न देशों को निर्यात	Export to various countries	55

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

1862.	उच्च न्यायालयों के फैसलों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Judgements of High Courts in Hindi	55-56
1863.	रेल यात्रियों को सुविधाएं	Amenities to Railway Passengers	56
1864.	भारत द्वारा विश्व व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना	Participation of India in World Trade Fairs and Exhibitions	56-57
1865.	गोला बारुद और सेना के लिये प्रयुक्त कारतूस का कल्याण (बम्बई) में एक घर से बरामद किया जाना	Recovery of Ammunition and Army Catridges from a House at Kalyan (Bombay)	57-58
1866.	दक्षिण रेलवे के विसनतम और गुडुपल्ली स्टेशनों के बीच इंजीन और ट्राली की टक्कर	Collision of engine with Trolly between Bisanatham and Gudupal Railway stations (Southern Railway)	58
1867.	अन्य देशों के निर्वाध व्यापार क्षेत्र को प्रतिनिधि मंडल	Delegation to free trade zone in other countries	58-59
1868.	नारियल जटा बोर्ड में कदाचार	Malpractices in Coir Board	59
1869.	नारियल जटा बोर्ड के लिये पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of full time Chairman for Coir Board	60
1870.	पांडेचरी के माही नामक स्थान पर बंद	Bundh observed in Mahe in Pondicherry	60
1871.	समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Marine Products	60-61
1872.	पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance to Irrigation Projects in West Bengal	61
1873.	पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग विकास	Development of Jute Industry in West Bengal	61
1874.	जुट के निर्यात से आय	Income from Jute Exports	61
1875.	दक्षिण पूर्व रेलवे के बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ियों की जंजीर खीचने और रेलवे सम्पत्ति की छुट-पुट चोरी और चोरी के मामले	Cases of Alarm Chain Pulling Pilferage and theft of Railway Property between Balasore and Bhadrak Railway Stations (South Eastern Railway)	62

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
1876.	461 अप और 462 डाउन (खड़गपुर-भद्रक) यात्री गाड़ी का कटक तक विस्तार	Extension of 461 UP and 462 Down (Kharagpur-Bhadrak) Passenger Trains up to Cuttack	62
1877.	उड़ीसा में पटसन मिल	Jute Mills in Orissa	62
1878.	बिहार में तापीय बिजली घर (थरमल पावर स्टेशन)	Thermal Power Station in Bihar	63
1879.	वह उम्मीदवार जिनकी हाल ही में हुए विधान सभा के चुनावों में जमानतें जब्त हो गई	Candidates who lost their Deposits during recent Elections to State Assemblies	63
1880.	डिवीजनल कार्यालय, दानापुर की कार्मिक शाखा के क्लर्कों के लिये काम का मापदंड निर्धारित करना	Fixation of Yard Stick of work for Clerks of Personnel Branch, Divisional Office, Danapur	64
1881.	खगौल (दानापुर) में रेलवे सेवा आयोग की शाखा कार्यालय	Branch Office of Railway Service Commission at Khagaul (Danapur)	64
1882.	पुर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में माल गाडियों के गार्ड	Guards of Goods Trains in Sealdah Division (Eastern Railway)	64-65
1883.	राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद की विधि	Mode of Purchase of Tobacco by STC	65
1884.	राज्य विधान सभाओं के चुनावों में डाले गये मत	Votes polled during Elections to State Assemblies	66
1885.	खेलकूद की वस्तुओं का निर्यात	Export of Sports Goods	66
1886.	तम्बाकू व्यापारी	Tobacco Merchants	67
1887.	तम्बाकू पर लगे निर्यात शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue Realised by Export duty on Tobacco	67
1888.	मोटर गाड़ियों के पुर्जों का चेकोस्लावेकिया द्वारा आयात	Import of Indian Auto ancilliaries by Czechoslovakia	67-68
1889.	रेलगाड़ियों के डिजलीकरण में प्रगति	Progress re; Dieselisation of Trains	68
1890.	विभिन्न इंजनों में ईंधन की खपत	Fuel consumption by Different Types of Locomotives	68

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1891.	बिजली के इंजनों का निर्माण	Manufacture of Electric Engines	69
1892.	महाराष्ट्र में कालमवाड़ी बांध परियोजना	Kalamwadi Dam Project in Maharashtra	69
1893.	गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना	Development of High Speed on Trains	69-70
1894.	पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण	Development of Railway lines in Backward Areas	70-71
1895.	लौह अयस्क की भण्डारण सुविधाएं	Storage Facilities for Iron Ore	71
1896.	केरल में नारियल जटा के मजदूरों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल	One Day Token Strike by Coir Workers in Kerala	71
1897.	केरल में ग्रामीण विद्युतिकरण	Rural Electrification in Kerala	71-72
1898.	राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes for States	72-73
1899.	रेलवे स्टेशनों पर सूचनाओं का लगाना	Display of Notices at Railway Stations	73
1900.	विभागिय कैन्टीनों तथा ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरों में अंतर	Difference in Rates of Eatables supplied by Departmental Canteens and Private Contractors	73
1901.	राख के ठेकेदार द्वारा रेलवे क्रेन का दुरुपयोग	Misuse of Railway Crane by Ash Contractor	73-74
1902.	गाजियाबाद में चोरी और कदाचार की घटनाएं	Cases of Thefts and Malpractices at Ghaziabad	74
1903.	कमला बलान में पुल के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि के लिये मुआवजे का भुगतान	Payment of Compensation for land required for constructing a Bridge at Kamal Balan	74
1904.	देहरी आनसोन रेलवे स्टेशन तथा बी० डी० एंड जी० डी० पैसेंजर गाड़ी में कीमती वस्तुओं की चोरी की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Incidents of Theft of valuables of passengers on Debri on Some Railway Station and B. D. & G. D. Passengers Train	74-75

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1905.	बिहार राज्य तथा उसके पालामऊ जिले में रेलवे लाइनों की किलोमीटर में दूरी	Kilometers of Railway Lines in Palamau District and in Bihar State	75
1906.	इमारती लकड़ी के लिये गढ़वा स्टेशन पर माल डिब्बे	Wagons for Timber wood at Garhwa Railway Station	75-76
1907.	आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers in Office of CCI & E	76
1908.	इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया को एक दल भेजना	Team to South East Asia for boosting Export of Engineering Goods	76-77
1909.	कोयला पन बिजली घर के बन्द होने के बारे में जांच	Enquiry into closure of Koyna Hydro Electric Station	77
1910.	जवानवाला शहर स्टेशन के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to Staff of Jawanwala Shahar Station	77-78
1911.	पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच	Departmental Enquiries against Employees of Western Railway	78
1912.	भारत और पौलेण्ड के बीच व्यापार	Trade between India and Poland	78-79
1913.	दिल्ली में छपे मतपत्रों में अशुद्धियों का पता लगना	Detection of Mistakes in Ballot papers printed in Delhi	79
1914.	राजस्थान में पौगडम क्षेत्र से बेदखल व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Oustees of Pong Dam area in Rajasthan	79
1915.	उत्तरी रेलवे नई दिल्ली के डिवीजनल लेखा कार्यालय के कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	Departmental proceedings against an employee in Northern Railway, Divisional Accounts Office, New Delhi	79-80
1916.	बाटा शू कम्पनी द्वारा बुक जूतों की खेपों की घटिया पेकिंग	Poor Packing of the consignments of shoes Booked by Bata Shoe Company	80
1917.	चीफ इंजीनियर के निर्माण कार्यालय का त्रिवेन्द्रम से मद्रास स्थानान्तरण	Shifting of Chief Engineer's Office, construction work from Trivandrum to Madras	80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1918. एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन का बनाया जाना	Broad Guage Line from Ernakulam to Trivandrum	81
1919. दिल्ली डिवीजन (उत्तर, रेलवे) के कुछ स्टेशनों पर गैर योग्यता प्राप्त टिकट कलेक्टरों की नियुक्ति करना	Posting of Unqualified Ticket Collectors at certain Station of Delhi Division (Northern Railway)	81
1920. खाद्यान्नों के लिये माल डिब्बे दिये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request by Uttar Pradesh Government for Supply of Wagons for Food grains	81-82
1921. उत्तर प्रदेश को कोयला ले जाने के लिये वैगन	Wagons for Movement of Coal to Uttar Pradesh	82
1922. डिवीजनल मुख्यालय का गोंडा से लखनऊ स्थानान्तरण	Shifting of Divisional Headquarters from Gonda to Lucknow (North Eastern Railway)	82-83
1923. पयागपुर और चिलवाड़िया (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच बेलखाड़ा स्थान पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाना	Opening of a Railway Station at Belkhara in between Payagpur and Chilwaria (Northern Eastern Railway)	83
1924. बहराइच रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में टेलीफोन कालों को सुनने की व्यवस्था का अभाव	Lack of arrangements for attending Telephonic Cal's at the Enquiry Office of Bahraich Railway Station	83
1925. चाय पर क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क में विभिन्नता	Variation in Zonal Excise on Tea	84
1926. आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Assam	84-85
1927. माइक्रो सर्जिकल एप्रेटस के आयात पर लगे प्रतिबन्ध में छूट	Relaxation of Restrictions on Import of Micro Surgical Apparatus	85
1928. गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना	Setting up of Gangetic Flood Control Board	85-86
1929. पश्चिम बंगाल में चाय बागानों का बन्द होना	Closure of Tea Gardens in West Bengal	89
1930. चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by export of Tea	86-87

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1931. खलासियों की सेवाओं का डीजल लोको शैड ईरोड (दक्षिण रेलवे) में क्लर्कों के रूप में उपयोग	Khalasis used as Clerks at Diesel Loco Shed, Erode (Southern Railway)	87
1932. ए० जी० ओ० टेलीफोन एक्सचैंज मद्रास (दक्षिण रेलवे) में टेलीफोन आपरेटरों की भर्ती	Recruitment of Telephone Operators NGO Telephone Exchange Madras (Southern Railway)	87-88
1933. अपर इंडिया एक्सप्रैस की देखभाल	Maintenance of Upper India Express	88
1934. माल डिब्बों में कांसे ब्रोन्ज के फिटिंग्स को बदलना	Replacement of Fittings made of Bronze in Wagons	88
1935. ब्रेस ब्रिज स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर पेय जल की सुविधाएं	Drinking water Facilities at Brace Bridge Station (Eastern Railway)	88-89
1936. पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई उपप्रभाग में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Contai Sub-division of Midnapur Dist. (West Bengal)	89
1937. पश्चिम बंगाल में बेल्डा और दीघा के बीच रेल संबंध	Rail Link between Belda and Digha in West Bengal	89
1938. असम मेल का बरास्ता फरक्का होकर जाना	Route of Assam Mail via Farakka	90
1939. मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में दण्ड प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम लागू करना	Enforcement of Criminal Procedure Code and Limitation Act in States of Meghalaya and Nagaland	90
1940. रंगिया में डिवीजनल मुख्यालय	Divisional Headquarters Office at Rangiya	91
1941. बिजली कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर	Channel of Promotion for Eelectrical Staff	91
1942. पश्चिम रेलवे के बिजली कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from Electric Staff Western Railway	91
1943. रेलवे सुरक्षा दल के विभागीय प्रत्याशियों के लिये पदोन्नति के अवसर	Promotion Chances of R. P. F. Departmental candidates	91-92

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.

1944.	मऊनाथभंजन जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेलवे लाईन पर अंडर ब्रिज का निर्माण	Construction of an Under Bridge at Maunathbhanjan Junction (N. E. Railway)	92-93
1945.	आगरा और इटारसी के बीच रेलवे लाईन को दोहरी करना	Doubling of Railway Track between Agra and Itarsi	93
1946.	झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड का निर्माण	Construction of Shed over Platform of Jhansi Railway Station	93-94
1947.	ताज एक्सप्रैस को झांसी तक बढ़ाना	Extension of Taj Express upto Jhansi	94
1948.	तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	94-95
1949.	खंडवा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर उपरी पुल को चौड़ा करना	Widening of Railway over-Bridge at Khandwa Railway Station (Central Railway)	95
1950.	मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना	Payment of House Rent Allowance to Class III and IV Staff of Bhusawal Division (Central Railway)	95
1951.	मध्य रेलवे में माल यातायात में गिरावट आना	Decrease in goods traffic on Central Railway	95
1952.	दोहद और खंडवा के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Dohad and Khandwa	96
1953.	पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में ग्रेड 'बी' ड्रायवरों का चयन	Selection for driver 'B' Grade Jaipur Division (Western Railway)	97
1954.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में 'ए' ग्रेड के ड्रायवरों की पदोन्नति नियमित करना	Regularisation of promotion of Drivers 'A' Grade, Jaipur Division (Western Railway)	96-97
1955.	फुलैरा शैड, जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के 'सी' ग्रेड के ड्राइवर	Driver 'C' Grade Phulera Shed, Jaipur Division (Western Railway)	97
1956.	रबड़ बोर्ड में छंटनी	Retrenchment in Rubber Board	97
1957.	गया में मुहाने रिजर्वायर योजना	Muhane Reservoir Scheme in Gaya	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1958. सिंचाई की सुविधाओं के अभाव के कारण गया जिले के नवादा सब डिवीजन में सूखा और अकाल की स्थिति	Drought and Famine in Navada Sub-Division of Gaya District due to lack of Irrigation Facilitics	98
1959. भारतीय रेलों में कमर्शियल इंस्पेक्टरों के रूप मे पदोन्नति करने के बारे में नीति	Policy regarding Promotion as Commercial Inspectors on Indian Railway	98
1960. ईरान के लिये व्यापार प्रतिनिधि-मंडल	Trade delegation to Iran	99
1961. पंजाब में अनाज के लदान के लिये माल डिब्बे	Wagons for Transportation of Food gains in Punjab	99
1962. त्रिपुरा में दम्बोरो परियोजना का निर्माण	Construction of Damboro Project in Tripura	100
1963. त्रिपुरा में गोहाटी उच्च न्यायालय की बैंच के लिये भवन की व्यवस्था	Accommodation for Bench of Gauhati High Court in Tripura	100
1964. बाढ़ों और बाढ़ सहायता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Reports of Committee on Floods and Flood Reliefs	100-101
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	101-102
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	102
विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Bills as passed by Rajya Sabha	102-103
महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक	Administrators-General (Amendment) Bill	104
लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक	Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill	103
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report	103
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	
श्रीमति इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	103-107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
भारतीय तांबा निगम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Indian Copper Corporation (Taking over of Management) Bill	108-123
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumarmangalam	108-110 and 118-120
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	110-111
श्री स्वर्णसिंह सौखी	Shri Swaran Singh Sokhi	111
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	111-112
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	113
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	113-114
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	114-115
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	115
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	115-116
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	117
श्री शिव चन्डिका	Shri Shiva Chandika	117-118
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	118
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	118
खंड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1	122-123
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे	Shri Annasaheb Gotkhinde	122
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	122
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	122-123
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	123
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	Contingency Fund of India (Amendment) Bill	124-131
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	124 and 128-129
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	124
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhagura	124-125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	125
डा० कैलास	Dr. Kailas	125
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	125
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	125
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	126
श्री पी० वेंकटा सुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	126-127
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	127
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	172-128
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	130
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	130
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	130
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	130-131

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1972/15 चैत्र, 1894 (शक)

Tuesday, April 4, 1972 / Chaitra 15, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री अमरनाथ चावला अनुपस्थित । श्री दामाणी ।

गुजरात में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

*242. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान, गुजरात राज्य में कपड़ा मिलों के कार्यकरण का अध्ययन करने लिये गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मिलों का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, राज्य कपड़ा निगम और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है, यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एस० आर० दामाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 1 फरवरी के 'फाईनेन्शियल एक्सप्रैस' में प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है । समाचार में कहा गया है कि गुजरात के राज्यपाल ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु अपेक्षित राशि का अनुमान लगाने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि......

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री एस० आर० दामाणी : यह समाचार गुजरात के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल के बारे में है और मेरा प्रश्न उसी समाचार पर आधारित है । मंत्री महोदय का कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ किन्तु समाचार है कि इस अध्ययन दल ने गुजरात के कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु 84 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात राज्य कपड़ा निगम ने उन सभी कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में जिन्हें उसने अपने हाथ में ले लिया है, कोई योजना बनाकर मंत्रालय को प्रस्तुत की है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे फाईनेन्शियल एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार की जानकारी नहीं है । नहीं इस सम्बन्ध में हमें कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त हुई है । 1966 में श्री मनुभाई शाह के सभापतित्व में एक उपसमिति की नियुक्ति की गई थी और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । हम नहीं जानते की गुजरात सरकार इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही कर रही है किन्तु इतना अवश्य है कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ऐसी कोई समिति नहीं है और न ही हमें उनकी कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ।

श्री एस० आर० दामाणी : मेरे प्रश्न के भाग (ग) में पूछा है :

> "क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, राज्य कपड़ा निगम और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है, यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उन सभी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु जो उसके नियंत्रणाधीन हैं, कोई योजना बनाई है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यद्यपि यह एक पृथक प्रश्न है, फिर भी मैं इसका उत्तर दे देता हूं । राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रण में 45 मिलें हैं । निगम ने 19 मिलों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है । इस कार्य हेतु 8.95 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा मशीनों के आयात के लिये आर्डर दिए जा चुके है ।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार

*243. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार सम्बन्धी विषयों पर विचार विमर्श करने के लिये जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में यूगोस्लाविया गया था उसकी बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने, जो हाल ही में यूगोस्लाविया गया था, एक संलेख का विनिमय किया, जिसमें दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार तथा भुगतान करार की अवधि 31 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ाई गई है ।

इन वार्ताओं के दौरान, भारतीय तथा यूगोस्लाव प्रतिनिधिमण्डलों ने भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच व्यापार के विकास का पुनर्विलोकन किया । उन्होंने, 1972 में दोनों देशों के बीच व्यापार के आदान-प्रदान की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या 1973 के बाद रुपये में भुगतान के स्थान पर निर्बाध विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच 1973 के बाद होने वाली व्यापार व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई है तथा इससे हमारे देश को क्या लाभ पहुंचेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहाँ तक युगोस्लाविया के साथ व्यापार का सम्बन्ध है, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहा है और जहाँ तक वर्ष 1973 के बाद की स्थिति का प्रश्न है, अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है पहले हम सभी पुराने बकाया भुगतान पूरा करना चाहते हैं ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : भारत यूगोस्लाविया भुगतान सम्बन्धी विवाद के बारे में क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की राय को स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : कोई विवाद नहीं है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच भुगतान सम्बन्धी विवाद को निबटाने के लिए किसी अन्य तरीके पर विचार किया जायगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : विवाद की कोई बात ही नहीं है । हमारा आपसो समझौता हो गया है । वह बहुपक्षीय ढंग से कार्य करना चाहते थे ।

श्री प्रसन्सभाई मेहता : अतः क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कोई आपसी विवाद नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने बताया कि कोई विवाद नहीं है ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या इस समझौते के अन्तर्गत कच्चा तेल उत्पाद और पेट्रोलियम उत्पाद भी सम्मिलित हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जी संभवतः नहीं ।

कन्ट्रोल के कपड़े के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में औद्योगिक लागत ब्यूरो की सिफारिशें

*244. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्यों के व्यूरों ने कंट्रोल के कपडे के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या इस ब्यूरो ने अपना काम शुरु कर दिया है और कब तक इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री एल० एन मिश्र : मैंने उन से सिफारिशे शीघ्र देने का अनुरोध किया है। हम उन्हें 6 महीने का नोटिस दे रहे हैं। मेरा विचार है कि वह इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही हमें उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या यह सच है कि भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत कम होती जा रही है और क्या यह भी सच है कि इसका कपड़ों कि ऊंची कीमतों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : जहाँ तक आम जनता द्वारा पहने जाने वाले कपड़े का सम्बन्ध है, इस वर्ष उस का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है । नियंत्रित किस्मों के कपड़े का उत्पादन प्रति तिमाही निर्धारित लक्ष्य 10 करोड वर्ग मीटर के स्थान पर जून/अगस्त 1971 में 10.12 करोड वर्ग मीटर, सितम्बर/नवम्बर 1971 में 10.25 करोड वर्ग मीटर तथा दिसम्बर/जनवरी 1971 के दौरान 655 लाख वर्ग मीटर रहा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी अनुबंध के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बारे में ब्यूरो ने कहा कि कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन स्टैन्डर्ड कपड़े का होना चाहिए। इतनी मात्रा में इस किस्म के कपड़े के उत्पादन के बजाय मिलमालिक प्रति मीटर फी पैनल्टी दे देते हैं। यदि हां तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है। इस सम्बन्ध में एक योजना बनाई गई थी, जिमके परिणाम स्वरूप 9 महीने की अल्प अवधि में उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई। यह भी सच है कि वह मिलें जो मर्सराइज़्ड और सुफर फाइन किस्म के कपड़े का उत्पादन करती हैं उन्हें प्रत्येक वर्ग मीटर पर कुछ पैनल्टी (दंड) देनी पड़ती है और इससे प्राप्त धन को छोटी मिलों को मुआवजे के रूप में दे दिया जाता है क्योंकि छोटी मिलें मोटे कपड़े का उत्पादन नहीं करती और नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े पर अधिक लाभ की गुंजाईश नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी अनुबंधों के उल्लंघन के रूप में कितना जुर्माना वसूल किया गया है ?

श्री राम सहाय पांडे : कपास की कीमतें काफी कम हुई हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े की कीमत में भी कुछ कमी होने की संभावना है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इसका कपास की कीमत से कोई सम्बन्ध नहीं है। पिछले वर्ष कपास की कीमत 3600 रुपये प्रति टन तक बढ़ गई थी जबकि इसका समर्थन मूल्य 1600 रुपये था । हमने कपड़ों की कीमतों को दुगुना नहीं किया। रूई की कीमतें कम हो गई हैं किन्तु स्थिति इतनी खराब नहीं है जैसा कि अखबार वालों या संसद सदस्यों द्वारा बताई जा रही हैं। कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित 1600 रुपये प्रति टन के समर्थन मूल्य के बजाय कीमत 2100 रुपये प्रति टन है। अभी कल ही मैंने रुई निगम को एक निर्देश जारी किया है कि वह रुई को अधिक से अधिक मात्रा में खरीद ले और उसके लिये बाजार भाव पर भुगतान करे यदि वह समर्थन मूल्य से अधिक है। अन्यथा उत्पादकों से रुई समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए अर्थात जो भी मूल्य अधिक हो, उत्पादकों को वह दिया जाये । इस प्रकार उत्पादक घाटे में नहीं रहेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : विदेश व्यापार मंत्री ने 1 अप्रैल 1971 को राज्य सभा में बताया था कि सरकार का विचार नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 पतिशत कर दिया जाये । मिल मालिकों द्वारा हुई चर्चा में पहले प्रस्ताव को कुछ संशोधित रूप में अपनाया गया। 13 अप्रैल को विदेश व्यापार मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मिल मालिकों ने कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन करना स्वीकार कर लिया है।

श्री एल० एन० मिश्र : नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के उत्पादन को कम नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो इसमें बढ़ोतरी ही की जाएगी।

विदेशों में रेलवे के लिए परामर्श

*247. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने विभिन्न देशों में रेलों के क्षेत्र में परामर्श सेवा चालू की है; और

(ख) यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सीरिया, जोर्डन, सऊदी अरब, थाइलैंड और फीलीपीन को परामर्श सेवाएँ अर्पित की गयी जिनके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

हेडगाज रेल परियोजना के प्राधिकारीयों के अनुरोध पर उत्तर रेलवे के तत्कालीन महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे के दल 1968-69 में सीरिया, जोर्डन और सऊदी अरब गये और

सिग्नलिंग तथा अंतर्पाशन, यातायात कार्य-प्रणाली, चल स्टाक और इंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं के क्षेत्र में तथा डैमस्कस-अमन-मान-मदीना हेडगाज रेलवे लाइन (सीरियन, जोर्डन और सऊदी अरब से होकर गुजरने वाली) के लिए उच्चतर रफ्तार के लिए रेल पथ के स्तर में सुधार लाने के लिए राय दी ।

सीरिया सरकार के अनुरोध पर भारतीय रेलवे के एक दल ने 1969 में सीरिया में लगभग 133 कि० मी० लम्बी एक नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया । यह सर्वेक्षण के सीरिया के खेनिफेस के निकटवर्ती पूर्वी खनिज क्षेत्र से टार्टस पत्तन के रास्ते होक्स तक फास्फेट के परिवहन के उद्देश्य से किया गया था ।

उत्तर रेलवे से एक सिग्नल इंजीनियरिंग अधिकारी सीरिया गये जिन्होंने डैमस्कस से कटना तक निर्मित एक नयी लाइन के लिए सिग्नलिंग के बारे में राय दी ।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के निदेशक की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे का एक दल ईराक गया और ईराक में बगदाद और हैशबाद के बीच एक नयी रेलवे लाइन के लिए व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किया । (यह लाइन लगभग 404 किलो मीटर लम्बी है और इसकी लागत लगभग 120 करोड़ रुपये आयेगी) ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत फिलीपीन सरकार के अनुरोध पर अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के निदेशक की अध्यक्षता में रेलवे का एक दल दिसम्बर, 1971 में फिलीपीन गया और उसे देश में तूफान से हुई क्षति के बाद लाइनों को पुनः चालू करने से सम्बन्धित निर्माण कार्य के बारे में अपनी राय दी ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत थाइलैंड सरकार के अनुरोध पर अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन से 9 अधिकारियों का एक दल 1971 में थाइलैंड गया । उसने वहां के रेल पथ और चल स्टाक की जांच की और थाइलैंड रेलवे पर गाडियों की रफ्तार में सुधार करने के बारे में राय दी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलवे उन देशों की रेलों के लिए परामर्शदात्री सेवाओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं का विक्रय भी करती और यदि हां तो इस क्षेत्र में वह कहां तक सफल हुयी हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ये परामर्शदात्री सेवायें सीरिया, जोर्डन, सऊदी अरेबिया, थाइलैंड तथा फिलीपीन्स को प्रदान की गई थीं और यह भी सच है कि हम कुछ देशों को यात्री रेलों के डिब्बे तथा माल डिब्बे सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह था कि कितने मूल्य की सामग्री का आपने विक्रय किया है—क्या आप विक्रय कार्य में सफल हुये हैं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में इन परामर्शदात्री तथा विक्रय सम्बन्धी सेवाओं का कार्य हम स्वयं न करके तीसरे देशों के साथ संयुक्त रूप में कर रहे हैं और यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी · विदेशों को प्रदान की गयी सभी परामर्शदात्री सेवायें पूर्णरूप से हमारी अपनी हैं उससे कोई अन्य देश सम्बद्ध नहीं है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि यात्री गाड़ी के डिब्बे सप्लाई करने के सम्बन्ध में भारत सरकार का फारमोसा से कोई सम्बन्ध है तथा वहाँ परामर्शदात्री सेवायें भी प्रदान की गयीं है, और क्या यह भी सच है कि कुछ रेल अधिकारियों तथा इंजीनियरों को कुछ महीनों के लिये फारमोसा भेजा गया था और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख विवरण में किया गया है।

श्री समर गुह : मैंने अपने प्रश्न में परामर्शदात्री सेवा के विषय में भी पूछा है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : विवरण में उन देशों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने भारत सरकार से परामर्शदात्री सेवा की माँग की थी । उनके अतिरिक्त और कोई ऐसा देश नहीं है जिसने परामर्शदात्री सेवा की मांग की हो।

श्री समर गुह : विवरण में यात्री डिब्बों का भी उल्लेख किया गया है । क्या फारमोसा को भी माल डिब्बे तथा यात्री डिब्बे सप्लाई किये गये हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है । परन्तु इसके बारे में मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय को पता नहीं है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने बताया है कि जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है । इसके लिये अलग से नोटिस देने की आवश्यकता है ।

Setting up of a Railway out-Agency at Manasa (District Mandsaur)

*248. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether traders and residents of Manasa Town, District Mandsaur have demanded the setting up of a Railway out-agency there;

(b) whether such an agency used to function there previously; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

Dr. Laxminarain Pandey : In his reply, the hon. Minister said that no suitable person could be found. May I know who is a suitable person; what is your criteria in this regard ? Are you prepared to reconsinder the matter in case a suitable person is found?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If the hon. Member suggests us a contractor we are prepared to give him this contract. Tenders were called for, yet no contractor turned up to undertake the work.

Dr. Laxminarain Pandey : Who is a suitable contractor in your view ? What is the criteria to know whether a particular person is suitable or unsuitable ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : A person is suitable if his terms of contract are suitable. We do not look to the man, but to the tender.

Dr. Laxminarain Pandey : May I know the criteria of the Government regarding setting up of an out-agency and regarding issue of a license for that ? What are the normal conditions for that ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : No license is given. Tenders are called for. Tender considered reasonable and good is accepted.

Dr. Laxminarain Pandey : May I know the terms on which a contract is given, and the basis on which a tender is accepted ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Transit of goods and parcels is given to the contractor. There is the conditions that the goods given to the out-agency would be delivered to the correct individual by the contractor. If there is any loss in transit, it will be the responsibility of the out-agency. Its functioning should be such as to prove beneficial to the people. Other conditions are mentioned in the contract. Whosoever agrees to the conditions, his tender is accepted.

Mr. Speaker : I don't think your are satisfied. Mr. Kachwai, at least sometimes you should abstain.

Shri Hukamchand Kachwai : The day you are not present. I will not ask any question. The question has been asked about Manasa Town, situated in Ratlam division. There are very few out-agencies in western railway and, therefore, the people are deprived of the out-agency facilities. All this bussiness is to be done by railway. Certain parcels and goods are stolen. People have to face difficulties in sending parcels. May I know whether any special effort is being made to open more and more out-agencies in each Division ? Are you prepared to give special concessions in case no contractor comes forward for the contract ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Out-agency is not sanctioned according to Zones, it is sanctioned, according to the requirement. At present out of 168 out-agencies, 19 are operating in western railway. The number may be increased according to the requirements.

Shri Hukamchand Kachwai : There should be arrangements for the goods being delivered safely and the people should not feel any difficulty in despatch of Parcels. Parcels are stolen and the railway does not take it as their responsibility. People have to face a lot of difficulties in booking of Parcels. Parcels are not insured. People have to face difficulties in this regard. May I know whether the hon. Minister would formulate any plan to provide maximum facilities to the people of that zone...

Mr. Speaker : I cannot allow further question on this.

*251. **Dr. Sankata Prasad** :
Shri Khemchandbhai Chavda :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether the Central Government have decided to supply additional power to Gujarat State; and

(b) if so, the quantum thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

There is a power shortage of about 3 million units a day. This is particularly due to stopping of both units at Tarapore. Mysore has started giving nearly a million units a day to be used in Maharashtra and Gujarat.

The shortage is expected to persist till the first Dhuvaran Extension Unit of 141 MW and one unit at Tarapore are commissioned in the middle of May. The power position will become comfortable after second Tarapore unit and 4th unit at Dhuvaran are commissioned by June 1972 and Ukai Hydro-units by June 1973.

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात की बिजली पैदा करने की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 872 मेगावाट है जो 800 मेगावाट की मांग के बराबर ही है। परिणाम यह होता है कि बिजली पैदा करने वाली मशीने यदि थोड़े समय के लिये भी बन्द हो जाती हैं तो वहाँ विद्युत की बहुत भारी कमी हो जाती है। विवरण में बताया गया है कि "इस कमी के मई के मध्य में 140 मेगावाट के प्रथम धुवरण के विस्तार यूनिट और तारापुर स्थित एक यूनिट के चालू किये जाने के समय तक जारी रहने की संभावना है।"

तारापुर अणु विद्युत केन्द्र की प्रथम यूनिट ने दिसम्बर 1971 से कार्य करना बन्द कर दिया। इस केन्द्र को पुन: चालू करने में इतना समय क्यों लगाया जा रहा है ?

दूसरे, धुवरण विद्युत परियोजना को अतिरिक्त गैस न दिये जाने के कारण 27 मेगावाट का गैस टरबाइन आरम्भ नहीं हो सका। गैस टरबाइन के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : गुजरात में बिजली की कमी अधिकांशतः अथवा पूर्णतया तारापुर विद्युत केन्द्र का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण हुई है। माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि कुछ समय से तारापुर विद्युत केन्द्र बन्द पड़ा है। दूसरा कारण है कि कुछ समय बाद ईंधन को बदलना होता है और क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं किया जा सका इसलिए केन्द्र बन्द हो गया। बीयरिंग्स तथा ट्रांसफारमर का खराब हो जाना भी इसके बन्द होने का कारण है। इन्हें ठीक कराया जा रहा है और मई के मध्य तक इसकी प्रथम यूनिट के कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है।

जहाँ तक 27 मेगावाट गैस टरबाइन का प्रश्न है, इससे बहुत अधिक सहायता की आशा नहीं है क्योंकि कमी इस पूर्ति से कहीं अधिक है फिर भी, यह सही है कि गैस उपलब्ध न होने के कारण यूनिट बन्द पड़ी है। वहाँ एक यूनिट चालू है और गैस की कमी के कारण दूसरी चलाई नहीं जा रही है। मैं सम्बद्ध अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर रहा हूं कि वे शीघ्र ही आवश्यक गैस की सप्लाई करें जिससे यह यूनिट चलाई जा सके और जितनी भी कमी को यह पूरा कर सकती है, कर सके।

श्री के० एस० चावड़ा : देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है। क्या प्रधानमंत्री ने नर्मदा परियोजना को शीघ्र कार्य रूप देने के लिये, जो 2000 मेगावाट जल विद्युत पैदा कर सकती है, मध्यप्रदेश तथा गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात चीत करनी आरम्भ कर दी है ?

डा० के० एल० राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य की दिलचस्पी बिजली की कमी में तुरन्त सुधार करने में है, अधिक बिजली प्राप्त करने में नहीं । नर्मदा परियोजना पर यदि इस समय कार्यारम्भ कर दिया जाता है तो भी इसके पूरा होने में 10 वर्ष का समय लगेगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य की रूचि तुरन्त विद्युत सप्लाई किये जाने में है ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरी रुचि दो चीजों में है । तुरन्त सप्लाई तथा दीर्घकालीन उपाय इस समय 300 मेगावाट बिजली की मांग है; इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : नर्मदा परियोजना विवादास्पद है । मामला न्यायाधिकरण को भेजा गया है । न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री के० एस० चावड़ा : चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि यदि सत्ता रूढ़ कांग्रेस पर सत्ता आती है तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना समस्या सुलझ जायेगी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विद्युत शक्ति तथा सत्ता रूढ़ कांग्रेस की शक्ति को साथ न लाइये ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मंत्री महोदय ने कुछ कारण बताये हैं जिनसे तारापुर विद्युत केन्द्र आरम्भ होने के समय से ही बन्द हो गया । क्या यह सच है कि इसका एक अन्य कारण और भी है और वह यह है कि संयत्र में कोई निर्माण सम्बन्धी दोष है ? अथवा यहाँ प्रबंध अधिकारी ठीक नहीं है ?

डा० के० एल० राव : तारापुर विद्युत केन्द्र में प्रबंध अधिकारियों का दोष अथवा ऐसी अन्य कोई बात नहीं है । जहाँ तक मुझे पता है माननीय सदस्य ने जो कारण बताये हैं इस मामले में कोई सा कारण भी ठीक नहीं हैं ।

श्री डी० पी० जदेजा : विवरण में बताया गया है कि महाराष्ट्र तथा गुजरात को प्रति दिन उपयोग के लिये 10 लाख यूनिटें मैसूर से दी जा रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात की बिजली की कमी की प्रतिशतता क्या है जिसके लिये सरकार ने मैसूर से बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था की है ?

डा० के० एल० राव : मैंने मैसूर बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के साथ प्रतिदिन 10 लाख यूनिट बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था कल ही की है । महाराष्ट्र तथा गुजरात के बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक में कल ही मैंने यह सुझाव दिया था कि दोनों राज्यों का भाग बराबर होगा और मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार करेंगे ।

वैगनों की मामूली मरम्मत न किए जाने के कारण उनको चलाया न जाना

*253. **श्री वेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे वैगनों कि संख्या कितनी है जो इस कारण से गत दो वर्षों से चलाये जाने के योग्य नहीं है कि उनकी मामूली मरम्मत होनी है ; और

(ख) ऐसे वैगनों की मरम्मत में कितना समय लगता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) उन माल डिब्बों की औसत दैनिक संख्या जिनकी पिछले दो वर्षों के दौरान मामूली मरम्मत की गयी या उसकी प्रतिक्षा में खड़े थे:—

आमान	1970-71	1971-72
बड़ी लाइन	9133	2864
मीटर लाइन	2900	2558
छोटी लाइन	216	199

चालू हालत में न रहने वाले उपर्युक्त माल डिब्बों की संख्या का सम्बन्ध कुल संख्या से नीचे बताया गया है:—

आमान	कुल संख्या	1970-71	1971-72
बड़ी लाइन	282407	3.2 %	2.9 %
मीटर लाइन	95721	3.0 %	2.7 %
छोटी लाइन	3860	3.7 %	3.4 %

मामूली मरम्मत वाले इन माल डिब्बों की देखभाल मरम्मत लाइन में की जाती है । यह मरम्मत लाइन हर एक बड़े यार्ड में होती है ।

(ख) सामान्यत: मामूली मरम्मत 8 घंटे में पूरी कर दी जाती है ।

श्री वेकारिया : विवरण को देखने से पता चलता है कि कारखानों में बहुत से वैगन बेकार पड़े थे । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब देश में वैगनों का अत्यन्त अभाव है और लोग अधिक वैगनों के लिये चिल्ला रहे हैं, तो उन वैगनों की शीघ्र मरम्मत के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मरम्मत के इस कार्य को गैर-सरकारी फर्मों को भी देना चाहती है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मरम्मत के लिये पड़े वैगनों की कुल संख्या सामान्यत: चार प्रतिशत है । भारतीय रेलों की बड़ी लाईनों के छोटे-छोटे मरम्मत कार्यों के लिये रुके पड़े वैगनों की प्रतिशतता 3.2 प्रतिशत रही है जिसको 1971-72 में कम करके 2.9 प्रतिशत पर ले आया गया है । मीटर गेज पर ऐसे वैगनों की प्रतिशतता तीन थी जिसे घटा कर 2.7 प्रतिशत पर ले आया गया

है । छोटी लाइनों पर यह 3.7 प्रतिशत थी जिसे घटा कर 3.4 प्रतिशत पर ले आया गया है । इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि हम मरम्मत डिपुओं पर मरम्मत की क्षमता में निरन्तर सुधार कर रहे हैं । जब भी आवश्यकता होती है, जब बहुत भारी संख्या में वैगन मरम्मत के लिये रुके रहते हैं, तो मरम्मत का कार्य गैर-सरकारी उद्योगों को भी दे दिया जाता है ।

श्री वेकारिया : एक ओर तो रेलवे क्षतिग्रस्त वैगनों की मरम्मत नहीं कर पाती और दूसरी ओर जामनगर मोर्वी तथा गेन्डाल की वर्कशापें बन्द की जा रही हैं । जब रेलवे अपने क्षतिग्रस्त वैगनों की मरम्मत नहीं कर पाती, तब वे रेलवे वर्कशापों को बन्द करने का क्यों सोच रही हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह कहना गलत है कि हम वैगनों की मरम्मत का कार्य नहीं कर पाते । जो आंकड़े मैंने अभी अभी दिये हैं उससे प्रकट होता है कि रेलवे मरम्मत कार्य ठीक प्रकार से कर रही है । यह बात नहीं है कि हमने कारखाने बन्द कर दिये हैं ; हमने इन वर्कशापों में वैगन निर्माण कार्यों को कम कर दिया है । जब भी आवश्यक होगा, हम अपने क्रियाकलापों को बढाएंगे तथा उनमें सुधार भी करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : मैं जानना चाहता हूं कि धीमे मरम्मत कार्य के अतिरिक्त वैगनों का असंगत आगमन भी उनकी कमी के लिये उत्तरदायी है, जिससे रेलवे को हानि हो रही है, देश की अर्थ-व्यवस्था को गहरा धक्का लग रहा है और यहां तक कि विदेशों में भेजे जाने वाले माल भी केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों के बावजूद महीनों पड़े रहते हैं ? वैगनों के आगमन को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कम्प्यूटरों का उपयोग किया जायगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में वैगनों के आगमन में कुछ अव्यवस्था रही थी । एक दिन के कलकत्ता बन्द से 20,000 वैगन रुक जायेंगे इस प्रकार एक स्थान पर 40,000 वैगन जमा हो जायेंगे । सामान्यत: कोयले के लदान पर प्रतिदिन 6000 वैगन आवश्यक होते हैं । एक दिन की हड़ताल से उनकी संख्या 4,000 रह गई । हम वैगनों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सभी प्रयत्न कर रहें हैं ।

Shri Hukamchand Kachwai : Due to the non-availability of wagons in time, the prices rise, so how many wagons are repaired every year and put in use and how many damaged wagons come for repairs and what steps are being taken to do the repair work early ? The wagens which are sent for repairs, are held up, these should be released early for transportation of goods; what steps the Government is taking to get them repaired early ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The repair work of wagons is of two types. There are some small defects which can be removed within eight hours and if the defects are major effects are made to repair them in a day or two to bring these wagons on the track early. So far as the shortage of wagons is concerned, that is there and we are trying to meet it.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मरम्मत किये जाने वाले वैगनों की प्रतिशता 5.9 है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके क्षतिग्रस्त होने में कुछ राजनीतिक दलों की कार्यवाही उत्तरदायी है अथवा उनका कारण सामान्य कारण है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास यह वर्गीकरण नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया कि दो प्रकार की क्षति होती है— मामूली अथवा बड़ी । कई बार एक छोटा सुराख छोटी मरम्मत के अंतर्गत आता है और वैगन का सारा माल बाहर निकल जाता है और वैगन अपने लक्ष्य स्थान पर खाली जाता हैं । ऐसे सूराखों को क्या छोटी मरम्मत के अंतर्गत माना जाता हैं अथवा बड़ी मरम्मत के अंतर्गत ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने एक कमी की ओर ध्यान दिलाया है । सभी कमियों को दूर किया जाना है ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि वैगनों की कमी का एक कारण वैगनों कि निर्माण क्षमता भी है विशेषत: कांयापाडा फैक्टरी का पूरी क्षमता भर उपयोग नहीं हो रहा है और यदि हा, तो उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मंत्रालय ने वैगनों की उपलब्धता के प्रश्न पर पुर्नविचार करने के लिये एक लघु समिति नियुक्त की है और आशा की जाती है कि यह समिति कुछ ही महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

बिजली की कमी

*255. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रतिष्ठान अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में सरकार से शिकायतें की हैं ; और

(ख) बिजली की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में अपर्याप्त विद्युत-जनन क्षमता, संयंत्रों के मजबूरन बन्द किए जाने, मचकुंड और कोयना जैसे स्थानों में जलाशयों में संचय की नाजुक स्थिति से उत्पन्न विद्युत-सप्लाई की हालत कठिन होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों ने फीडरों की पालियां बांध दी हैं और पीक मांग और ऊर्जा के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं । इसके परिणाम स्वरूप, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को की जाने वाली विद्युत सप्लाई पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है । भारतीय उर्वरक निगम के नंगल उर्वरक यूनिट ने, जिसकी विद्युत खरीद की मात्रा 164 मेगावाट से घटाकर 98 मेगावाट कर दी गई है, पूरी हद तक विद्युत की सप्लाई फिर से चालू करने के लिए केन्द्र को अभ्यावेदन दिया हैं । कुछ राज्यों में उद्योगों के प्रवक्ताओं

ने विद्युत् की अपनी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति और मौजूदा विद्युत्-जनन सुविधाओं में उदारतापूर्वक विस्तार करने की आवश्यकता के बारे में इस मंत्रालय को औद्योगिक उपक्रमों की कठिनाइयों के संबंध में अभ्यावेदन दिया है।

विद्युत् की कमी का बुनियादी समाधान देश में विद्युत्-जनन और प्रेषणक्षमताओं में वृद्धि करना है। चूंकि विद्युत्-जनन स्कीमों के फलीभूत होने में कम से कम पांच वर्ष लग जाते हैं, इसलिये इस मंत्रालय में एक दीर्घावधिक दशवर्षीय योजना और एक पंचवर्षीय विद्युत्-विकास कार्यक्रम तैयार किया है और उन पर अनुवर्ती कार्यवाई की जा रही है।

कार्यान्वियनाधिन परियोजना-कार्यों में तेजी लायी जा रही है। निकटस्थ विद्युत प्रणालियों के अंत: संबद्ध प्रचालन के लिए अंतराज्यिक सम्पर्कों के निर्माण के कार्यक्रम की गति तेज कर दी गई है ताकि उस क्षेत्र में मौजुदा विद्युत्-जनन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किया जा सके और फालतू विद्युत् वाले इलाकों से कमी वाले इलाकों को विद्युत् भेजी जा सके।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या उनके मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सिंगरौली कोयला क्षेत्रों में एक विशाल ताप-विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, और यदि हां तो उक्त मांग पर उनका मंत्रालय किस स्तर पर विचार कर रहा है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस आशय का पत्र लिखा है कि वह मध्य प्रदेश में एक उच्च शक्ति वाले ताप-विद्युत केन्द्र का विकास करना तथा अन्य क्षेत्रों को विद्युत पहुंचाना चाहते हैं। हमने सारे देश के लिये विद्युत की एक योजना तैयार की है और इस संदर्भ में हमने मध्य प्रदेश के लिए 800 मेगावाट विद्युत का नियतन किया है। अत: हमने कहा है कि वह 800 मेगावाट ताप-विद्युत की परियोजना संबंधी जांच तथा आयोजन कर सकते हैं।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या इस ताप-बिजली केन्द्र के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो यदि इसे स्थापित करने का निर्णय किया गया, तो हम पर क्या लागत आयेगी?

डा० के० एल० राव : केवल कुछ को छोड़ कर सभी विद्युत केन्द्रों का निर्माण स्वयं राज्यों को करना है। पंचवर्षीय योजना की वास्तविक नीति के बारे में तो अभी निर्णय किया जाना शेष है। वर्तमान नीति यह है कि केवल कुछ-एक केन्द्रों को छोड़ कर जिनका कि निर्माण स्वयं केन्द्र सरकार करेगी, शेष के लिये संबंधित राज्य सरकारों को ही धन-स्रोत जुटाने होंगे।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : वक्तव्य से पता लगता है कि आन्ध्र प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में विद्युत की कमी है। हाल ही में राज्य सरकार ने विद्युत पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है जिसके फलस्वरूप कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ रही है। क्या कुछ पड़ोसी राज्य सरकारों ने, उदाहरणार्थ केरल ने, जहां की अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है आंध्र प्रदेश को विद्युत सप्लाई करने के कोई प्रबंध किये हैं ताकि इस कमी को पूरा किया सके क्योंकि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की गति कम हो रही है?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि देश में विद्युत की कमी है। वस्तुत: इस वर्ष तो देश के बहुत से राज्यों में इसका अभाव है। इसका पहला कारण तो यह है कि विद्युत-भार अपेक्षा से अधिक बढ़ रहा है, हमने मांग में 12 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था परन्तु कुछ राज्यों में तो यह 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई। दूसरे, इस वर्ष दक्षिण भारत में शरावती सहित जल-भंडारों को भरा नहीं गया, अत: इस वर्ष पानी भी बहुत कम उपलब्ध हुआ। इस कारण आंध्र प्रदेश भी सर्वाधिक कुप्रभावित राज्यों में से एक रहा, और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, जब तक इन पड़ोसी राज्यों से विद्युत लेने का प्रबंध नहीं करेंगे, वहां बिजली की भारी कमी रहेगी। मैसूर भी इस संबंध में यथासंभव सहायता कर रहा है। यह भी सच है कि केरल से विद्युत मिल सकती है और यह राज्य तामिलनाडु को भी सप्लाई कर रहा है अत: मैंने उस दिन केरल के विद्युत मंत्री से बात भी की थी और हम विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार केरल से अधिकाधिक बिजली आंध्र प्रदेश पहुंचा दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कलकत्ता तथा द्यौसी क्षेत्रों में विद्युत की कमी की जांच करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है? यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

डा० के० एल० राव : कलकत्ता क्षेत्र में विद्युत की कमी का मुख्य कारण यह है कि वहां बहुत से बिजली-घर मशीनों की खराबी अथवा श्रमिक-विवादों के कारण निष्क्रिय पड़े हैं और हम इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है, परन्तु उसकी सप्लाई के लिये पर्याप्त लाईने नहीं हैं। हम वहां ट्रांस्मिशन लाईनें बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। कलकत्ता की स्थिति बहुत खराब नहीं है, इसमें सुधार हो सकता है और ट्रांस्मिशन लाईने उपलब्ध होने तथा कुछ बिजली घरों के चल जाने पर इस स्थिति में सुधार भी हो जायेगा।

Shri B. S. Sharma : Are you aware that in Punjab thousands of applications for power connections are pending and people are not getting power. The Punjab Government have been seeking clearance of thing dam so that after it's completation it could removed the shortage. But why have you not given clearance to that ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि केन्द्र में विद्युत तथा नल-कूपों हेतु बिजली के कनेक्शनों के लिये बड़ी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 98,00 0 है। हमारे पास काफी बिजली नहीं है। विद्युत की कमी की समस्या का हल यह बांध ही नही है। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और हमे स्वीकृति मिलनी चाहिये परन्तु इसका यह समाधान नहीं है। इस बांध के निर्माण में दस वर्ष लगेंगे जबकि बिजली हमें तुरन्त चाहिये। हम भटिंडा तथा समीपवर्ती केन्द्रों को शीघ्र चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस राज्य में इस वर्ष गत वर्ष जैसी बुरी हालत नहीं रहेगी क्योंकि भाखड़ा को पहले भर लिया गया है।

श्री जगन्नाथ राव : देश भर में बिजली की कमी को देखते हुए, क्योंकि हम जल-बिजली परीयोजनाओं पर ही निर्भर हैं, क्या उनका मंत्रालय देश भर में बड़े-बड़े ताप-बिजली केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इन ताप-केन्द्रों के लिये कोयले का उपयोग करके सारे देश में काफी मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सके?

डा० के० एल० राव : हम तापीय विद्युत जल बिजली तथा परमाणु विद्युत का भी विकास कर रहे हैं । अगले योजना के लिये हमें तापीय विद्युत पर निर्भर होना पड़ेगा । केवल अगले एक-दो वर्षों के लिये ही हम जल-बिजली पर आश्रित रह सकते हैं । हम ऐसे सभी स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं जिनसे यथासम्भव शीघ्र विद्युत उपलब्ध हो सके ।

Shri Krishna Chandra Pandey : The U. P. Government has submitted several projects to the Central Government for meeting the shortage of power there. I want to know what do the Government people to do with those projects ?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक कमी है । लगभग 50 लाख यूनिट प्रति दिन की कमी है और हमें उसकी बड़ी चिन्ता है । हमने एक नहीं, बल्कि कई योजनाओं को स्वीकृति दी है हमारी समस्या यह है कि हम शीघ्रता से कैसे बिजली पैदा करें । हम सोच रहे हैं कि किस विशीष्ट योजना को शीघ्रता से पूरा किया जाये, यदि इसके लिये किसी अन्य योजना को भी त्यागना पड़े ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा किया जा सके । वस्तुत: यह एक प्रमुख समस्या है ।

[**कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए** ।]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं जो अनेक बार प्रश्न नहीं पूछते हैं ।

श्री धामनकर : रसायन उद्योग में निरन्तर तपाई की आवश्यकता होती है । अत: क्या सरकार ने ऐसे निर्देश दिये हैं कि रसायन उद्योग के लिये बिजली में कटौती न की जाय ?

डा० के० एल० राव : महाराष्ट्र में 30 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली की कमी है । इसकी आंशिक पूर्ति जन-बिजली केन्द्रों से अधिक विद्युत लेकर की जाती है जिसकी अनुमति अधिक समय तक नहीं दी जा सकती, अत: हमने मैसूर से कुछ सहायता देने को कहा है । तारापुर केन्द्र भी कुछ सहायता कर सकता है जब बिजली की कमी है तो सभी को कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ेगा । इसके सिवा चारा नहीं है । वस्तुत: यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो और भी कटौती करनी पड़ेगी ।

श्री धामनकर : मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देने से पूर्व प्रश्न को समझें । उनका प्रश्न भिन्न था ।

श्री पीलू मोदी : मंत्रियों के लिये यह आवश्यक नहीं है ।

श्री धामनकर : रसायन उद्योग में निरन्तर तपाई-क्रिया की जरूरत है । क्या सरकार ने ऐसे निर्देश दिये हैं कि उस उद्योग पर कटौती लागू न की जावे क्योंकि इससे भारी हानि होती है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि भट्टियों को बन्द नहीं किया जा सकता परन्तु यह कार्य महाराष्ट्र सरकार का है कि वह किसी और जगह कटौती करने के निर्देश जारी करे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय डा० के० एल० राव ने कहा है कि उत्तर बिहार और उत्तर बंगला के लिये एक सुपर तापीय केन्द्र होगा । क्या वह बतायेंगे कि उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार के बीच इस सुपर तापीय केन्द्र के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

डा० के० एल० राव : वस्तुतः यह एक सुपर तापीय केन्द्र नहीं है । हम जो 240 मैगावाट का तापीय-विद्युत केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं वह आज के विद्युत-विकास के युग में एक सुपर तापीय-विद्युत केन्द्र नहीं माना जाता । हम इस एकक की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं । इस पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इसे स्वीकृति दे दी जायेगी ।

Shri Ram Surat Prasad : The hon. Minister has just now said that he has received several schemes to meet the shortage of power in U. P. As a result of the present shortage of power in U. P., the progress of several plans has slowed down. I want to know the details of various chief projects submitted.

डा० के० एल० राव : मैं उनके प्रश्न को ठीक से नहीं समझ सका हूं । मेरे विचार से वह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के बारे में पूछ रहे हैं । विद्युत सप्लाई निगम ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी बहुत सी परियोजनाओं पर विचार कर रहा है । उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र बड़ा ही क्रियाशील है ।

Import Licences to Small Traders

*256. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether small traders are issued licences for obtaining imported raw material from the State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation, and if so, the terms and conditions thereof ; and

(b) whether Government are aware that some of the small traders sell the raw material in black market ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) राज्य व्यापार निगम ने औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र स्थापित किया है । यह केन्द्र लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों के पास जो आयात लाइसेंस होते हैं उनके आधार पर, उन्हें सप्लाई करने के लिए कतिपय कच्चे माल का आयात करता है । केवल वैध लाइसेंस ही स्वीकार किये जाते हैं और औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र जितना माल सप्लाई कर देता है उस हद तक वे लाइसेंस सीधे आयात के लिये वैध नहीं रहते । यह योजना स्वैच्छिक है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के कदाचार के विषय में जानकारी है । आयातित माल के अभिकथित दुरुपयोग की शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

Shri M. C. Daga : You have said that although you are aware but you cannot take any action. Licences for raw material are being taken and they are being sold in black market.

Mr. Speaker : Please put your question,

Shri M. C. Daga : My question was as to what steps Govt. propose to take in this direction. In the reply he has said that people import after taking licence, but no production is done. So what Government propose to counter it ?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member did not hear. In the second part, I have said that legal action is taken against those who do not use the raw material as per the conditions of import. If he is interested I can place on the Table a list of about 700 or 800 such people against whom such actions has been taken. Action is taken against such persons. They are fined and Jailed even, what else can we do ?

श्री एस० एन० मिश्र : आयातित माल के लिये राज्य व्यापार निगम माल पहुंचाने पर लागत पर कितना अधिभार वसूल करता है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह विभिन्न प्रकार के माल पर भिन्न भिन्न हैं। राज्य व्यापार निगम कुछ मुनाफा लेता है। यह लाभ सरकारी कोष में जाता है।

श्री जी० विश्वनाथन् : अनेक लघु उद्योग एकक सम्बन्धित अधिकारियों से लायसेंस प्राप्त करने के पश्चात माल के लिये वर्षों तक राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वार पर प्रतिक्षा करते हैं। उन एककों को तुरन्त माल की सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : उन्हें लायसेंस दिये जाते हैं और सामान उपलब्ध होने पर ही उनके नाम खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को भेजे जाते हैं। यदि सामान न हो तो हम लायसेंस ही जारी नहीं करते और यदि माल के आने में 6 या 8 सप्ताह लगते हों तो हम लायसेंसों की अवधि उस समय तक बढ़ा देते हैं। हां जिन्हें लायसेंस तो मिल गया, उन्हें माल अवश्य मिलेगा। मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया जहाँ लायसेंस तो मिल गया हो, परन्तु माल नहीं मिला हो। परन्तु ऐसे मामले अनेक हैं कि लायसेंस ले लिया परन्तु माल नहीं लिया।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that complaints were received and action was taken against about 800 persons. May I know whether this action includes cancelling the licences also ? Secondly, have you received such complaints also that those who take licences do not do anything themselves but sell them away ? What action has been taken against such people ?

Shri L. N. Mishra : The same thing I was telling that selling away the licences or selling away the goods on profit is a legal offence and action is taken against such persons. Not only 800, there are so many such people. At present I have the list of these people only. If you want, I may place it on the Table so that the hon. Members may remove their doubts.

Shri Phool Chand Verma : May I know the criteria fixed for issuing such licences and whether people are getting licences as per these criteria and also whether any complaint has been received in this connection ?

Shri L. N. Mishra : These licences are given to those actual users who import the material and manufacture goods out of it,

Shri K. S. Chavda : Is it true that the S. T. C. imports Folic Acid at the rate of Rs. 700 a Kilogram but sells it at Rs. 1400 a Kg. ? Do they take so much profit, if so would the Government reduce it ?

Shri L. N. Mishra : I have no information of it but I would say that many a time it is said here that the S. T. C. makes profit......(*Interruptions*) not much—comparitively—their goods are cheaper than those available from other sources; and it is also true that—the S. T. C. makes profits because it is our policy that they may earn profits since this money goes to the ex-cheaquer.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि जब कार्यकुशल व्यापारियों को लायसेंस दिये जाते हैं तो बड़े बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि उनके द्वार पर आते हैं और ये लायसेंस बिक जाते हैं, यदि हां तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रबंध किये गये हैं कि केवल लायसेंसधारी ही इनका उपयोग करें तथा अन्य व्यापारियों को ऐसा न करने दिया जाये ?

श्री एल० एन० मिश्र : अनेक ऐसे मामले हुए हैं जहां लायसेंस लेने वालों ने उनका उपयोग नहीं किया और उनको काले बाजार में बेच दिया है। ऐसे मामलों में पहले तो लायसेंस रद्द कर दिये जाते हैं और फिर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

मुख्य मार्गों (ट्रंक रूट) पर चलने वाली रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयन डिब्बों की व्यवस्था

*257. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख्य मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयन डिब्बों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ट्रंक मार्ग की कुछ गाड़ियों में पहले से ही दूसरे दर्जे के शयन यानों की व्यवस्था है ।

Shri R. P. Yadav : The hon. Minister has stated that there are II class sleeping coaches on some routes, would he like to have this facility on other routes also ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Out of 110 sleeper-coaches which we propose to manufacture this year, 45 would be distributed to different railways when they are ready.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उनका विचार राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित 3–टायर स्लीपर डिब्बे जोड़ने का है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ऐसें किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे खुशी है कि कुछ ट्रंक रेल मार्गों पर रेल गाडियों में द्वितीय श्रेणी स्लीपर डिब्बों की व्यवस्था की गई है। परन्तु क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि वहां ऊपर की सीट सभी प्रकार के व्यक्तियों का भार सहन करने के योग्य है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ऊपर की सभी बर्थ इतनी मजबूत हैं कि वे किसी भी सामान्य मानव का भार सहन कर सकती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली जंक्शन पर कश्मीर मेल में पाये गये विस्फोटकों के बारे में जांच

*241. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री दिल्ली जंक्शन पर कश्मीर मेल में विस्फोटकों के पाये जाने के बारे में 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुफिया पुलिस विभाग, अपराध शाखा, दिल्ली ने इस बीच इस मामले की जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि हां तो उनके नाम और ब्यौरा क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।

(ख) अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सोवियत संघ और यूरोपीय देशों को तम्बाकू का निर्यात

*245. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों और सोवियत संघ को तम्बाकू का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम तम्बाकू का निर्यात रुपयों की अदायगी वाले देशों को सीधे करता है अथवा उनके आर्डरों को गैर-सरकारी संगठनों को दे देता है;

(ग) कौनसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से रुपयों की अदायगी वाले देशों को आर्डर के अनुसार तम्बाकू का निर्यात किया जाता है; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ऐसे संगठनों को तम्बाकू की खरीद के लिए अग्रिम धन देता है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) सभी स्थानों को निर्बाध रूप से तम्बाकू का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। राज्य व्यापार निगम भी रुपये में भुगतान करने वाले देशों को सीधे ही तम्बाकू का निर्यात कर रहा है परन्तु सप्लाई की व्यवस्था गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

उत्तर रेलवे में क्रय अधिकारियों का कार्यकाल

*246. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने क्रय अधिकारी गत 5 वर्षों से भी अधिक अवधि से दिल्ली में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या ऐसे पदों के लिए किसी प्रकार का कार्यकाल निर्धारित है और यदि हां, तो कितना ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पांच वर्ष से अधिक की अवधि से एक क्रय अधिकारी दिल्ली में काम कर रहा है।

(ख) इस पद की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है।

दक्षिण गुजरात को कोयले के वैगनों की सप्लाई

*249. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के अध्यक्ष ने हाल ही में यह वक्तव्य दिया था कि रेलवे द्वारा कोयले के वैगनों की सप्लाई में दुर्व्यवस्था होने के कारण दक्षिण गुजरात में बहुत से उद्योगों के बन्द होने का खतरा है;

(ख) क्या उन्होने इस सम्बन्ध में किसी जांच की मांग की है ; और

(ग) क्या रेलवे उन्हें और वैगन सप्लाई करने पर सहमत हो गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) दक्षिण गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, सूरत के अध्यक्ष से 15-1-72 और 2-3-72 को दो तार प्राप्त हुए थे जिनमें दक्षिण गुजरात को कोयले/कोक की ढुलाई कम होने के कारण मिलों के बन्द हो जाने की आशंका व्यक्त की गयी थी। उद्योगों के लिए कोयले के लदान में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस कोयले का स्टाक कम था।

2. वाणिज्य मण्डल के अध्यक्ष ने इस मामले में किसी तरह की जांच करने की मांग नहीं की थी। तथापि उन्होंने रेल मंत्री के साथ साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया था जिसकी व्यवस्था 24-3-72 को की गयी थी और उन्हें स्थिति बता दी गई थी।

3. दक्षिण गुजरात को भेजे गये कोयले के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । गुजरात में स्थित उद्योगों के नवम्बर, 1971 से फरवरी, 1972 तक के दौरान कुल जितना कोयला भेजा गया वह पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान भेजे गये कोयले से काफी अधिक था। कपड़े के कारखानों और कपास ओटने के उद्योगों को नवम्बर, 1971 से फरवरी,. 1972 तक की अवधि में जितना कोयला भेजा गया वह भी पिछले दो वर्षों की इसी अवधि में भेजे गये कोयले से अधिक था।

4. यद्यपि इस वर्ष लदान अधिक मात्रा में हुआ है फिर भी प्रायोजित मांग में सहसा बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण मांग की पूर्ति का प्रतिशत कम रहा। मांग प्रायोजित करने वाले प्राधिकारियों को कहा गया है कि वे उद्योगों की कम से कम वास्तविक मांगों को ही प्रायोजित करें।

5. लदान को और तेज करने के लिए रेल प्रशासन पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

सरकार द्वारा कपड़े का निर्यात व्यापार अपने हाथ में लेना

*250. **डा० रानेन सेन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपड़े का निर्यात व्यापार अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) सरकार वस्त्र का निर्यात व्यापार सरकारी क्षेत्र के भाग को बढ़ाने की सरकारी नीति के अनुसार ही अपने हाथ में लेने के बारे में विचार कर रही है और इस विषय की जांच करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त संगठन के विषय में सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

चमड़े के जूतों और चप्पलों का निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय

*252. **श्री के० मालन्ना** :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमड़े के जूतों और चप्पलों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इस सम्बन्ध में किए गए उपायों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने जूतों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

1. कानपुर में तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना की गई है जो संवर्धनात्मक कार्य करेगी, जैसे कि विदेशी बाजारों का दौरा

करने के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडल और विक्रय तथा अध्ययन दल प्रायोजित करना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने और नये निर्यातकों का मार्गदर्शन करना।

2. इकाई मूल्य में वृद्धि हासिल करने के लिये कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों पर बकरियों की चमड़ियों के कोटे को छोड़कर, जिसे उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है और 1973–74 तक इस मद के लिये होने वाले निर्यात भी एकदम बन्द कर दिये जाने की सम्भावना है, लगभग पूर्णतः रोक लगा दी गई है।

3. कच्ची खालों औरे चमड़ियों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है। यह देश में कच्ची खालों और चमड़ियों की पूर्ति बढ़ाने तथा बेहतर किस्म की चमड़ियों की खपत पर दबाव कम करने में सहायक होगी जिससे वे निर्यात के लिये मिल सकेंगी।

4. मुर्ग दाड़ी की छाल, मुर्ग दाड़ी निस्सारण तथा कमाने से सम्बन्धित अन्य छाल का आयात भी खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन ले दिया गया है।

5. चमड़ा उद्योग को एक प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया है और अतः अब यह अपने पसंद के स्रोतों से आवश्यक माल के आवंटन के मामले में प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार का पात्र बन गया है।

6. आयातित उद्भव के माल की कमी को पूरा करने के लिये 15 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अनुमति है।

7. चमड़े के जूते के निर्यात पर शुल्क की वापसी की योजना को युक्तियुक्त बनाया गया है और वर्तमान सामान्य दर 4.5 प्रतिशत है।

8. चमड़े के जूतों और उनके संघटक पर 1–2–1971 से चुकाये गये भाड़े पर 50 प्रतिशत तक हवाई भाड़ा इमदाद दी जा रही है परन्तु इसे पोतपर्यन्त मूल्य के 10 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

पाकिस्तान के साथ परोक्ष रूप से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध

*254. **श्री पी० गंगादेव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ परोक्ष रूप से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अपने पिछले आदेश को पुनः जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय लेने के क्या है ; और

(ग) इस निर्णय से भारत के व्यापार को क्या लाभ होगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) पाकिस्तान के साथ अप्रत्यक्ष व्यापार पर लगी रोक 11 फरवरी, 1972 को हटा ली गयी थी ।

(ख) भारतीय जहाजों, हवाई जहाजों तथा सामान को रोकने तथा कब्जे में लेने की व्यवस्था करने वाले पाकिस्तान सरकार के अध्यादेश को उनके द्वारा वापिस लिये जाने पर यह निर्णय एक पारस्परिक उपाय के रूप में किया गया है ।

(ग) इससे अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार सुकर बनेगा और दो अलग-अलग मार्गों से माल के यातायात के परिणामस्वरूप आने वाली लागत में बचत होगी ।

कमला नदी तटबाग का बढ़ाया जाना

*258. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की;

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ इस बारे में कोई मतैक्य था कि बिहार के दरभंगा जिले में कमला नदी के तटबांधों को जयनगर से आगे नेपाल में सोमापानी तक बढ़ाया जायेगा;

(ख) क्या कमला नदी के नेपाली क्षेत्र में जल-प्लावन होने पर भारत में भी तटबांधों के दोनों ओर क्षति होती है; और

(ग) यदि हां, तो सीसापानी तक तटबांधो को बढ़ाने के कार्य के आरम्भ में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) नेपाल सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि बिहार में कमला तटबन्धों का विस्तार जयनगर के परे नेपाल क्षेत्र में विर्चिया तक कर दिया जाए । प्रस्तावित स्कीम के अन्तर्गत, भारत-नेपाल सीमा और कमला पूर्वी तथा पश्चिमी नहरों के बीच भारतीय क्षेत्र में ही लगभग 64 वर्ग किलोमीटर को सुरक्षित करना था और नहर के तटों में दरारों को रोकना तथा जयनगर वीयर के ऊपर से पानी के प्रवाह को रोकना था ।

राज्य सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक स्कीम को क्रियान्वित किया जाए जिसके अन्तर्गत पश्चिमी कमला नहर के दाएं किनारे को और पूर्वी कमला नहर के बाएं किनारे को मजबूत करना हैं ताकि वे बाढ़ तटबन्धों का काम दें, और नहर के तटों में दरारों को रोकने के लिये पर्याप्त क्रास ड्रेनेज कार्यों का निर्माण करना है और नहरों तथा वर्तमान तटबन्धों के बीच सिंचित क्षेत्रों की सुरक्षा करना है । नेपाल क्षेत्र में तटबन्धों के विस्तार पर विचार करने से पूर्व इन कार्यों का प्रभाव देखने का विचार है ।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा पैरिस में चलाई जा रही 'सोना शॉप'

*259. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैरिस में हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात निगम द्वारा चलाई जा रही 'सोना शॉप' से एक बड़ी धनराशि को चुरा लिए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या घटनास्थल पर जांच करने के लिए किसी अधिकारी को विशेष रूप से पैरिस भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) पेरिस में सोना दुकान के महाप्रबंधक ने सूचित किया है कि 1970-71 के अंत में, बहियों में लिखे स्टाक के आँकड़ों तथा वास्तविक स्टाक सत्यापन में विसंगति होने के परिणामस्वरूप, जहाज पर मूल्य के आधार पर 61,050 रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है ।

(ख) महाप्रबंधक (वित्त) से, जो यूरोप में हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के कार्यालयों के निरीक्षण दौरे पर थे, इस विषय की जांच करने के लिये कहा गया था ।

(ग) इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहाज पर मूल्य के आधार पर 61,050 रुपये की राशि का अंतर पैरिस में दो वर्ष के वाणिज्यिक कार्य के फलस्वरूप पड़ा है। यह राशि इन दो वर्षों में हुए कुल माल के व्यापार का 3.8 प्रतिशत है । इस कारण कपड़े की बिक्री में नापने के कारण होने वाली कमी, जो की एक सामान्य बात है तथा दुकान से होने वाली वे छुटपुट चोरियां हैं, जो न्यूयार्क तथा पैरिस में खतरा बन गई हैं । क्योंकि यह राशि बिक्री कीए गए माल के कुल मूल्य का मुश्किल से 3.8 प्रतिशत है और दुकान से चोरी से उठाये गये माल तथा कपड़े को नापने के कारण होने वाली कमी के लिए, जो सामान्य बात है किसी पर भी उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता, इसलिए कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

सांताक्रूज बम्बई में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*260. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांताक्रूज, बम्बई में निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने निर्बाध क्षेत्र से निर्यात का क्या लक्ष निर्धारित किया है; और

(ग) वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के लिये व्यापारियों को क्या सुविधायें देने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक यंत्रों तथा संघटकों के लिये एक निर्यात क्रिया क्षेत्र स्थापित करने की एक प्रस्थापना, इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

पालामऊ (बिहार) में विद्युत संयंत्र लगाना

1807. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या कारखानों को बिजली सप्लाई करने के लिये सरकार का विचार पालामऊ (बिहार) में विद्युत संयंत्र लगाने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : बिहार के पालामऊ जिले में विद्युत संयत्र के प्रतिष्ठापन के लिये अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, दशाब्दी योजना (1971-81) में पालामऊ जिले में दशाब्दी के उत्तरार्ध में कार्यान्वियन के लिए 720 मेगावाट की कोयला कारों जल-विद्युत परियोजना की परिकल्पना है।

केरल में नारियल जटा उद्योग के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता

1808. **श्री वयालार रवी** :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये सरकार का विचार कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अध्ययन दल की अधिकांश सिफारिशें, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लीं गई हैं, क्रियान्वित की जा रही हैं और 1.57 लाख रु० के लागत की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। विकास सम्बन्धी योजनाओं तथा अन्य सिफारिशों के बारे में जांच की जा रही हैं।

(ख) आसान शर्तों पर 1.5 करोड़ रु० के ऋणके लिये केरल सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

केरल में रेल-मोटर पुलों का निर्माण

1809. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल-मोटर पुलों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैलूनों में यात्रा

1810. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री 16 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सी० एम० ई० और सीनीयर डी० जी० एम० 24 नवम्बर, 1971 और 25 नवम्बर, 1971 को अजमेर आये थे;

(ख) क्या इन अधिकारियों ने बम्बई से अजमेर तक विशेष सैलूनों में यात्रा की थी और यदि हां, तो उनके सैलूनो को अजमेर आते और वहां से जाते हुए किन-किन गाड़ियों के साथ जोड़ा गया था;

(ग) क्या अजमेर में अधिकारियों के लिये पृथक विश्राम-गृह है; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों ने विशेष सैलूनों में कौन कारणों से यात्रा की थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई से अजमेर और वापसी की यात्रा का अधिकांश भाग गाड़ी सेवाओं में तय किया गया और शेष निरीक्षण डिब्बे में न कि सैलून में । पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक का निरीक्षण डिब्बा 72171 अप और 69 अप और मुख्य यांत्रिक इंजीनियर का निरीक्षण डिब्बा 4 डाउन/ 3 अप एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा ले जाया गया ।

(ग) जी हां।

(घ) बम्बई और अजमेर के बीच बहुत से स्थानों पर रेलवे कारखानों, डिपो, शैडों और स्टेशनों आदि का निरीक्षण करने के लिए।

बिहार में कोयल नदी परियोजना

1811. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सोन बांध पद्धति के अन्तर्गत जितने क्षेत्र के लिए अनुमति दी थी, बिहार सरकार उस क्षेत्र को बढ़ा रही है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उत्तरी कोयल नदी के संबंध में एक परियोजना भी केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्तरी कोयल परियोजना से सोन उच्च स्तरीय नहर क्षेत्रों को सप्लाई की अनुपूर्ति करने के अलावा, नये क्षेत्रों की सिंचाई करने का प्रस्ताव है । इस परियोजना की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में जांच हो रही है ।

बिहार में सोन बांध को नया रूप देना और इन्द्रपुरी में नये बांध का निर्माण

1812. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी मास में केन्द्रीय सरकार को इस आशय की सूचना भेजी थी कि सोन नदी का पानी बिजली पैदा करने के लिए टोन्स घाटी में डाला जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान सोन बांध और नहरों को नया रूप देने और बिहार में इन्द्रपुरी में एक नया बांध और ऊंचे स्तर वाली नहर के निर्माण संबंधी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जनवरी, 1963 में मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी कि वे विद्युतजनन और सिंचाई के लिए सोन के जल को टोंस घाटी में व्यपवर्तित करने का विचार कर रहे हैं ।

(ख) सोन-नहर प्रणाली को नया रूप देने और पुरानी बंधिका (वियर) के स्थान में एक नये बराज के बिहार सरकार के प्रस्तावों को 1960 में मंजूरी दी गई । सोन उच्च स्तरीय नहर परियोजना की मंजूरी 1968 में दी गई ।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें सोन के जल के संबंध में अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी है । मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्रियों के साथ और विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

रेलवे अधिकारियों के लिये अलग डिब्बे

1813. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विभागों के अधिकारियों के समान रेलवे के अधिकारियों को, जब वें यात्रा करते हैं, नियमित रूप से यात्रा भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों के लिए अलग डिब्बे देने के लिए कोई विशेष कारण है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलवे अधिकारियों को, जब वे दौरे पर जाते हैं, रेलवे नियमों के अंतर्गत यात्रा भत्ता दिया जाता है । उनके यात्रा भत्ते में दो तत्व होते हैं अर्थात् पास नियमों के अधीन रेल यात्रा के लिए मुफ्त पास और मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, जिसमें बाहर के स्टेशनों पर ठहराव भी शामिल है, निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भता । निरीक्षण यान में यात्रा करने के लिए, बोर्ड के सदस्यों (रेलवे बोर्ड के वित्त आयुक्त और अध्यक्ष सहित) को यात्रा की अवधि का दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता, जबकि बोर्ड के सदस्यों के पद से नीचे के अन्य अधिकारियों को यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ता दिया जाता है । रेलों पर जो यात्रा भत्ता नियम लागू हैं वे सिविल विभागों पर लागू रहने वाले यात्रा भत्ता नियमों के समान नहीं है ।

रेलवे के परिचालन और प्रबन्ध के लिए लाइन के साथ-साथ बहुत लम्बी दूरी तक रेलवे स्टेशनों, महत्वपूर्ण संस्थानों और उपस्करो का गहन, वारम्वार और स्थल पर ही निरीक्षण करना होता है । रेलवे परिचालन की संरक्षा और कुशलता के लिए इस प्रकार का निरीक्षण दिन और रात में हर समय करना पड़ता है जिसमें अचानक जांच, चलती हुई माल गाड़ियों की जांच, गति की जांच, सिग्नलों का निरीक्षण आदि भी शामिल है । निरीक्षण यानो की व्यवस्था कर देने से अधिकारी मालगाड़ियों सहित विविध गाड़ियों से दिन और रात में किसी समय यात्रा कर सकते हैं, जो अन्यथा सम्भव न होता भले ही समस्त रेलवे लाइन के साथ-साथ समान दूरी पर बहुत बड़ी संख्या में

विश्रामालय बनवा दिये जायें। निरीक्षण यान, दौरे के समय, निवास और कार्यालय दोनों ही का काम भी देते हैं जहां अधिकारी मुख्यालय से दूर होने पर भी कार्यालय सम्बन्धी सामान्य कार्य करते हैं। इन निरीक्षण यानों में अधिकारी मालगाड़ियों से रात भर में यात्रा कर सकते हैं और दिन में निरीक्षण का काम कर सकते हैं जिससे बहुमूल्य समय की बचत होती है।

केरल में कबाड़ (स्क्रैप) डिपो (दक्षिण रेलवे)

1814. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुल कितने कबाड़ (स्क्रैप) डिपो हैं;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे में इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केरल में कोई नए कबाड़ (स्क्रैप) डिपो खोले जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कुछ नहीं।

(ख) दो अतिरिक्त कबाड़ डिपो खोलने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। केरल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोदनूर में, जो केरल की सीमा के समीप है, एक कबाड़ डिपो खोलने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

नारियल जटा के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये प्रतिनिधिमंडल

1815. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल ने यूगोस्लाविया और अन्य देशों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल की बातचीत का विवरण क्या है और क्या नारियल जटा के निर्यात को बढ़ाने सम्बन्धी कोई निश्चित प्रस्ताव सामने आया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। दो सदस्यों के एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने यूगोस्लाविया तथा पश्चिमी जर्मनी का दौरा किया था।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने निर्यात-आयात उद्यमों के साथ बातचीत की। निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

बिहार में बिजली की कमी

1816. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बिजली की बहुत कमी है और बिजली फैल होने की घटनाओं की संख्या चिन्ताजनक सीमा तक पहुंच चुकी है ;

(ख) बिहार के अधिकांश जिलों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े सिद्ध होने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार वहां बिजली का उत्पादन बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चूंकि बिहार में विद्युत् की मौजूदा मांग की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठापित विद्युत्-जनन क्षमता पर्याप्त है, इसलिए राज्य में विद्युत् की व्यापक कमी नहीं हैं। बहरहाल, प्रेषण और वितरण जाल-कार्य की अपर्याप्तता और फेडरो के अतिभारित होने के कारण, विद्युत् की खराबी होती तो है, लेकिन वह बहुत चिन्ताजनक सीमा तक नहीं होती ।

(ख) और (ग) 1972–77 की अवधि के दौरान, विद्युत-जनन और प्रेषण सुविधाओं में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है । बिहार के दक्षिण और उत्तर दोनों ही भागों में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रमशः पहले से ही निष्पादनाधीन हैं :—

(1) पतरातू ताप-विद्युत् केन्द्र 6 ठा यूनिट	=1× 100 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(2) पतरातू ताप विस्तार	=2× 110 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(3) सुवर्ण रेखा जलविद्युत् परियोजना	==2× 65 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(4) बरौनी ताप विस्तार	=1× 100 मेगावाट	(उत्तर बिहार)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1972–77 की विद्युत् विकास योजना में निम्नलिखित विद्युत्-जनन स्कीमें परिकल्पित है :–

(1) पतरातू ताप विस्तार	=1× 110 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(2) दामोदर घाटी निगम में विस्तार	=640 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(3) तेनूघाट परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	=400 मेगावाट	(दक्षिण बिहार)
(4) मुजफ्फरपुर तापविद्युत् केन्द्र	=2× 110 मेगावाट	(उत्तर बिहार)

दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार के सापेक्ष पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर बिहार और उत्तर बंगाल की विद्युत् की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गंगा के उत्तर में किसी स्थान पर एक विशाल तापविद्युत् केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रेषण-प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट की कई प्रेषणलाइनों का प्रस्ताव रखा गया है ।

अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करना

1817. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स, आजादपुर, दिल्ली के कुछ कर्मचारियों की सेवाएं नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा समाप्त कर दी गई हैं, जिन्होने इस मिल को हाल ही में अपने नियंत्रण में ले लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में किन कारणों से ऐसा किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संसद् भवन में चाय और काफी बोर्ड केन्द्रों को दूध की सप्लाई

1818. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् भवन में चल रहे चाय बोर्ड और काफी बोर्ड केन्द्रों को दूध सप्लाई किस एजेंसी द्वारा की जाती है और उसकी शुद्धता किस प्रकार से जांची जाती है ;

(ख) इस जांच से कितनी बार स्तर में कमी का पता चला है ; और

(ग) इन प्रतिष्ठानों में दूध की सप्लाई की किस्म को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) संसद् भवन में चाय बोर्ड तथा काफी बोर्ड की बारों तथा बकरों में प्रयोग किये जाने वाला दूध दिल्ली दुग्ध योजना से प्राप्त किया जाता है, जो भारत सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत एक अभिकरण है । दूध की क्वालिटी की जांच दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त काफी बुफ दूध की कुछ मात्रा पब्लिक मिल्क सप्लाई करोल बाग नई दिल्ली से प्राप्त करता है । जो कि उत्तम दूध सप्लाई करने वाली एक सुप्रसिद्ध संस्था है । इस दूध की क्वालिटी की जांच कर्मचारियों द्वारा की जाती है जो अपने अनुभव से खराब दूध को अस्वीकृत कर देते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना से दूध ढ़क्कन बन्द बोतलों में प्राप्त होता है । स्तर में कमी के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन पर व्यय

1819. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान, भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा जोन–वार कुल कितने मामलों का पता लगाया गया और उनकी जांच की गई;

(ख) न्यायालय में कितने मामले ले जाये गये और उनमें से कितनो में दोष सिद्ध हुआ कितनों में नहीं;

(ग) कितने मामलों में विभागीय जांच की गई और उनमें से कितनों में दोष सिद्ध हुआ, कितनों में दोष सिद्ध नहीं हो सका और कितने मामलों को त्याग दिया गया ;

(घ) भाग (क) में निर्दिष्ट मामलों में से (ख) और (ग) में उल्लिखित जांच द्वारा कितने कितने प्रतिशत मामलों में दोष सिद्ध हुआ ; और

(ङ) 1971 के दौरान भारतीय रेलों के सतर्कता संगठन पर वेतन तथा सभी प्रकार के भत्तों सहित कुल कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे से माल डिब्बों की मांगें

1820. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के पृथक्–पृथक् प्रत्येक डिवीजन में 29 फरवरी, 1972 को माल-डिब्बों की सप्लाई के लिये कुल कितने मांग-पत्र बकाया थे;

(ख) भारतीय रेलवे में पड़े सबसे पुराने मांग-पत्र किस तारीख के हैं तथा उन्हें पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापारियों से प्राप्त हुई माल-डिब्बों की मांगों को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पूर्व रेलवे में 29-2-72 को बकाया सबसे पुराना मांगपत्र 15-10-70 को पाकुर से पत्थर यातायात के लिए दर्ज किया गया था । पाकुर स्टेशन पर पत्थर के लिए मांगपत्रों का भारी संख्या में पंजीकरण बकाये के इस पुरानेपन का मुख्य कारण है । इस स्टेशन पर पत्थर यातायात के लिए 37,726 माल डिब्बों के लिए मांगपत्र बकाया थे जो बहुत बढा चढ़ा कर दिये गये थे ।

विविध समाज विरोधी गतिविधिओं के कारण देश के पूर्वी अंचल में रेल सेवाओं में विभिन्न गड़बड़ियों के फलस्वरूप 1971-72 में सामान्य माल यातायात की निकासी पर गंभीर प्रभाव पड़ा । लगभग 20,000 माल डिब्बे रुके पड़े रहे जिससे माल डिब्बों की आम कमी हो गयी । शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य सामग्री की बहुत अधिक ढुलाई और विभिन्न सैनिक गतिविधियों के कारण स्थिति और अधिक गम्भीर हो गयी। व्यापारियों द्वारा मांगपत्रों की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दर्ज करायी गयी थी क्योंकि रेलों ने बिना कोई सीमा निर्धारित किये मुक्त रूप से मांगपत्रों के पंजीकरण की अनुमति दे दी थी । स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ बकाया मांगों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

रेलवे	मंडल	29-2-72 को बकाया मांग पत्रों की संख्या
1	2	3
मध्य	बम्बई	1,613
	भुसावल	2,963
	नागपुर	9,044

1	2	3
	जबलपुर	29,473
	झांसी	11,156
पूर्व	हवड़ा	33,275
	आसनसोल	279
	दानापुर	98
	धनबाद	4,142
	सियालदह	772
उत्तर	इलाहाबाद	5,906
	दिल्ली	8,298
	फिरोजपुर	4,419
	लखनऊ	54
	मुरादाबाद	2,094
	बीकानेर	1,821
	जोधपुर	19,995
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	27,213
	लखनऊ	8,363
	बनारस	294
	समस्तीपुर	2,730
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	6,052
	अलीपुरदुआर	9,742
	लमडिंग	6,194
	तिनसुकिया	482
दक्षिण	मद्रास	2,262
	औलवक्कोड	1,921
	गुंतकल्लु	1,808
	मैसूर	491
	तिरुच्चिरापल्ली	443
	मदुरै	1,027
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	3,235
	विजयवाडा	5,001
	शोलापुर	483
	हुबली	1,545

1	2	3
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	2,018
	खोरधा रोड	2,111
	वाल्तेरु	6,649
	आद्रा	116
	चकधरपुर	6,452
	बिलासपुर	62,218
	नागपुर	10,302
पश्चिम	बम्बई	2,121
	बड़ौदा	49,970
	रतलाम	11,045
	कोटा	12,931
	जयपुर	8,196
	अजमेर	46,232
	भावनगर	13,612
	राजकोट	26,684

उड़ीसा में खारे पानी के फैलाव को रोकने के लिए योजना

1821. **श्री बक्शी नायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार ने खारे पानी के फैलने को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : ज्वारीय बाढ़ों और खारे पानी में जमीन के डूब जाने के प्रति तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार को कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ।

सरकारी क्षेत्र के सिंचाई उपक्रमों की प्रगति

1822. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के सिंचाई उपक्रमों के वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के कार्य के राज्यवार क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या हाल ही में कुछ राज्यों ने सिंचाई के पानी की दरें बढ़ा दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) भारत में सिंचाई कार्यों की 1966–67 तक की वित्तीय विवरणियों को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा संकलित किया गया है। 1966–67 के लिए राज्यवार कार्यकारी परिणामों को उपाबंध-एक में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1635/72]

बाद के वर्षों से संबंधित पूरी सूचना अभी राज्य सरकारों और महालेखाकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) 1971 में गुजरात राज्य ने सूचित किया था कि उन्होंने जल-दरें बढ़ा दी हैं। इस चरण में मुख्य फसलों के बारे में बढ़ायी गई दरों को दिखाने वाला एक विवरण उपाबंध दो में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1635/72]

रेलवे में कर्मचारियों को बदलना

1823. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व रेलवे में समय-समय पर कर्मचारियों को बदलने की नीति अपनाई गई थी, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह नीति सभी रेलवे जोनों, विशेषकर उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में अपनाई जा रही है; और

(ग) यदी नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आवधिक स्थानान्तरण की योजना स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, वाणिज्यिक क्लर्कों, चल टिकट परीक्षकों, विशेष टिकट परीक्षकों और सवारी और शटल गाड़ियों का संचालन करने वाले गार्डों की कोटि पर लागू होती है । इस योजना के अन्तर्गत इन कोटियों के कर्मचारी सामान्यत: एक स्टेशन पर 5 वर्षों से अधिक नहीं रह सकते ।

(ख) 1972 के अन्त तक इस योजना को स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Value of Imported Cars

1824. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of cars imported during the last three years ; and

(b) the value of cars imported for the public sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Reward to Railway Employees for commendable work during Indo-Pak War

1825. **Shri Phool Chand Verma**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Railway employees who did commendable work during the last Indo-Pak war and whose work has been appreciated ; and

(b) a brief account of the work done by them ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) A statement is attached [Placed in the Library. See No. L. T. 1636/72]

Decline in employment in Textile Industry

1826. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Phool Chand Verma:

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the number of persons employeed in the textile industry has decreased in the year 1971 as compared to the year 1961;

(b) whether there has been a shortfall in the production of cloth during the said period ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) The daily average of labour on rolls in cotton textile industry during 1971 is much higher than in 1961. However, the daily average number of labour actually engaged in the industry during 1971 was less than the number in 1961. The reasons for this decline are:—

i) Inadequate supplies of cotton,

ii) Closures, and

iii) Financial difficulties of weaker mills.

The production of cotton cloth during 1971 is also lower than the production in 1961.

Efforts to increase production of cotton have been intensified and cotton crop for the season 1971-72 is expected to be higher by 7 lakhs bales over the previous cotton season. Cases of closed mills are being reviewed promptly and urgently with a view to taking steps to reopen them, wherever necessary and feasible by taking over under Industries (D and R) Act, 1951.

हथकरघा उद्योग में संकट

1827. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत का मूल्य बढ़ने के कारण हथकरघा उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को टालने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) रुई वर्ष (सितम्बर-अगस्त) 1970—71 के दौरान, स्वदेशी रुई की फसल कम थी। रुई की कीमतें अभूतपूर्व सीमा तक बढ़ी जिसके परिणाम स्वरूप सूत की कीमतों में भी वृद्धि हुई। सूती धागे के उत्पादन में 12 प्रतिशत गिरावट आई।

2. चालू वर्ष के दौरान रुई का उत्पादन अच्छा रहा है। 1970—71। में लगभग 53 लाख गांठों की अपेक्षा वर्तमान फसल का मोटे तौर पर 60 लाख गांठों के होने का अनुमान है। कोयम्बतूर में 25 दिन की हड़ताल और बांगला देश को बड़े पैमाने पर सूत की तस्करी होने के कारण सूत की कीमतें जनवरी—मार्च के पूर्वार्द्ध, 1972 में तेजी से बढ़ गई। उसके बाद, सूत की विभिन्न किस्मों में 3 प्रतिशत—14 प्रतिशत के बीच गिरावट आई है। कीमतों में और भी कमी होने की सम्भावना है।

3. स्थिति को सुधारने के लिये रुई वर्ष 1970—71 के दौरान फरवरी 1971 में एक यार्न पूल स्कीम चालू की गयी। विभिन्न राज्यों में उद्योग/हथकरघा निदेशकों के माध्यम से हथकरघा, शक्तिचालित करघा और हौजरी क्षेत्रों के लिये अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1970 में प्रचलित औसत कीमतों पर मुख्य किस्मों के सूत की पूर्तियों का प्रबन्ध किया गया। इस स्कीम की अवधि को पुनः 31 मई, 1972 तक बढ़ा दिया गया है।

Scheme to provide Jobs in Textile Industry

1828. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the number of workers engaged in the textile industry has decreased in 1971 as compared to the number in 1961 ;

(b) if so, the reasons therefor :

(c) whether Government have under their consideration any scheme to provide jobs to theses unemployed workers ; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (d) The daily average of labour on rolls in cotton textile industry during 1971 is much higher than in 1961. However, the daily average number of labour actually engaged in the industry during 1971 was less than the number in 1961. The reasons for this decline are:—

i) Inadequate supplies of cotton,
ii) Closure, and
iii) Financial difficulties of weaker Mills.

Efforts to increase production of cotton have been intensified and cotton crop for the seasons 1971-72 is expected to be higher by 7 lakhs bales over the previous cotton season. Cases of closed mills are being reviewed on an urgent basis with a view to taking steps to reopen them wherever necessary and feasible by taking over under Industries (D & R) Act, 1951.

नाइजीरिया में सीमेंट कारखाना लगाना

1829. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड ने नाइजीरिया में एक सीमेंट कारखाना लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। मैसर्स जयपुर उद्योग लि० ने नाइजीरिया में कोई कारखाना स्थापित नहीं किया है। फिर भी, जो मैसर्स जयपुर उद्योग (नाइजीरिया) लि० नाम से विख्यात एक कम्पनी नाइजीरिया में भारती अंशधारियों द्वारा निगमित की गई हैं जिनमें मैसर्स जयपुर उद्योग भी शामिल है। मैसर्स जयपुर उद्योग (नाइजीरिया) लि० नाइजीरिया सीमेंट कम्पनी अर्थात् उकपिला सीमेंट क०, जो नाइजीरिया सरकार के स्वामित्व में है, के प्रबन्धक एजेंट हैं। प्रबन्ध करार 1–3–70 से पांच वर्ष की अवधि के लिये है परन्तु उसका आगे नवीकरण किया जा सकता है। करार के अधीन एजेंट तकनीकी जानकारी, कौशल आदि प्रदान करेंगे जिसके लिये उन्हें 10,000 नाइजीरिया पौण्ड की दर से वार्षिक प्रबन्ध शुल्क पाने का तथा तकनीकी कर्मचारियों पर व्यय की गई राशि वापस लेने का हक होगा।

गैर सरकारी क्षेत्रों में आयात लाइसेंसों का उपयोग न किया जाना

1830. **श्री बेकारिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी दोनों मदों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये गये आयात लाइसेंसों का कुछ उद्योगों ने उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं और लाइसेंसों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अलग-अलग आयात लाइसेंसों के उपयोग से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

जापान द्वारा खनिजों के भण्डार करना

1831. **श्री बक्शी नायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार लौह अयस्क, जस्ता, निकल, बाक्साइट, तांबा आदि के भण्डार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि डिलीवरी के चालू ठेकों के अन्तर्गत इन मदों के अतिरिक्त आयात को खपाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो जापान सरकार द्वारा इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने पर भारत को कितना लाभ होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार का ध्यान इस आशय के कुछ प्रेस सामाचारों की ओर दिलाया गया है कि जापानी सरकार लौह अयस्क खनिजों के

आयातों के संवर्द्धन के लिए अपनी विदेशी मुद्रा की बढ़ती हुई आरक्षित राशियों को उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ग) इस प्रकार की प्रस्थापना की क्रियान्विति से भारत से कुछ अयस्कों का निर्यात बढ़ सकता है ।

उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार

1832. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर वियतनाम को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने का निश्चय कर लेने के बाद, इस देश के साथ पुनः व्यापार आरम्भ करने के लिये निश्चित कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, ती इनकी मुख्य बातें क्या है ।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा वियतनाम के लोकतन्त्रीय गणराज्य के बीच पहले से ही एक व्यापार करार है किन्तु युद्ध की बिगड़ी हुई दशाओं के कारण अब तक व्यापार सम्पर्कों का क्षेत्र सीमित रहा है । स्थिति के सुधरने पर यह आशा की जाती है कि दोनों देशों के बीच सम्पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने से अच्छे व्यापार संबंध विकसित होने में सहायता मिलेगी ।

ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के बारे में राष्ट्रमंडल विदेश व्यापार मंत्रियों का सन्मेलन

1833 **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के प्रभाव के बारे में विचार करने के लिये राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का भारत का सुझाव मान लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पिछले सितम्बर में विदेश व्यापार मंत्री के लन्दन के दौरे के समय तात्कालिक तथा पारस्परिक हितों के मामलों, जैसे संरक्षणवाद से बढ़ती हुई आशंकाओं तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रमंडलीय व्यापार मंत्रियों की बैठक बुलाने की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रमंडलीय सचिवालय के महासचिव के साथ बातचीत की गई थी ।

27 जनवरी, 1972 को हुई राष्ट्रमंडलीय सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रमंडलीय व्यापार मंत्रियों को चाहिए कि बहुत देर न करते हुए जल्दी ही वे अपनी एक बैठक बुलाएं । बैठक के लिए अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है ।

लोह-अयस्क के निर्यात में कमी

1834. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971–72 में लोह-अयस्क का निर्यात लक्ष्यों से कम हुआ है ;

(ख) यदि यां, तो इसमें कितनी कमी रही ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 1971–72 में लोह-अयस्क का निर्यात 115·55 करोड़ रु० के संशोधित निर्यात लक्ष्य की तुलना में 112 करोड़ रु० मूल्य के होने का अनुमान है ।

(ग) इस कमी के मुख्य कारण थे, विश्व में इस्पात के उत्पादन में मंदी तथा भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देश में अस्थिर परिस्थितियों का होना ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभ्रक का निर्यात

1835. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अभ्रक का निर्यात करके एक नये क्षेत्र में प्रवेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम अभ्रक का निर्यात बढ़ायेगा तथा छोटे विदेशी खरीदारों को सीधे अभ्रक का निर्यात करने में निर्यातकों, माल साधित करने वाले तथा खान मालिकों की सहायता करेगा ।

(ग) निगम ने अभ्रक का निर्यात करना शुरू कर दिया है और विदेशी खरीदारों के साथ नए सौदों के लिए बातचीत कर रहा है ।

अमरीका को सर्जरी के औजारों का निर्यात

1836. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका को सर्जरी के औजारों का निर्यात करने सम्बन्धी सौदों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होगी ; और

(ग) इस समय ये औजार किन-किन देशों को निर्यात किए जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1970-71 तथा 1971-72 (अप्रैल, 71 से जनवरी, 72) के दौरान अमरीका को सर्जरी के औजारों के निर्यात निम्न प्रकार थे :—

1970–71	–	23,000 रु०
1971–72 (जनवरी) 72 तक	–	27,000 रु०

अमरीका को सर्जरी के औजारों के निर्यात के लिए कोई बड़े सौदे अन्तिम रूप से तय नहीं किये गये हैं।

(ग) भारत के सर्जरी के औजारों का बड़ा खरीदार सोवियत रूस है। अन्य देश, जिनको सर्जरी के औजारों का निर्यात किया गया है वे श्रीलंका, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, ईरान तथा इराक हैं।

समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण संबंधी प्रारूप विधेयक

1837. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को समुद्री उत्पाद निर्यात सम्वर्धन के लिए प्रस्तावित प्राधिकरण सम्बन्धी प्रारूप विधेयक के बारे में केरल सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यह प्रारूप राज्य सरकार को कब भेजा गया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित विधेयक के प्रारूप की एक प्रति केरल सरकार को 26/27 नवम्बर, 1971 को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ भेजी गयी थी कि यदि राज्य सरकार को कोई खास टिप्पणियां देनी हैं, तो उनके संबंध में तुरन्त सूचना दी जाये। अभी तक राज्य सरकार ने प्रारूप विधेयक पर कोई टिप्पणी नहीं भेजी है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू का क्रय-विक्रय

1838. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में इण्डिया लीफ टोबेको डेवलपमेंट कम्पनी ने कितनी तम्बाकू नमकीन और अस्वीकृत घोषित किया जिसे राज्य व्यापार निगम ने खरीद लिया;

(ख) यह तम्बाकू इस निगम द्वारा देश की किन पार्टियों को किस भाव पर बेचा गया; और

(ग) सरकार तम्बाकू के पौधे की बढ़ौतरी के विभिन्न चरणों में ही उसकी किस्म की जांच करने की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा इस प्रकार का कोई स्टाक नहीं खरीदा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तम्बाकू की किस्म का वर्गीकरण उपजकर्ता स्तर पर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

झरिया और रानीगंज कोयला खानों के लिये रेलवे माल डिब्बों की सप्लाई

1839. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान झरिया और रानीगंज कोयला खानों को कितने माल डिब्बे सप्लाई किये गये;

(ख) क्या अधिक माल डिब्बों के नियतन की मांग की गई थी और वह मंजूर हो गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पश्चिम बंगाल–बिहार कोयला क्षेत्रों के झरिया और रानीगंज खण्डों से लदान चालू वर्ष में बेहतर रहा है । चालू वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान इन खण्डों से लादे गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या, पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों की तुलना में नीचे दी गयी है :—

जनवरी–फरवरी, 1971	...	4,624 माल डिब्बे
जनवरी–फरवरी 1972	...	5,028 माल डिब्बे

(ख) लदान मांग किये गये माल डिब्बों की संख्या से कम था ।

(ग) सितम्बर में पूर्व रेलवे पर सवारी और माल डिब्बा कर्मचारियों की हड़ताल और उसके बाद विभिन्न समाज-विरोधी कार्रवाइयों के कारण गाड़ी सेवा में हुए भयंकर अवरोध के फलस्वरूप लगभग सितम्बर, 1970 से इन खण्डों से लदान में कमी हुई । अगस्त और सितम्बर में पूर्वोत्तर सीमा रेलों में लाइन की विस्तृत टूट-फूट से और बाद में आपातकालीन विशेष अभियानों के कारण अगस्त, 1971 से लदान में वृद्धि करने के प्रयासों में अड़चनें पड़ी ।

जनवरी, 1972 से रानीगंज और झरिया क्षेत्रों से दैनिक औसत लदान में वृद्धि हो रही है । जनवरी, 1972 में प्रतिदिन 4,995 माल डिब्बों में लदान हुआ जबकि दिसम्बर, 1971 में प्रतिदिन 4,753 माल डिब्बों में लदान हुआ था । फरवरी में प्रतिदिन 5,060 माल डिब्बों और मार्च में 29 तारीख तक 5,163 माल डिब्बों का लदान हुआ था ।

चैकोस्लोवाकिया के व्यापार मंत्री के साथ व्यापार-वार्ता

1840. **श्री पी० एन० मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने चैकोस्लोवाकिया के व्यापार मंत्री से, जो मार्च 1972 में भारत आये थे, बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या चैकोस्लोवाकिया के मंत्री ने यह कहा था कि उनके देश के साथ भारत के निर्यात व्यापार में काफी वृद्धि होने की गुंजाइश है; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) फरवरी-मार्च 1972 में चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के आंतरिक व्यापार उपमंत्री, परम श्रेष्ठ श्री एफ० रुजिक्का के नेतृत्व में चैकोस्लोवाकिया से एक क्रय प्रतिनिधि मंडल भारत में 15 दिन के लिये आया था और उसने इस दौरान उपभोक्ता वस्तुओं तथा अपरम्परागत मदों के अपने क्रय कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए अनेक स्थानों का दौरा किया। दिल्ली में ठहरने के दौरान प्रतिनिधि मंडल के नेता, परमश्रेष्ठ श्री रुजिक्का विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और उस समय दोनों देशों के बीच व्यापार के और विस्तार की गुंजाइश पर विचार किया गया था।

विधान-सभा निर्वाचनों के दौरान मत पेटियों और मत पत्रों का उठा ले जाया जाना

1841. **श्री पी० एन० मेहता** :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए विधान-सभा निर्वाचनों के दौरान कुछ स्थानों पर, कुछ अनधिकृत लोग मतपेटियां और मतपत्र उठा ले गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं और क्या ऐसे स्थानों पर पुन: मतदान करवाया गया था; और

(ग) क्या ऐसी घटनाएं सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) स्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। ऐसे सभी स्थानो पर पुन: मतदान करवाया गया था।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

उन स्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण जहां कुछ मतपत्रों/मत पेटियों को हाल ही में विधान सभा निर्वाचनों के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति उठा ले गए थे

बिहार

1. 120—एल० पी० स्कूल, पारेज, 30— दरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

2. 134–मिडिल स्कूल औरा (एन० डब्ल्यू०), 69– बेलसाण्ड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

3. 135–मिडिल स्कूल औरा (एस० डब्ल्यू०),

4. 21– एल० पी० स्कूल, सुदामपुर, 170–झाझा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

5. 53–भूसी चाक, 179–खड़गपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

6. 72–यू० पी० स्कूल, रूस्तमपुर, 237–घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

7. 107–एल० पी० स्कूल रूपनचाक, 26 –मीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

8. 108–एल० पी० स्कूल मठिया, 26–मीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

जम्मू और कश्मीर

9. 41– बगरूटा, 49–रामबन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।

10. 6–शालगाम, 14–अकुरा (38–दीज बिहारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

11. 5–औदूरा, 7–हारोल, 8–मनबल, 10–तीर्णतांत्रेय (6–हारील विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

12. 1–आदिपुरा (9–सोपोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

13. 8–पाएरपोरा (हैहमा), 11–बटपुरा –क, (2–कुपवारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ।)

14. 7–थन्दूसा (3–लोलाब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

15. 50–बटपुरा (22–हजरत बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

16. 1–जन्तराग (30– पम्पोर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

17. 25–लाटेर मस्जिद (20–सफकदल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) ।

Raising of Chambal Dam Water Level

1842. **Dr Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the present level of Chambal Dam (Gandhi Sagar Dam) located in Mandsaur District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, whether any survey is being conducted for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b) There is no proposal to raise the height or maximum water level of Gandhisagar dam. The surveys relate to the collection of relevant data in connection with forecasting floods, and to assist in the regulation of the reservoir to ensure that the maximum level is within the designed value.

देश में विद्युत उत्पादन का दस वर्षीय कार्यक्रम

1843. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विद्युत् उत्पादन के दस-वर्षीय (1971–81) कार्यक्रम को लागू करने के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : परियोजनाओं के लिए विस्तृत अन्वेषणों और अभिकल्पों के आधार पर ही धन-राशि का ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाएगा। ऐसी आशा है कि दशाब्दी के लिए विद्युत्-जनन पर परिव्यय 7,000 करोड़ रुपये होगा।

गुजरात निर्यात निगम द्वारा डीजल इंजिनों का निर्यात

1844. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट और जामनगर में बने डीजल इंजिनों के निर्यात के लिये गुजरात निर्यात निगम को 40 लाख रुपये के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या निगम खराद की मशीने वर्मे छिद्रक मशीनों और अन्य औद्योगिक मशीनों जैसे औजारों का निर्यात भी करेगा।

(ग) यदि हां, तो निगम द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने कि सम्भावना है; और

(घ) क्या अफ्रीकी तथा पश्चिमी एशियाई देशों से उक्त मशीनों के लिये भारत सरकार को प्राप्त क्रयादेश भी इसी निगम को दे दिये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) माल की पूर्ति के लिए क्रयादेश संघ सरकार को नहीं दिये जाते हैं।

स्टेपल फाइबर और धागे की कीमतों में वृद्धि

1845. **श्री प्रभुदास पटेल** :
श्री सरजू पांडे :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसने दक्षिणी गुजरात वाणिज्यिक और उद्योग मंडल के अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि उन्हें स्टेपल फाइबर और धागे की कीमतों में निरन्तर हो रही वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए ;

(ख) क्या युद्ध-पूर्व सत्र की अपेक्षा कीमतों में 25% की वृद्धि हो गई है जिससे छोटे जुलाहों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) तथा (ग) सरकार के बीच में पड़ने पर, स्टेपल रेशा धागे के कात्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक करार हो गया है जिसके अनुसार उत्तर भारत की मिलों का उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग उत्तर

प्रदेश, पंजाब तथा गुजरात के बुनकरों को सप्लाई किया जायेगा । दक्षिण भारत मिल्स संघ भी उत्पादन का 100 प्रतिशत सप्लाई करने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया है । मानव-निर्मित रेशा कत्तिन संघ द्वारा घोषित अधिकतम कीमतें सम्मत कोटे के भीतर इन दोनों क्षेत्रों के विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों को की जाने वाली पूर्तियों पर लागू हैं ।

2. युद्धोपरांत अवधि में उपरिलिखित प्रबंधों के अधीन इन क्षेत्रों के बुनकरों को सप्लाई किए गए स्टेपल रेशा धागे की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सितम्बर, 1971 के महीने में, कीमतों में मामूली सी वृद्धि हुई थी परन्तु यह वृद्धि सप्लाई कोटा की सम्मत प्रतिशतता से बाहर थी । परन्तु अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1971 के महीनों में कीमतें एक दम ऊंचे स्तर पर पहुंच गई जिसका कारण इन महीनों में ग्वालियर रेयन मिल्स में लगातार हड़ताल का चलते रहना था ।

Additional Power Supply to States

1846. **Dr. Sankata Prasad :**
Shri Khemchandbhai Chavda :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether certain States have requested for additional power ; and

(b) if so, the names of such States and the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power Shri B. N. Kureel) : (a) and (b) Some States, namely Gujarat and Maharashtra, are experiencing temporary shortage due to forced shut-downs of generating units as at Tarapur, Nasik, Trombay, etc. Andhra Pradesh and Uttar Pradesh are unable to meet the growing demand in the States as the power generation in these States is not adequate. Centre has arranged some power from Madhya Pradesh and Mysore to the interconnected Maharashtra-Gujarat power grid. Similarly, power from Madhya Pradesh and Bihar has also been arranged to relieve Uttar Pradesh to some extent and some power from Mysore to Andhra Pradesh. Thermal power from Delhi is also being fed into the Bhakra grid of the northern region to supplement the power supply to the States of Punjab and Haryana from Bhakra power station. As a long term measure, the Ministry of Irrigation and Power has prepared a programme of power development for the period 1972-77, which invisages an additional generating capacity of 17.7 million kw comprising 8.5 million kw from projects under execution, 5.5 million kw from extensions at developed sites and 3.7 million kw from new schemes to be taken up during the period. The power requirements of the various regions are expected to be adequately met on implementation of the above programme.

चमड़े के जूतों का निर्यात

1847. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां चमड़े के जूतों और चप्पलों का निर्यात कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में जिन कम्पनियों को इन वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकार द्वारा अनुमति दी गई उनके क्या नाम हैं और उक्त निर्यातों के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) तैयार चमड़ा निर्माण निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर के पास पंजीकृत चमड़े के जूते तथा चप्पलों के निर्माता निर्यातकों / व्यापारी निर्यातकों की, जिन्होंने पिछले दो वर्षों में चमड़े के जूतों का निर्यात किया है, एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1637/72]

पिछले दो वर्षों के दौरान हुए जूतों के निर्यात निम्नलिखित थे:--

मूल्य हजार रु० में
मात्रा हजार जोड़ों में

1969–70		1970–71	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
6029	70336	6790	90919

रेलों में ठेका श्रमिकों को समाप्त करना

1848. **श्री वेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में ठेका श्रमिकों को समाप्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-रूमानिया व्यापार करार

1849. **श्री पी० गंगादेव:**
श्री सी० टी० दण्डपाणि:

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1972 में रुमानिया के विदेश व्यापार मंत्री ने भारत का दौरा किया था और उनके साथ चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापार में सुधार के लिये दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 10 तथा 17 फरवरी, 1972 के बीच रुमानिया समाजवादी गणराज्य के प्रथम उप-मंत्री, विदेश व्यापार, परमश्रेष्ठ श्री एन० निकोलोई भारत आये थे । अपने दौरे के दौरान उन्होंने विदेश व्यापार मंत्री के साथ भी बातचीत की थी ।

(ख) 1972 के लिये एक व्यापार संलेख पर 17 फरवरी, 1972 को हस्ताक्षर हुए जिसमें 1972 में दोनों देशों के बीच 65 करोड़ रुपये की कुल व्यापार की व्यवस्था की गई है । रुमानिया से आयात की जाने वाली मुख्य मदें यह हैं: उर्वरक, रेलवे वैगनों के लिए पहियों के सैट तथा अन्य संघटक, वेल्लित इस्पात तथा इस्पात उत्पादन, खनिज तेल (आयल) का पता लगाने तथा ड्रीलिंग संबंधी उपस्कर, ट्रेक्टर के संघटक, पूंजीगत माल, परिष्कारणशालाओं आदि के लिये मशीन तथा उपस्कर, पैट्रोलियम उत्पाद, कैल्सियम कार्बाइड, इलैक्ट्रानिक संघटक, विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, मशीनी औजार, गोली, रोलर तथा टेपर बियरिंग आदि । भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं: लौह अयस्क, चमड़िया तथा खालें (कमायी हुई तथा अर्ध-कमायी हुई), कॉफी, मशीनी औजार छिलका तथा तेल रहित बिनौले का निस्सारण और चावल की भूसी का निस्सारण, पटसन के थैले तथा बोरे और हैसियन कपड़ा, लौह मैंगनीज, विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी की मदें, तैयार चमड़ा, अभ्रक आदि ।

पटना सिटी स्टेशन के पश्चिम में स्थित कल्वर्ट नं० 102 का सुधार

1850. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थिति निकट ही कल्वर्ट नं० 102 की हालत खराब है जिसके फलस्वरूप वहां वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और जनसाधारण को काफी कठिनाई होती है;

(ख) क्या कल्वर्ट के पास प्रकाश की कोई व्यवस्था है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कल्वर्ट को ठीक करने और वहां प्रकाश की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पुलिया बरसाती पानी के निकासी का एक खुला मार्ग है । यह अच्छी हालत में है और सूखे मौसम में यहां बरसाती पानी इकठ्ठा नहीं होता ।

(ख) पुलिया के पास रोशनी की व्यवस्था है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल यात्रियों को घटिया किस्म का और कम खाना सप्लाई करना

1851. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभागीय तथा ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे जलपान गृहों तथा भोजन-यानों द्वारा यात्रियों को घटीया किस्म का तथा कम मात्रा में भोजन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) यात्रियों को घटिया किस्म का तथा कम मात्रा में भोजन देने के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) भोजन के स्तर तथा उसकी मात्रा को कायम रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) विभागीय तौर पर तथा ठेकेदारों द्वारा प्रबन्धित खानपान स्थापनाओं द्वारा परसे जाने वाले भोजन के स्तर तथा उसकी मात्रा की जांच करने के लिये अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित निरिक्षण किया जाता है ।

(ii) खान-पान के बारे में मिलने वाली सभी शिकायतों की कड़ी जांच की जाती है ताकि खामियां दूर की जा सके और जहां आवश्यक हो, दोषी ठेकेदारों या विभागीय खानपान यूनिटों के कर्मचारियों को दंडित किया जा सके।

(iii) विभागीय खानपान यूनिटों के लिए अच्छी किस्म के कच्चे सामान खरीदे तथा सप्लाई किये जाते हैं और तैयार भोज्य पदार्थों की समुचित अनुसूचियां रखी जाती हैं ।

(iv) विभागीय खानपान स्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है।

दक्षिण रेलवे पर मनमदुरै और रामेश्वरम के बीच के स्टेशनों के बुकिंग काउंटरों पर नियुक्त कर्मचारी

1852. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे मनमदुरै स्टेशन और रामेश्वरम के बीच, उन स्टेशनों के नाम क्या हैं, जहां यात्री गाड़ियों की बुकिंग के लिये एक से अधिक कौंटर हैं ;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां प्रत्येक कौंटर पर पृथक् बुकिंग क्लर्क नहीं है ; और

(ग) प्रत्येक कौंटर के लिये पृथक बुकिंग क्लर्क न रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) जिन स्टेशनों पर एक से अधिक बुकिंग काउंटर हैं परन्तु अलग-अलग बुकिंग क्लर्क नियुक्त नहीं हैं, ये हैं:—

मानमदुरै,
परमक्कुडि,
रामनाथपुरम,
रामेश्वरम ।

(ग) इन स्टेशनों से होने वाले यात्री यातायात की मात्रा इतनी नहीं है कि प्रत्येक काउंटर पर अलग-अलग बुकिंग क्लर्कों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती हो। लेकिन, जब पर्व आदि के कारण यातायात का औचित्य होता है तो यात्रियों की भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए बुकिंग प्रबन्धों को सुदृढ़ कर दिया जाता है ।

भारतीय रेलवे में कामर्शियल क्लर्कों के पदों की संख्या बढ़ाना

1853. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री मुआवजों के दावों के बारे में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 26 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवेदन के पैरा 243, 246, 247, 264 और 287 की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रेलवे में कमर्शियल क्लर्कों के पदों में वृद्धि करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) प्रत्येक रेलवे के प्रत्येक डिवीजन मेंग्रेड-वार कर्मशियल क्लर्कों के लिये कितने पद बढ़ाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) क्षतिपूर्ति के दावों मे सम्बन्धित एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश सं० 243, 246, 247, 264 और 287 में किसी खास मण्डल या रेल प्रशासन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है । इन सिफारिशों का सारांश यह है कि पार्सल घरों में वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या कार्य भार के अनुरूप होनी चाहिये । तदनुसार, रेल प्रशासन जहां कहीं भी औचित्य हो, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण पूर्व जोन की आल इंडिया कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन का ज्ञापन

1854. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व जोन की आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्कस एसोसिएशन ने जनवरी, 1972 में दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या क्या मांगे की गई थीं ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने नाम इस एसोसिएशन का एक अभ्यावेदन जनवरी, 1972 में मिला था ।

(ख) इस अभ्यावेदन में एसोसिएशन की मुख्य मुख्य मांगे ये है:—

(1) 425 रु० के वेतनमान में यातायात निरीक्षक (वाणिज्यिक) का नाम बदलकर वाणिज्यिक निरीक्षक ग्रेड-3 कर दिया जाये जिसे 'अप्रवरण' घोषित किया जाये ।

(2) 335-425 रु० और 250-380 रु० के ग्रेड में वरिष्ठ अनुसंधान और विकास निरीक्षक के पदों को संवर्ग पद बनाया जाये और इन पर वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति की जाये ।

(3) वाणिज्यिक विभाग के निरीक्षकों, माल निरीक्षकों और पार्सल क्लर्कों के पदों का ग्रेड बढ़ाने के सम्बन्ध में एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जाये।

(4) स्थायी रिक्तियों में छुट्टी रिजर्व को इस्तेमाल न किया जाये।

(5) टिकटघर से पार्सलघर और पार्सलघर से टिकटघर में कोचिंग शाखा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण बारी-बारी से हर पांचवें वर्ष किया जाये।

(6) चूंकी वर्तमान मानदंड पुराना पड़ गया है इसलिए फिर से कार्य विश्लेषण किया जाये।

(7) वाणिज्यिक क्लर्कों को अनिवार्य कोटियों के रूप में बरता जाये और रेलवे बस्ती में क्वार्टरों के आवंटन के मामले में उन्हें यथोचित हिस्सा दिया जाये।

(8) उच्चतर ग्रेड वाले पदों का 75 प्रतिशत वाणिज्यिक क्लर्कों को दिया जाये।

(9) प्रत्येक मालगोदाम, पार्सलघर, यानान्तर शेडों और व्यस्त टिकटघरों में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाये।

(10) वाणिज्यिक क्लर्कों को अवकोटीकृत परिचालन कर्मचारियों का लाभ दिया जाये।

(ग) मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाये जाते हैं जो सामान्यत: विभिन्न स्तरों पर वार्ता तंत्र की बैठकों में विचार विमर्श के जरिए निबटाये जाते हैं।

मोहिनी नदी पर तटबंध बनाने का प्रस्ताव

1855. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए सरकार द्वारा मोहिनी नदी (सिंधवेर से खिरोई नदी तक) पर तटबंध बनाने का प्रस्ताव अन्तिम रूप दिए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मोहिनी नदी के तटबंधो के निर्माण का प्रस्ताव अधवारा नदी समूह में बाढ़ के नियंत्रण सम्बन्धी परियोजना का एक भाग है और यह मुख्यत: बाढ़ नियंत्रण के लिए है। राज्य सरकारों द्वारा अधवारा नदी समूह में बाढ़ नियन्त्रण के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार करने के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

1856. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 और 1971 में वर्षवार राज्यवार निगम को आयात और निर्यात से कीतना लाभ प्राप्त हुआ ; और

(ख) क्या आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 के तीन वित्तीय वर्षों में राज्य व्यापार निगम को आयातों तथा निर्यातों पर हुआ कुल लाभ/हानि निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	आयातों पर लाभ	निर्यातों पर हानि
1968–69	1188.86	7.94
1969–70	1517.20	178.27
1970–71	1110.90	423.20

(ख) आयातित वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने के विषय में सरकार द्वारा विहित मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आयातित माल के लिए लाभ की अलग अलग गुंजाइश रखी गई हैं। निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर लाभ की गुंजाइश नाम-मात्र की है परन्तु यह वास्तविक प्रयोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए कुछ अधिक है। कुछ वस्तुओं की कीमतें, देश में उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओं और स्थानापन्न माल को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती हैं। कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिनके विषय में प्राप्य लाभ की भारी गुंजाइश का एक भाग प्राप्त करने दिया जाता है।

हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम को हुआ लाभ अथवा हानि

1857. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम को हुए लाभ अथवा हानि का लेखा क्या है;

(ख) क्या निगम द्वारा कई देशों में 'सोना दुकानें' खोली गई हैं और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन दुकानों (शो रूम वार) के हुए लाभ अथवा हानि का लेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हथकरघा और हस्तशिल्प निगम को 1968–69 में 2.05 लाख रुपये की हानि हुई लेकिन 1969–70 तथा 1970–71 में क्रमशः 10,000 रुपये और 3.44 लाख रुपये का लाभ हुआ।

(ख) हथकरघा और हस्पशिल्प निगम ने न्यूयार्क, बोस्टन, पैरिस तथा नैरोबी में 'सोना दुकानें' खोली हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन सोना दुकानों से हुए लाभ/हानि का लेखा निम्नलिखित था :–

(लाख रुपये में)

	1968–69	1969–70	1970–71
न्यूयार्क	(+) 8.92	(+) 1.65	(+) 4.09
बोस्टन	(+) 1.32	(+) 0.61	(+) 0.40
नैरोबी	(+) 2.59	(—) 1.58	(—) 0.12
पैरिस	(+) 0.50	(+) 3.63	(—) 0.46

बिहार और बंगाल से कोयले ढोने के लिए पूर्व रेलवे और दक्षीण पूर्व रेलवे द्वारा नियत किये गये माल डिब्बे

1858. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और बंगाल से कोयला ढोने के लिए पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कितने माल डिब्बे नियत किए गए थे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : पीछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई के लिए पूर्व और दक्षीण-पूर्व, दोनों रेलों द्वारा आवंटित माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या नीचे दी गयी है :—

1969–70	6,373
1970–71	5,686
1971–72 (फरवरी, 1972 तक)	5,692

रेलवे प्रशासन द्वारा क्षति, हानि और चोरी के दावों को निपटाने के लिए समय सीमा

1859. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षति, हानि तथा चोरी के दावों के निपटाए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ;

(ख) 1971–72 में कितने तथा कितने मूल्य के दावे रेलवे पर किए गए और उनमें से कितने दावे उसी वर्ष में जिस वर्ष में दावे किए गए थे, निपटाए गए तथा उनकी राशि कितनी है ; और

(ग) दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन दावों को शीघ्र निबटाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं ।

1970–71 में एक दावे को निबटाने में औसतन 40 दिन लगे थे ।

(ख) अप्रेल 1971 से जनवरी, 1972 तक दाखिल किये गये कुल दावों की संख्या 5,84,223 है और जैसा कि दावा पत्रों से स्पष्ट है 6,161.96 लाख रुपये की रकम का क्षतिपूर्ति का दावा किया गया । इन आंकड़ों में दक्षिण पूर्व रेलवे पर नवम्बर, 1971 तक दाखिल किये गये दावे और उन दावों की रकमें शामिल हैं :—

जिस वर्ष दावे दाखिल किये गये उसी वर्ष में निबटाये गये दावों की संख्या के आंकड़े अलग से नहीं रखे गये हैं। लेकिन नीचे की तालिका में भुगतान द्वारा निपटाये गये दावों की संख्या और अप्रैल, 1971 से जनवरी तक जो क्षतिपूर्ति की रकम अदा की गयी उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

भुगतान द्वारा तय किये गये दावों की संख्या	दावों की संख्या जो अन्यथा तय किये गये	अदा की गयी रकम (लाख रुपयों में)
2,89,006	3,09,041	1,013.57

उपर्युक्त आंकड़ों में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा केवल नवम्बर, 1971 तक तय किए गये दावे और उनके भुगतान की रकम शामिल है ।

(ग) खोये और क्षतिग्रस्त माल आदि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में शीघ्र निबटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:—

1. चुने हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों और दावा निरीक्षकों को कुछ शर्तों के साथ 100 रु० तक के दावों को निपटाने का अधिकार दिया गया है ।

2. चल दावा कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी समाचार पत्रों के जरिये उचित प्रचार करने और दावादारों को सूचना देने के बाद स्थल पर ही दावे तय करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आते हैं ।

3. अन्तर्रेलवे दायित्व निर्धारण करने के लिए क्षतिपूर्ति के दावों की राशि सीमा 2000 रु० तक बढ़ा दी गयी है । इसके परिणाम स्वरूप दावों का भुगतान करने वाली रेलवे अन्य अंतर्ग्रस्त क्षेत्रीय रेलों की सहमति के बिना दावों को तय कर सकती है ।

4. क्षतिपूर्ति के दावों को तय करने के लिए भुगतान करने से पूर्व जो वित्तीय सहमति की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए राशि सीमा 1,000 रु० से बढ़ाकर 5,000 रु० और इससे अधिक कर दी गयी है ।

5. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावों को तय करने के लिए जारी किये जाने वाले स्टेशन भुगतान आदेश जो महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भुनाये जा सकते हैं उनकी राशि सीमा 500 रु० से बढ़ाकर 1,000 रु० कर दी गयी है ।

Mode of Trade with various Countries

1860. **Shri Atal Bibari Vajpayee** t Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of trade transacted with Britain; U. S. A., West Germany, France, Japan, Russia, Czechoslovakia and other East European countries during the last three years; and

(b) the mode and procedure in regard to payments to these countries in terms of sterling dollar, rupee etc. ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) Two statements are attached. [Placed in the Library. See No. L. T. 1638/72]

Export to Various Countries

1861. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Foreigd Trade** be pleased to state the comparative figures of exports made to Britain, U. S. A., France, West Germany, Socialist countries, South-East Asian countries and African countries during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Direction of India's Export Trade

(Rs. lakhs)

Region/ Countries	1968-69	percentage to total	1969-70	percentage to total	1970-71	percentage to total
West Europe	33941	25.0	29522	20.9	30030	19.9
i) U. K.	20121	14.8	16507	11.7	17044	11.1
ii) France	2005	1.48	2172	1.54	1798	1.17
iii) Germany West	2650	1.95	2989	2.11	3231	2.10
East Europe						
Socialist countries	26651	19.6	30764	21.8	36170	23.6
South-East Asia	12984	9.7	14440	10.2	14899	9.6
America	26975	19.9	27112	19.2	24565	16.0
(a) U. S. A.	23436	17.2	23797	16.8	20734	13.5
Africa	7280	5.4	8812	6.2	13929	9.1
Grand Total...	135787	100	141328	100	153516	100

Note : The export figures from November' 70 onwards are based on the original copy of the shipping bill after an adjustment made for short and shut out shipment returns received during the period. As such, these are not comparable to the export figures for a period prior to October, '70 which were based on the finally passed shipping bills.

उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हिन्दी में अनुवाद

1862. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7507 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिकाल के आधार पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अनुवाद कराने के लिए अनुसूचित जातियों जन जातियों के अनुवादकों से काम नहीं लिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इस भद भाव के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) अनुसूचित जातियों जन जातियों के अनुवादक अन्य जातियों के अनुवादकों के साथ उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अतिकाल के आधार पर अनुवाद कराने के लिए नियुक्त किए गए थे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Amenities to Railway Passengers

1863. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the nature of special amenities provided last year and proposed to be provided this year to Third Class passengeres by his Ministry ; and

(b) the amenities provided and proposed to be provided to passengers travelling in First Class and Air-Conditioned coaches during the said period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) No special amenities, other than the scheduled ones, were provided last year. Deficiencies, if any, in the provision of the scheduled amenities will be made good, to the extent possible, this year.

Participation of India in World Trade Fairs and Exhibitions

1864. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of World trade fairs and exhibitions in which India participated during the last three years ;

(b) the total expenditure incurred in each case and the total proceeds from sales in each case ; and

(c) the policy proposed to be adopted in future in this regard keeping in view the experience gained ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) The requisite information is at Annexure—I. [Placed in the Library. See No. L. T. 1639/72]

(c) Based on the past experience and the objective to be achieved the following are the guidelines which determine our decisions and scope of operation :

(1) While framing the annual advance Exhibition Programme, the factors mentioned below are taken into consideration :

(a) to cover all the important and export potential regions in each continent, each year in a rotational manner—*e. g.* subject to the availability of funds and resources,

(b) to participate in 8 to 10 traditional International fairs bearing immediate business results,

(c) to participate in 8 to 10 international fairs with a view to maintaining the existing market and exploring market for introduction of new items,

(d) to organise exclusive Indian Exhibitions on large scale to project India's developing industrial image, economic progress, cultural heritage, etc., and

(e) to participate in 15 to 20 specialized Commodity fairs every year to be organised by the Export Promotion Councils/Commodity Boards to promote export of specific products in the respective regions subject to availability of resources.

(2) The International fairs endowed with production and business results and where the market has already been developed are assigned to the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions, Bombay for organisation, while the rest are assigned to the Dte. of Exhibitions and Commercial Publicity.

(3) The scope and magnitude of each fair is determined by the pattern and volume of existing trade, the market potential, future prospects in the light of market studies of the Indian Missions and other export organisations, within the framework of available financial and administrative resources.

To make our participations a vigourously effective means of export promotion, we have appointed a Study Group and a Working Group to recommend guidelines in regard to the need for long term perspective programming, enthusiastic involvement of the trade and industry in our operations, designing excellence, selection of these and content, display techniques etc. The report of the working group since received, is being examined by the Government and the study Group is expected to submit its report shortly. After examination of these reports we expect to evolve final guidelines.

गोला बारुद और सेना के लिए प्रयुक्त कारतूस का कल्याण (बम्बई) में एक घर से बरामद किया जाना

1865. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण (बम्बई) में रेलवे सुरक्षा दल रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करने और माल डिब्बों से चोरी को रोकने में असफल रहा है ;

(ख) क्या गोला बारुद और सेना द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कारतूस की बड़ी मात्रा हाल ही में कल्याण के कुछ घरों और समीप के गांव से बरामद की गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, 23-1-1972 को कल्याण स्थित जिला पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के मकान से नहीं, बल्कि एक कुएं से 7054 कारतूस बरामद किये गये थे।

(ग) कल्याण यार्ड में चोरी और उठाईगीरी रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं:—

(1) सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा यार्ड में सशस्त्र गश्त।

(2) कल्याण यार्ड में समय-समय पर रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्ते भी गश्त के काम में लगाये जाते हैं।

(3) आसूचना इकट्ठी करने और अपराधियों/चुरायी गयी सम्पत्ति रखनेवालों पर छापा मारने के लिए सादी पोशाक में रहने वाले कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं।

दक्षिण रेलवे के विसनतम और गुडुपल्ली स्टेशनों के बीच इंजिन और ट्राली की टक्कर

1866. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मार्च, 1972 को बंगलौर जा रहा एक इंजिन चार रेलवे श्रमिकों द्वारा धक्का देकर चलाई जा रही एक ट्राली से विसनत्तम और गुडुपल्ली के बीच टकरा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए ; और

(ग) क्या मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। 4-3-1972 को बंगारपेट्टै से जोलार-पैट्टै जाने वाला एक अप खाली इंजन बिसनत्तम और गुडपल्ली के बीच एक पुश ट्राली से टकरा गया था।

(ख) इस दुर्घटना में एक अतिरिक्त श्रमिक खलासी मारा गया और अन्य तीन घायल हो गये।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृत कर्मचारी के परिवार को देय क्षतिपूर्ति की एक मुश्त रकम शीघ्र ही कर्मकार प्रतिकार के अतिरिक्त आयुक्त के पास जमा कर दी जायेगी। अन्य घायल कर्मचारियों को अधिनियम के अधीन देय पाक्षिक भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

अन्य देशों के निर्बाध व्यापार क्षेत्र को प्रतिनिधि मंडल

1867. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने अन्य देशों के कुछ निर्बाध व्यापार क्षेत्रों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के द्वारा क्या सिफारिशें की हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) व्यापार विकास प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, अक्तूबर, 1971 के दौरान ताइवान, कोरिया गणराज्य और प्यूरटो रिको के निर्यात कार्य करने वाले क्षेत्रों और सिंगापुर तथा हांगकांग के मुक्त पत्तनों का दौरा किया।

इस प्रतिनिधिमंडल के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(1) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की संभाव्यताओं और भारत की अपनी क्षमताओं को देखते हुए इलैक्ट्रोनिक उपस्करों और संघटकों के क्षेत्र में निर्यातों को 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से लगभग तीन से चार वर्षों में लगभग 73 करोड़ रुपये तक बढ़ाये जाने के लिए निर्यात प्रयास करना उचित है।

(2) यह सिफारिश की गई है कि भारत में शान्ताक्रुज, बम्बई में इलैट्रोनिक्स के लिए एक निर्यात कार्य करने वाले क्षेत्र की व्यवस्था की जाए और क्षेत्र के कार्यक्षत्र में काम करने वाले एककों के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएं।

(3) इलैक्ट्रोनिक उपस्करों और संघटकों की जिन मदों के बारे में भारत से निर्यात के लिए अच्छी गुंजाइश है उनका पता लगा लिया गया है।

(4) अपेक्षाकृत उची कीमत वाले मनोरंजन व उपभोक्ता उपस्करों के क्षेत्र में विपणन नीति का कार्योद्देश्य विकसित देशों में आयात सदनों, विभागीय भंडारों और शृंखलाबद्ध भंडारों की दिशा में होना चाहिए।

(5) संघटकों और व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपस्करों के क्षेत्रों में विकसित देशों के बड़े और मध्यम वर्ग के औद्योगिक खरीदारों से बातचीत की जानी चाहिए।

(6) भारतीय इलैक्ट्रोनिक संघटकों के लागत तथा कीमत ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय लागत तथा कीमत ढांचे के स्तर पर लाने के उद्देश्य से उसकी जांच की जानी चाहिए।

(7) क्षेत्रीय विविधीकरण और संघटकों बनाने की उपलब्ध क्षमताओं व पहले ही से विकसित इलैक्ट्रोनिक कार्यकुशलता दोनों ही कारणों से भारत के लिए इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादन के विभिन्न केन्द्रों में अपेक्षाकृत लघु स्तर के इनलैंड बोण्डेड फैक्टरी एकक स्थापित करना संभव होना चाहिए। मैन्यूफैक्चर-इन-बोण्ड संबंधी नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।

(8) जिन मदों के संबंध में निर्यात संभाव्यता का अभिज्ञान कर लिया गया है उस सीमा तक प्रस्थापित निर्यात कार्य करने वाले क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन क्षमता स्थापित न हो पाने पर घरेलु टैरिफ क्षेत्र में उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है बशर्ते कि क्षमता के अधिकांश भाग का उपयोग निर्यात के लिए किया जाता हो।

(9) इलैक्ट्रोनिक्स की उन सभी मदों के लिए शीघ्र ही शुल्क वापिसी दरें निर्धारित की जानी चाहिए जिनके संबंध में विदेशी बाजार संभाव्यता विद्यमान है। आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस आदि प्रदान करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाय।

नारियल जटा बोर्ड में कदाचार

1868. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को नारियल जटा बोर्ड के कार्यकरण में कदाचारों की जानकारी है और यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं।

नारियल जटा बोर्ड के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

1869. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को नारियल जटा बोर्ड का **पूर्णकालिक अध्यक्ष** नियुक्त करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

पांडेचेरी के माहि नामक स्थान पर बन्द

1870. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के अन्त में पांडेचेरी के माहि नामक स्थान पर एक बंद किया गया था जिसमें केन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज के माहि स्थित एकक को राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप देने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कम्पनी के मामलों की जाँच से यह प्रकट हुआ है कि कम्पनी का प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा था जो सार्वजनिक हित के लिए हानिप्रद था । अधिनियम की धारा 18 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 5 वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के दोनों एककों का प्रबंध अपने नियन्त्रण में लेने के लिए प्राधिकृत किया है । तथापि कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर अभी तक कब्जा नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनो के एक पूर्व मालिक निदेशक ने केरल उच्च न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में कमी

1871. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में केरल से मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात पहले से कम ही हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल के पत्तनों से मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के परिणाम में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन मूल्य में वृद्धि हुई है ।

(ख) इस वर्ष के दौरान केरल तट से जितनी शिम्प उतरी उसकी मात्रा सामान्य मात्रा से कम थी और ऐसी सूचना मिली हैं कि कतिपय समूद्र विज्ञान संबंधी परिस्थितियों के कारण मछली पकड़ने

की नौकाओं के कार्यचालन पर कुप्रभाव पड़ा। इन प्राकृतिक कारणों से जितनी मछली उतरी, उनकी मात्रा घटी-बढ़ी।

(ग) सामान्य रूप से जितनी मछली के उतरने की आशा है उस के अतिरिक्त, 30 ट्रालरों का आयात करने की योजना के अन्तर्गत आयातित कुछ ट्रालरों के चालू हो जाने से अधिक मात्रा में मछली पकड़ी जा सकेंगी।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता

1872. **श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण 24 परगना सुन्दरबन क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता बनाने हेतु नहरों की व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से 24 परगना के लिए किसी बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीम का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, राज्य सरकार ने एक सुधार स्कीम, जो सुन्दरवन डेल्टा परियोजना के नाम से जानी जाती है, प्रस्तावित की है। यह एक बड़े आकार की जटिल परियोजना है। अब तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केवल आरंभिक अन्वेषण ही किये गये हैं। उनको सलाह दी गई कि वे विस्तृत अन्वेषण करें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें जो प्रतिक्षित है।

पश्चिम बंगला में जूट उद्योग का विकास

1873. **श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जूट उद्योग का विकास करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं।

जूट के निर्यात से आय

1874 **श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70 और 1971 में जूट के निर्यात से वास्तविक आय कितनी हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1969-70 और 1971 में पटसन के माल निर्यातों का मूल्य इस प्रकार था :

1969-70	–	206.10 करोड़ रु०
1971	–	271.21 करोड़ रु०

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ियों की जंजीर खींचने और रेलवे सम्पत्ति की छुट-पुट चोरी और चोरी के मामले

1875. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में और विशेषरूप से बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ियों की जंजीर खींचने और रेलवे सम्पत्ति की छुट-पुट चोरी और चोरी के मामलों में काफी वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षा दल ने इस बारे में कितने लोगों को पकड़ा है?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

461-अप और 462-डाउन (खडगपुर-भद्रक) यात्री गाड़ी का कटक तक विस्तार

1876. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और पुरी के बीच एक यात्री गाड़ी को रद्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार 461–अप और 462-डाउन (खड़गपुर-भद्रक) यात्री गाड़ियों का कटक तक विस्तार करने का है ताकि कटक स्टेशन से जाने वाली शटल गाड़ियों से उनका मेल खा जाये ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, भारत-पाक युद्ध के कारण उत्पन्न आपात स्थिति के कारण 11-12-1971 से।

(ख) जी नहीं। रद्द की गयी गाड़ी ही शीघ्र फिर से चालू कर दी जायेगी।

उड़ीसा में पटसन मिल

1877. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने के बारे में सरकार ने श्रीवास्तव समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार श्रीवास्तव समिति के किसी प्रतिवेदन से अवगत नहीं है। तथापि, पटसन आयुक्त के सभापतित्व में स्थापित की गई समिति ने पटसन उगाने वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में (उड़ीसा सहित) पटसन मिलें स्थापित करने के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आशा है शीघ्र ही सरकार इस प्रतिवेदन पर विनिश्चय करेगी।

Thermal Power Station in Bihar

1878. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government had formulated any scheme for setting up a Thermal Power Station at Katihar in North Bihar ;

(b) if so, the broad outline thereof ;

(c) whether Government now propose to shift it from Katihar and set it up at Malda in West Bengal ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (d). the question of providing adequate power generation facilities in areas North of Ganga in Bihar and West Bengal has been under consideration of this Ministry for some time. Some-time back, the concerned State Electricity Boards were requested to prepare project reports covering the installation of a large thermal power station in the area. The Bihar State Electricity Board submitted a proposal for installing a thermal power station at Katihar in Bihar comprising two generating units 110/120 MW each at an estimated cost of Rs. 41.95 crores. The West Bengal State Electricity Board also submitted a proposal for similar thermal power station at Khejuriaghat near the Farakka Barrage in Malda-District comprising two generating units of 120 MW each at an estimated cost of Rs. 44.90 crores. These proposals were considered in detail by the Central Water ane Power Commission and it was felt that for technical reasons, investigations on some other sites should also be carried out. Accordingly, several sites were ivnestigated by Central Water and Power Commission and finally a site near Dalkhola in North Bengal near the inter-State border was selected. This site is suitable for feeding power both to North Bihar and North Bengal economically and satisfactorily. The route of the inter-State line from Purnea (Bihar) to Siliguri (West Bengal) also passes through this site. A project Report has been prepared by Central Water and Power Commission and submitted a few days ago to the Government comprising installation of two thermal getnerating sets of 120 MW each of an estimated cost of Rs. 46.69 crores.

Candidates who lost their Deposits during recent Eelections to State Assemblies

1879. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state:

(a) the number of candidates, State-wise and party-wise, who contested elections to the recent State Legislative Assemblies ;

(b) the number of the candidates, party-wise, who lost their deposits ; and

(c) the income derived by Government in each State on account of confiscation of deposits ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. L. T. 1640/72.]

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

डिवीजनल कार्यालय, दानापुर की कार्मिक शाखा के क्लर्कों के लिये काम का मापदंड निर्धारित करना

1880. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजनल कार्यालय की कार्मिक शाखा में कार्य करने वाले क्लर्कों के पास काम बहुत ज्यादा है;

(ख) क्या रेलवे में कार्मिक शाखा में क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले काम का कोई मापदंड है;

(ग) यदि हां, तो वह मापदंड क्या है और यह कब निर्धारित किया गया था; और

(घ) क्या सब क्लर्कों में मापदंड के अनुसार कार्य भार समान रूप से बांटा गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पूर्व रेलवे में जो मापदंड अपनाया गया है वह तीसरी श्रेणी के 200 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क और चौथी श्रेणी के 250 कर्मचारियों के लिए एक क्लर्क है। यह मापदंड 1952 में निर्धारित किया गया था।

(घ) यह मापदंड कर्मचारियों की समग्र आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए है। कार्य के समान वितरण के लिए पूरा प्रयास किया जाता है।

खगौल (दानापुर) में रेलवे सेवा आयोग की शाखा कार्यालय

1881. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय कलकत्ता में है;

(ख) क्या खगौल (दानापुर) में रेलवे सेवा आयोग का शाखा कार्यालय है; और

(ग) क्या खगौल स्थित सेवा आयोग को पूर्ण सेवा आयोग में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनूमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में माल गाड़ियों के गार्ड

1882. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या पूर्वी रेलवे की सियालदह डिवीजन के अधिकारी गार्डों को ब्रेकवैन के बजाय इंजिन में यात्रा करने के आदेश देकर माल गाड़ियां चला रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सुरक्षा को खतरा है;

(ग) क्या स्वचालित सैक्शनों में भी माल गाड़ियां पिछली रोशनी, बगल की रोशनी, पिछले संकेत पटों, लाल झंडियों आदि के बिना ही चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सियालदह डिवीजन की आपात सेवा में लगे एक अधिकारी ने बिना पिछली रोशनी आदि के गाड़ियां चलाने से इन्कार करने पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने और अन्य दण्ड देने की धमकी दी थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जब रात के समय सशस्त्र मार्गरक्षी उपलब्ध नहीं होते और गाड़ियों में पूर्णत: वैक्यूम ब्रेक की व्यवस्था होती है, तब सियालदह मण्डल के बदमाशों से त्रस्त कुछ छोटे खण्डों पर, गार्डों को, जान के खतरे के भय से संरक्षा के लिए गाड़ी के इंजनों पर यात्रा करने की कभी-कभी आज्ञा दे दी जाती है।

(ख) से (घ) जी नहीं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद की विधि

1883. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम सीधे उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने की बजाय कुछ पकरों और व्यापारियों से खरीदता है;

(ख) क्या पैकर उत्पादकों को तम्बाकू की किस्म के अनुसार उचित मूल्य नहीं देते हैं और सर्वोत्तम किस्म का तम्बाकू कम दरों पर खरीदते हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम सर्वोत्तम किस्म के तम्बाकू का उचित मूल्य दे रहा है; और

(घ) सरकार ने तम्बाकू खरीदने की प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम को क्या निदेश दिये हैं और क्या राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वह प्राधिकारियों से किस्म की जांच करवाकर उत्पादकों से तम्बाकू खरीदे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उत्पादकों और अनुभवी पैकरों से भी, जिन्हें खरीदारी करने के प्लेटफार्मों, ग्रेडिंग, पुन: सुखाने और पैकिंग की सुविधाएं प्राप्त हैं, तम्बाकू खरीद रहा है।

(ख) जी नहीं। उत्पादकों को तम्बाकू की क्वालिटी के अनुसार उचित मूल्य दिये जा रहे हैं।

(ग) जी हां। राज्य व्यापार निगम तथा पैकरों के बीच विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत पैकरों द्वारा उच्च ग्रेडों का तम्बाकू के लिए ऊचित कीमतें देनी होती हैं।

(घ) राज्य व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करने तथा उत्पादकों से तम्बाकू की खरीद करने के लिए कहा गया था। तम्बाकू खरीदने के तरीके के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया था।

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में डाले गए मत

1884. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी थी;

(ख) मार्च, 1972 में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में कितने मत डाले गये; और

(ग) निर्वाचनों के बाद प्रत्येक राज्य में विभिन्न दलों की स्थिती क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबंध I)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1641/72.]

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (उपाबंध I)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1641/72.]

खेलकूद की वस्तुओं का निर्यात

1885. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को खेल-कूद की वस्तूओं का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी; और

(ग) खेलकूद की वस्तूओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों में निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

1970–71	1·75 करोड़ रु०
1971–72 ... (अप्रैल 71 –फरवरी 72)	2·03 करोड़ रु०

(ग) (क) खेलकूद की वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्य करती है, जैसे प्रचार, खेलों में भाग लेना, विक्रय दल भेजना, विदेशी विशेषज्ञों को अध्ययन और उत्पादन की किस्म सुधारने के तरीकों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये आमंत्रित करना आदि।

(ख) प्रशासकीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा एक बाजार सर्वेक्षण किया गया है और इसके निष्कर्ष शीघ्र ही प्रकाशित कर दिये जाएंगे। व्यापार विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के एक दल को विभिन्न विनिर्माण केन्द्रों का दौरा कराया गया था।

तम्बाकू व्यापारी

1886. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, देश में तम्बाकू व्यापारियों की संख्या कितनी थी और उनके नाम क्या थे।

(ख) क्या तम्बाकू व्यापारियों की संख्या में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तम्बाकू पत्ती में व्यापार को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) तम्बाकू के व्यापार को मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। तम्बाकू का व्यापार करने वाले व्यापारियों की संख्या तथा नामों के बारे में सरकार कोई जानकारी नहीं रखती।

(ग) तम्बाकू उद्योग तथा व्यापार के सभी पहलुओं की देखभाल करने के लिए तम्बाकू बोर्ड बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

तम्बाकू पर लगे निर्यात शुल्क से प्राप्त राजस्व

1887. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार, तम्बाकू के निर्यात पर लगाये गये निर्यात शुल्क से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : गत तीन वर्षों में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यातों पर शुल्क के रूप में वसूल किए गए राजस्व की कुल धनराशि इस प्रकार थी :—

वर्ष	करोड़ रु० में
1968–69	3.30
1969–70	3.19
1970–71 (प्राक्कलित)	3.35

मोटर गाड़ियों के पुर्जों का चैकोस्लावाकिया द्वारा आयात

1888. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लावाकिया ने मोटर गाड़ियों के भारत में बने पुर्जों का आयात करने में दिलचस्पी दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस अवस्था पर है?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान चैकोस्लोवाकिया को मोटर गाडियों के पुर्जों का निर्यात निम्नोक्त था :

1970–71	कुछ नहीं
1971–72 (अप्रैल–जनवरी)	4,000 रु०

चैकोस्लोवाकिया को इस मद की पूर्ति के लिए कोई भी निर्यात आदेश किसी भी निर्यातक द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है ।

रेल-गाड़ियों के डीजलीकरण में प्रगति

1889. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रेल गाड़ियों के डीजलीकरण और उनकी गति बढाने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : नीति यह है कि जिन ट्रंक और महत्वपूर्ण मार्गों पर भाप कर्षण के अन्तर्गत यातायात चरम सीमा तक पहुँच गया है, उन्हें डीजल कर्षण के अन्तर्गत लाया जाये। डीजल रेल इंजनों की सीमित उपलब्धता के कारण जिन मार्गों पर यातायात चरम सीमा तक पहुँच गया है उन पर मालगाडियों की सेवा को अग्रता देनी पड़ती है । जहां भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिए सवारी गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाना अनिवार्य हो गया था, वहां सवारी गाडियों के लिए केवल सीमित संख्या में ही जडील रेल इंजन देना सम्भव हो सका है। 31–3–1971 को 24,250 मार्ग किलोमिटर में डीजल कर्षण था जबकि 31–3–1970 को यह 23,000 मार्ग किलोमिटर में था ।

कई डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाये जाने के कारण इन गाड़ियों के कुल चालन समय में कमी करना सम्भव हो सका है ।

Fuel Consumption by different types of Locomotives

1890. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the comparative cost of fuel consumption in the case of a steam, diesel and electric engine?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : A statement showing the comparative costs of fuel consumption per unit of work done by steam, diesel and electric locos during the year 1970-71 is attached.

Statement

Average cost of fuel (in rupees) per 1000 gross tonne kilometres hauled during the year 1970-71

	Passenger & Proportion of mixed			Goods & Proportion of mixed		
	Steam	Diesel	Electric	Steam	Diesel	Electric
Broad Guage —	3.75	4.37	2.85	3.87	3.15	1.56
Metre Guage —	4.72	4.44	1.60	4.83	3.80	1.26

Manufacture of Electric Engines

1891. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether efforts are being made to manufacture electric engines in sufficient numbers to meet the requirements of all the passenger trains atleast; and

(b) if so, the time by which the required number of electric engines will be available ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. They are being made to meet the requirements of sections electrified.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र में कालमवाड़ी बांध परियोजना

1892. **श्री निंबालकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के कालमवाड़ी बांध का कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति कर रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य के पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कालमवाड़ी (दूधगंगा) परियोजना कृष्णा बेसीन में पड़ती है । कृष्णा नदी और इसकी घाटी के जल-विवाद जो, महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों के बीच हैं इस समय कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण के न्याय–निर्णयाधीन है । भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि बेसीन में किसी नई परियोजना को स्वीकार किया जाए जबकि जल-विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन हैं ।

महाराष्ट्र सरकार से पता चला है कि उसका परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित चौड़ाई में नींवों पर स्कीम संबंधी कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है परन्तु वह सरकार जल के संचय को, दूधगंगा नदी के किनारों पर फसलों के लिए इस समय समुपयोजित हो रहे जल तक, सीमित रख रही है ।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि नींव-स्तरों तथा निर्माण सामग्री के लिए विस्तृत अन्वेषण चल रहे हैं और जबतक उनके परिणामों पर आधारित ये अन्वेषण और डिज़ाइन पूरे नहीं हो जाते तब तक बांध खास पर कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी बताया है कि यदि आवश्यक धन और मशीनरी समय पर उपलब्ध हो गये तो कार्य आरंभ होने के पश्चात् पांच वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव है ।

गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

1893. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये क्या योजनायें हैं; और

(ख) मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की वर्तमान रफ्तार क्या है और बढ़ाई गई रफ्तार क्या होगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) अभी तक की योजना यह है कि भारतीय रेलों पर लम्बी दूरी वाली मेल एक्सप्रैस गाड़ियों की रफ्तार 160 कि० मी० प्रति घंटे की अधीकतम अनुमत रफ्तार तक हो जाये और इसे विभिन्न चरणों में पूरा करना है। 1 नवम्बर, 1971 से निम्नलिखित गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी गयी है .—

1.	1 अप और 2 डाउन हवड़ा-दिल्ली कालका मेल	100 कि० मी० से 110 कि० मी० प्रति घंटा.
2.	3 डाउन और 4 अप फ्रंटियर मेल नयी दिल्ली-बम्बई सेंट्रल	,,
3.	1 डाउन और 2 अप बम्बई-हवड़ा मेल	,,
4.	15 डाउन और 16 अप ग्रेंड ट्रंक एक्सप्रेस नयी दिल्ली-मद्रास सेन्ट्रल	,,
5.	राजधानी एक्सप्रेस नयी दिल्ली—हवड़ा	120 कि० मी० से 130 कि० मी० प्रति घंटा

नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच 120 कि० मी० प्रति घंटे की अधिकतम अनुमत रफ्तार से शीघ्र ही राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विचार है।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण

1894. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु नई रेल लाइनों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की नीति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितने किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाई गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) चूंकि नयी रेलवे लाइनों के लिए धन की व्यवस्था सामान्य राजस्व से उधारी ली गयी पूंजी से की जाती है जिसके लिए लाभांश के भुगतान का दायित्व भी होता है, अतः केवल उन्हीं लाइनों के निर्माण पर सामान्यतः विचार किया जाता है जिनके आर्थिक रूप से सक्षम होने की सम्भावना होती है। प्रायः भारी उद्योगों, वहन सुविधाओं के विस्तार, खनिज एवं प्राकृतिक साधनों का दोहन और उपयोग, सामरिक महत्व तथा रेलों की परिचालन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नयी रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाता है पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्न लिखित नयी लाइनें खोली गयी जिन्होंने संयोगवश उन क्षेत्रों के विकास में सहायता पहुंचायी है जहां से होकर वे गुजरती हैं —

1. हिन्दूमलकोट–श्रीगंगानगर (बड़ी लाइन–27.56 कि० मी०)
2. मालिया–झुण्ड-कांडला परियोजना का न्यू कांडला भाग (बड़ी लाइन–100.76 कि० मी०)
3. सिंगरौली–औक्रा (बड़ी लाइन–57.56 कि० मी०)
4. थुरमिटा–बपतियाही (फिर से चालू करना) (मीटर लाइन–11.71 कि० मी०)
5. सिंगरौली–कटनी (बड़ी लाइन–254.26 कि० मी०)

लोह अयस्क की भण्डारण सुविधाएं

1895. **श्री बयालाल रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में स्थित लौह अयस्क के सरकारी गोदाम गैर सरकारी पार्टियों को किराये पर दे दिये गये हैं;

(ख) क्या भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण सरकारी कम्पनी, खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भण्डारण की सुवाधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही को गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लौह आयस्य खुले भूखण्डों में चट्टानों के रूप में रखा जाता है, गोदामों में नहीं । रेलवे तथा पत्तन न्यास प्राधिकारी इन भूखण्डों का खनिज तथा धातु व्यापार निगम और साथ ही गैर-सरकारी निर्यातकों को किराये पर दे देते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में नारियल जटा के मजदूरों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल

1896. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1972 को केरल में 10 लाख नारियल जटा मजदूरों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) क्या उद्योग को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक सहायक देने के लिये कदम उठाये जाएंगे ।

केरल में ग्रामीण विद्युतीकरण

1897. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के सभी गात्रों में 1974 तक बिजली लग ने की कोई विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) क्या योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) जिला-वार कितने गांवों में बिजली लगाई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना के दौरान ग्राम विद्युतिकरण स्कीमों में पम्पों के विद्युतिकरण पर ही बल दिया जा रहा है। ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक आनुषंगिक भाग है। केरल के 1573 ग्रामों में से 29-2-72 तक 1264 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है जो कि कुल ग्रामों का 80.4 प्रतिशत है। केरल सरकार का विचार है कि यदि धन उपलब्ध हो जाता है तो वे चतुर्थ योजना के अन्त तक अपने राज्य में शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कर देंगे ।

(ग) 29 फरवरी, 1972 तक विद्युतीकृत ग्रामों की जिलावार स्थिति नीचे दी जाती है :

जिला	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
कन्नानोर	139
कोजिकोड़े	195
पालघाट	226
त्रिचुर	224
एर्नाकुलम	106
कोट्टायम	93
अल्लेपे	99
क्विलान	96
त्रिवेन्द्रम	86
कुल	1264

Rural Electrification Schemes for States

1898. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the amount given to each State for rural electrification schemes so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : The amount of Central loan assistance released to various States from the beginning of the First Plan (1951) till the beginning of the Fourth Plan are indicated in column 3 of the Statement attached. [Placed in the Library. See No. L. T. 1642/72] From the commencement of the Fourth Plan, in accordance with the decision of the National Development Council, Central assistance to State Governments for Plan schemes' is in the form of block loans and grants. Central assistance and states' own resources are put together and the State Governments make the allocations for various heads of development in their respective State Plans. The expenditure incurred by the various State Government on Rural Electrification so far during the Fourth Plan is indicated in Column 4 of the Statement attached. [Placed in the Library. See No. L. T. 1642/72.]

The Government of India have set up the Rural Electrification Corporation to provide additive finances for rural electrification scheme of various State Electricity Boards. The amount of loan assistance which has been approved so far by the Rural Electrification Corporation for rural electrification schemes of various State Electricity Boards are indicated in column 5 of the Statement attached. [Placed in the Library. See No. L. T. 1642/72.]

Display of Notices at Railway Stations

1899. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether notices displayed at Railway stations for general public are only in English language ; and

(b) if so, whether Government propose to display such notices in regional languages also ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Instructions already exist with the Railways that notices displayed at Railway stations for the information of general public should be in English, Hindi and regional language.

Difference in Rates of Eatables supplied by Departmental Canteens and Private Contractors

1900. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any difference in the rates of eatables supplied by the Departmental Canteens and the private contractors at Railway Stations of the Northern Railway and if so, the reasons therefor ; and

(b) whether the rates of eatables differ from station to station ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) The rates for standard meals, Western style services, *a-la-carte* dishes and important vending items are uniform at all stations over Northern Railway. However, rates for certain local items, for which the rates are fixed locally by the Divisions concerned differ at certain stations. Also, the rates for poories with vegetable, sweets and Namkeens on the Jodhpur Division differ from stations on other Divisions of that Railway but are uniform at stations situated on that Division itself.

राख के ठेकेदार द्वार रेलवे क्रेन का दुरुपयोग

1901. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राख के ठेकेदार द्वारा लोको फोरमेन गजियाबाद की सांठ-गांठ से एक लम्बी अवधि से रेलवे क्रेन का दुरुपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) ठेके में समर्थकारी खंड न होने के कारण ठेकेदार द्वारा राख उठाने के लिए उपयोग किये गये क्रेन का प्रभार वसूल नहीं किया जा सका। जिम्मेदारी ठहराने के मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

गजियाबाद में चोरी और कदाचार की घटनाएं

1902. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रेलवे सुरक्षा दल, गजियाबाद के सतर्कता हवल्दार ने चोरी और कदाचार की कितनी घटनाओं की सूचना दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) गजियाबाद स्थित रेलवे सुरक्षा दल के चौक्सी हवलदार द्वारा ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Payment of Compensation for Land required for construction a Bridge at Kamla Balan

1903. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a bridge bearing No. 88 at Kamla Balan in Jhanjharpur on the Sakri-Nirmali Section of the North Eastern Railway ;

(b) whether at the time of its construction, earth was dug from the land (Entry No. 1238, Khasra No. 5657/1) of a poor farmer and a portion of the said land was acquired by the Railways ;

(c) whether no compensation has been paid to the farmer so far ; and

(d) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government to grant compensation to him ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d) Compensation for a portion of the land, in plot No. 5657/1, which was acquired by the Railway was paid through the Government of Bihar. However, another portion of the land in the same plot was later utilised for stacking the dug up earth when the river bed was desilted on the misunderstanding that it belonged to the Railway. Action has since been initiated to acquire this portion of the plot also, and due compensation will be paid for the same, as per usual procedure.

देहरी-ओनसोन रेलवे स्टेशन तथा बी० डी० एंड जी० डी० पैसेंजर गाड़ी में कीमती वस्तुओं की चोरी की घटनाओं में वृद्धि

1904. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरी-आन-सोन रेलवे स्टेशन पर विशेषकर तथा बी० डी० एंड जी० डी० पैसेंजर गाड़ी में सामान्य रूप से पर्सों, कीमती वस्तुओं तथा बिस्तरों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) ऐसी घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में सवारी गाड़ियों की अनुरक्षा बिहार की सैनिक पुलिस द्वारा की जा रही है।

बिहार राज्य तथा उसके पालामऊ जिले में रेलवे लाइनों की किलो मीटर में दूरी

1905. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितनी किलो मीटर लम्बी रेलवे लाईनें हैं; और

(ख) विहार राज्य के पालामऊ जिले में कितने किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइनें हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना राज्यवार या जिलावार नहीं बल्कि केवल क्षेत्रवार संकलित की जाती है।

31 मार्च 1971 को यातायात के लिये चालू मार्ग किलोमिटर का रेलवे क्षेत्रवार विवरण 1970-71 के लिए भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट सांख्यिकीय विवरण के अनुपूरक के विवरण 8 में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इमारत लकड़ी के लिये गढ़वा स्टेशन पर माल डिब्बे

1906. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पालामऊ जिले (बिहार में) के गढ़वा रेलवे स्टेशन तथा उसके निकट के अन्य स्टैशनों पर माल डिब्बों की कमी के कारण बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी तथा अन्य सामान को भेजा नहीं जा सका है;

(ख) क्या व्यापारिक संघों ने रेलवे बोर्ड को इस बारे में बहुत से अभ्यावेदन भेजे है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) माल डिब्बों की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) पलामू जिले के स्टेशनों से वन उत्पादन और अन्य माल की ढुलाई के लिए मांग पत्रों का कुछ ढेर लग जाने की रिपोर्ट मिली है। वन उत्पादन के यातायात का संचालन तरजीही यातायात अनुसूची के अग्रता वर्ग 'इ' के अन्तर्गत आता है अतः उसके ढ़ोये जाने की व्यवस्था, कोयला, सीमेंट आदि जेसे अन्य उच्चत्तर अग्रता वाले यातायात की मांगों को पूरा करने के बाद ही, की जा सकती है।

अनिवार्य पण्य पदार्थों की निकासी तरजीही तौर पर करने के लिये रेलवे वचनबद्ध है। तदनुसार पलामू जिले की स्टेशनों से माल के लदान को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

1 जनवरी से 10 मार्च, 1972 तक की अवधि में प्लामू जिले के स्टेशनों से 17,994 माल डिब्बे लादे गये थे जिनमें 867 माल डिब्बे इमारती लकड़ी के थे।

आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारियों का स्थानान्तरण

1907. **श्री ए० सी० सामन्त :**
श्री पन्नालाल बारुपाल :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए एक ही स्थान पर रुकने की अत्यधिक अवधि निर्धारित की हुई है और यदि हां, तो वह अवधि कितनी है;

(ख) मुख्यालय तथा दिल्ली लाइसेंसिंग क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर लगे हुए हैं :

(ग) क्या गत वर्ष किसी उप-मुख्य नियंत्रक को पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था क्योंकि उसके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं परन्तु बाद में उसके स्थानान्तरण को रद्द कर दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। फिर भी, इस संबंध में सावधानी बरती जाती है कि प्रशासनिक सुविधा, कार्य के विस्थापन, संबंधित अधिकारी की अभिरूचि तथा अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं और अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण होता रहे। चक्रानुक्रम बना रहे।

(ख) मुख्यालय में 41 और केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र में 14 अधिकारी हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही कार्यालय में हैं लेकिन इन पाँच वर्षों में मुख्यालय में सात और केन्द्रीय लायसेंसिंग क्षेत्र में एक अधिकारी को छोड़ कर सभी अधिकारियों के पदों में परिवर्तन हो चुका है। इन 8 अधिकारियों में से एक भी अधिकारी लायसेंसिंग के काम पर नहीं है।

(ग) तथा (घ) पिछले वर्ष कोई भी उप-मुख्य नियन्त्रक / नियन्त्रक उनके विरुद्ध मिली विशिष्ट शिकायतों के आधार पर स्थानांतरित नहीं किया गया।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया को एक दल भेजना

1908. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के किसी दल ने थाइलैण्ड, मलयेशिया और इंडोनेशिया को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इन देशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो दौरे की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) श्री वी० पी० पुंज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलयेशिया और थाइलैंड में नए प्रकार के इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने, संयुक्त उद्यमों के तथा तकनीकी जानकारी आदि की सप्लाई करने के अवसरों का पता लगाने के लिए उन देशों के दौरे पर 13 मार्च, 1972 को रवाना हुआ।

विदेशों में 15 दिन ठहरने के बाद इस प्रतिनिधिमंडल के अप्रेल के आरम्भ में भारत वापिस आने की आशा है। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

कोयना पन बिजली घर के बन्द होने के बारे में जांच

1909. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1972 को कोयना पन बिजली घर के अचानक बन्द हो जाने के बारे में कोई जांच कराई गई थी जिसके कारण 58 कपड़ा मिलों के मजदूरों सहित ग्रेटर बम्बई के लगभग पांच लाख मजदूर उस दिन बेकार रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) कोयना चरण-तीन की टेल रेस टनल वैतरणी नदी के नीचे से गुजरती है (पोफाली बिजलीघर कोयना चरण एक और दो की टेल रेस)। नदी तल और सुरंग (टनल) की छत में लगभग 3 मीटर का फासला है। 1972 के आरंभ से वैतरणी नदी से टेल रेस टनल में कुछ जलस्राव देखा गया था और कोयना के मुख्य इंजीनियर ने 27 से 29 फरवरी, 1972 तक पोफाली बिजलीघर को बन्द करने के लिए कहा था ताकि दोषयुक्त भाग को मजबूत कर दिया जाए। किन्तु, तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र और नासिक ताप-विद्युत् केन्द्र में एक-एक विद्युत-जनन सेट के बन्द होने के कारण, परियोजना अधिकारियों ने यह फैसला किया कि कार्य को अप्रैल, 1972 के अन्त तक स्थगित कर दिया जाए जब बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

7 मार्च, 1972 की रात्रि को सुरंग (टनल) की छत का एक भाग नीचे गिर गया। अतः 8 मार्च, 1972 की सुबह को बिजलीघर बन्द करना पड़ा ताकि मरम्मत कार्य किया जा सके। 9 मार्च, 1972 को 6 बजे शाम को बिजलीघर पुनः चालु कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 8 मार्च, 1972 को लगभग 370 मेगावाट की कमी हो गई, किन्तु 9 मार्च, 1972 को कोई असुविधा नहीं महसूस की गई क्योंकि उस दिन चुनाव के कारण छुट्टी थी।

क्योंकि बिजलीघर का बंद किया जाना प्रत्याशित था इसलिए इसको बन्द करने के संबंध में किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

जवानवाला शहर स्टेशन के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

1910. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप जवानवाला शहर रेलवे स्टेशन पर यात्री तथा माल यातायात में काफी वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या स्टेशन पर नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता और क्या उन्होंने इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, ।

(ख) जवांवाला शहर और गुलेर स्टेशनों के बीच रेल पथ के पुनसंरेखण पर नियुक्त रेल कर्मचारियों को निर्माण भत्ता दिया गया था ।

इस स्टेशन के किसी कर्मचारी को परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों की और से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Departmental Enquiries against Employees of Western Railway

1911. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the uumber of employees in the Western Railway against whom departmental enquiries were made during the last two years and the number of the employees against whom enquiries are in progress at present ; and

(b) the number of employees removed from service as a result of the departmental enquiries during the said period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Trade between India and Poland

1912. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of trade transacted between India and Poland during the last two years ; and

(b) the extent to which the said trade is likely to increase by the end of the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The following table shows India's export and import trade with Poland for the period 1969-70 to 1970-71 :

(Value in Rs. lakhs)

	1969-70	1970-71
India's exports to Poland	2134	2212
India's import from Poland	2356	2799
Total	4490	5011

(b) No long term arrangement has been worked out to over the period upto 1974-75. It would be our endeavour to further our exports to Poland by at least 7% annually on the basis of the percentage growth in global exports that we are aiming for the period of the current Five Year Plan.

Detection of Mistakes in Ballot-Papers Printed in Delhi

1913. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether many mistakes were detected in a large number of ballot-papers printed in Delhi ; and

(b) the number of such ballot-papers and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b) 8,19,000 ballot papers were found to be defective and were therefore burnt in the presence of the Chief Electoral Officer, Delhi, on 7.3.1972.

राजस्थान में पोंगडाम क्षेत्र से बेदखल व्यक्तियों का पुनर्वास

1914. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंगडाम क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से बेदखल हुए कितने व्यक्तियों को जून, 1971 तक राजस्थान में बसाया गया था और जून 1971 और फरवरी 1972 के बीच कितने व्यक्तियों को बसाया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूची के अनुसार वास्तव में कितने व्यक्तियों को जून 1972 तक बसाए जाने का विचार था ; और

(ग) क्या कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार चल रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) जून, 1971 के अन्त तक राजस्थान नहर क्षेत्र में पोग बांध के 568 विस्थापितो को जमीन आवंटित की गई है । तब से इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि जमीन के आवंटन से संबंधित कुछ अनिर्णीत मामले समझौते के लिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के विचाराधीन है ।

उत्तरी रेलवे नई दिल्ली के डिवीजनल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

1915. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री डिवीजनल लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में ग्रेड–I के लेखा क्लर्क के विरुद्ध आरोपों के संबंध में 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4080 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कर्मचारी को दिल्ली से स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उन्हें आरोप से विमुक्त कर दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

बाटा शू कम्पनी द्वारा बुक जूतों की खेपों की घटिया पेकिंग

1916. **श्री ओंकार लाल बैरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा शू कम्पनी द्वारा उत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के लिए बाटानगर, पटना और हावड़ा से बुक की गई जूतों की खेपों के मामले में आई० आर० सी० ए० के अन्तर्गत पैकिंग की पी-17 शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो खेपों की घटिया पेकिंग के कारण चोरी तथा कमी के फलस्वरूप वर्ष 1971 में प्रशासन द्वारा दावों के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) इस प्रकार के भारी राशि के दावों से बचने के लिए पैकिंग की शर्त पी-17 को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पैकिंग सम्बन्धी शर्त पी-17 के विकल्प के रूप में पैकिंग सम्बन्धी शर्त पी-19 का अनुपालन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) चूंकि पैकिंग सम्बन्धी निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जा रहा है, इस लिए ये प्रश्न नहीं उठते ।

चीफ इंजीनियर के निर्माण कार्यालय का त्रिवेन्द्रम से मद्रास स्थानान्तरण

1917. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ इंजीनियर के कार्यालय को, जिस पर त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम बड़ी लाइन के निर्माण कार्य की देखभाल का कार्य भार है, त्रिवेन्द्रम से मद्रास स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) आजकल तिरुवनन्तपुरम में मुख्य इंजीनियर का कोई कार्यालय नहीं है और न ऐसा कोई कार्यालय खोलने का प्रस्ताव ही है क्योंकि मद्रास में मुख्य इंजीनियर का वर्तमान कार्यालय एक ऐसे स्थान पर है जहां से एर्णाकुलम तिरुवनन्त-पुरम खण्ड के आमान परिवर्तन के कार्य सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का नियन्त्रण सुविधापूर्वक किया जा सकता है ।

एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन का बनाया जाना

1918. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम और त्रिवेंद्रम के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन के रूप में बदलने सम्बन्धी कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) आमान परिवर्तन का काम लगभग तीन वर्ष की अवधि में पूरा होगा ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के कुछ स्टेशनों पर गैर-योग्यता प्राप्त टिकट कलक्टरों की नियुक्ति करना

1919. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ गैर-योग्यता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को टिकट कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है और वे पिछले एक वर्ष से दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद, दिल्ली शाहदरा, मोदीनगर, मेरठ शहर और भटिंडा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी नहीं । जब तक प्रवरण से सम्बन्धित कार्यवाही जो इस समय की जा रही है, अन्तिम रूप में पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए दिल्ली शाहदरा, मोदीनगर और भटिंडा स्टेशनों पर कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं की गयी है ।

खाद्यान्नों के लिए माल डिब्बे दिये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध

1920. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के गोदामों में जमा अनाज को लाने ले जाने के लिए अधिक माल डिब्बों की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने माल डिब्बे मांगे और मांग को किस हद तक पूरा किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान हरियाणा और पंजाब को दिए गए माल डिब्बों की तुलना में इनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) वित्तीय वर्ष की अवधि में 15 मार्च, 1972 तक भारतीय खाद्य निगम तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मद में मीटर लाइन के 18,150 माल डिब्बों और बड़ी लाइन के 10688 माल डिब्बों में अनाज का लदान किया गया जबकि मीटर लाइन के 19522 और बड़ी लाइन के 11,296 माल डिब्बों की मांग की गयी थी ।

(ग) वित्तीय वर्ष की अवधि में 15 मार्च, 1972 तक पंजाब और हरियाणा से बड़ी लाइन के 1,36,101 और मीटर लाइन के 9,999 माल डिब्बों में अनाज का लदान किया गया ।

उत्तर प्रदेश को कोयला ले जाने के लिए वेगन

1921. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोयला खानों से उत्तर प्रदेश में कोयला भेजने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में वेगन सप्लाई करने में असफल रहा है; और

(ख) राज्य सरकार ने कितने वैगनों की मांग की थी और इसमें से कितने वैगन उन्हें दिये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में स्थित बिजली घरों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोयले का औसत मासिक संचलन पिछले वर्ष की तुलना में 1,560 माल डिब्बे अधिक रहा । लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ईंटें पकाने के लिए ब्लैक कोयले और साफ्ट कोक की ढुलाई, मांग की अपेक्षा कम हुई जो मांग और लदान के निम्न लिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	(मासिक औसत) चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से			
	ब्लैक कोयला		साफ्ट कोक	
	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
1971–72 (फरवरी तक)	7,270	2,453	5,550	1,394

पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के कारण जिनसे गाड़ी सेवाएं गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हो गयी थीं, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई में सितम्बर, 1970 से काफी गिरावट आई । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करना संभव नहीं था । आपात स्थिति के दौरान भारी सैनिक संचलन के कारण कोयले की ढुलाई पर भी गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । जल विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में ताप विद्युत पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न बिजली घरों के लिए भारी मात्रा में कोयले की ढुलाई के कारण ईंट पकाने के लिए ब्लैक कोयले के लदान पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान में जनवरी, 1972 से वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी कोयले की ढुलाई में सुधार हुआ है । बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से लदान में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसमें और अधिक सुधार होगा ।

डिवीजनल मुख्यालय का गौंडा से लखनऊ स्थानान्तरण

1922. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल मुख्यालय को गौंडा से लखनऊ पूर्वोत्तर रेलवे, स्थानान्तरित किए जाने के कारण अनेक इमारतों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उक्त स्थानान्तरण के बारे में जनता और रेलवे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) गौंडा स्टेशन पर इस समय ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल कार्यालय के लिए स्थान निर्धारण करते समय अन्य कई वैकल्पिक स्थानों के साथ साथ गोंडा पर भी विचार किया गया था । यह देखा गया कि मंडल कार्यालय को गोंडा की अपेक्षा लखनऊ में रखना रेलवे के सर्वाधिक हित में होगा । इस व्यवस्था को जारी रखने में प्रशासनिक परिचालनिक तथा वित्तीय लाभ निहित हैं ।

पयागपुर और चिलवाड़िया (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच बेलखाड़ा स्थान पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाना

1923. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के पयागपुर और चिलवाड़िया रेलवे स्टेशनों के बीच में जिला बहराइच में बेलखाड़ा स्थान पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी नहीं। पयागपुर और चिलवरिया स्टेशनों के बीच ग्राम सरसा, (बेलखारा नहीं) में गाड़ी हाल्ट खोलने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की गयी थी और उसका वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं पाया गया ।

बहराइच रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में टेलिफोन कालों को सुनने की व्यवस्था का अभाव

1924. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच के रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में जनता की टेलीफोन कालों को सुनने की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) बहराइच रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय की अलग व्यवस्था नहीं है।

(ख) डाक-तार विभाग का एक टेलीफोन सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में है जिस पर वह जनता द्वारा की गयी पूछताछ का कार्य देखता है ।

चाय पर क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क में विभिन्नता

1925. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय की क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में अत्यधिक अन्तर का पता है और क्या चाय उद्योग पर इसका विपरित प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चाय उत्पादन शुल्क ढांचे में समुचित संशोधन करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विभिन्न चाय उपजकर्त्ता क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले मूल्यों के अनुपात में उनके कर को वहन करने की क्षमता के आधार पर उनके बीच केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर भार को न्यायोचित रूप में आरोपित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1958 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की विविध दरें लागू की गयीं । विश्व बाजार में भारतीय चाय के निर्यात निष्पादन को ध्यान में रखते हुए इन विविध दरों को समय समय पर संशोधित किया गया है । उत्पादन शुल्क में अन्तिम बार संशोधन मार्च, 1970 में ही किया गया था अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि इससे चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण

1926. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के 25702 गांवों में से केवल 457 गावों में ही बिजली दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण का क्षेत्र बढ़ाने के लिए और आसाम में कृषि के प्रयोजन के लिए इसका उपयोग करने की दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) असम में अब तक 900 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है इसके मुकाबले चौथी योजना के प्रारंभ में 380 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था । आशा है कि चौथी योजना के अंत तक लगभग 1280 ग्रामों का विद्युतीकरण हो जाएगा । राज्य सरकार ने भी 1984 तक 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों के 50 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए एक भावी योजना तैयार कर ली है । इस बीच, राज्य विद्युत बोर्ड सिंचाई के पंपसेटों के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिये उन पृथक् कृषकों को, जो एक न्यूनतम राजस्व की गारंटी दें, निःशुल्क सरकारी कनेक्शन की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहन दे रहा है और ऐसी आशा है कि चौथी योजना के अंत तक लगभग 5000 सिंचाई पम्पसेटों का विद्युतीकरण किया जाएगा ।

विभिन्न राज्यों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए योगात्मक वित्त की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा गठित ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 432 ग्रामों और 245 पंपसेटों के विद्युतीकरण के लिए और 1329 लघु और कृषि उद्योगों के लिए विद्युत की व्यवस्था

के लिए रु० 330.723 लाख की एक ऋण सहायता वाली असम राज्य विद्युत बोर्ड की चार स्कीमों की मंजूरी दी है।

असम जैसे राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की गति को तीव्र करने में सहायता के उद्देश्य से ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते समय ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उद्यान शास्त्र, पशुपालन, वन पालन और अन्य संबद्ध कृषि-गतिविधियों को सम्मिलित करने हेतु "कृषि" शब्द के कार्यक्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया है।

माइक्रो-सर्जिकल एप्रेटस के आयात पर लगे प्रतिबन्ध में छूट

1927. **डा० सरदीश राय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का माइक्रो-सर्जिकल एप्रेटस के आयात पर लगे प्रतिबन्ध में छूट देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। 1972–73 में वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 1971–72 में की गई थी। 1972–73 के लिए सुस्थापित आयातकों के लिए कोटे कम कर दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना

1928. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की पद्धति पर करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड में कौन-कौन सदस्य होंगे, इसके अधिकार, न्यायक्षेत्र तथा कृत्य क्या होंगे।

(ग) इस बोर्ड की स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(घ) इसके अन्तर्गत किन प्राथमिक परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायेगा और प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) भारत सरकार ने बाढ़ों, भूमि-कटाव और जल-निकासी की समस्याओं का हल ढूंढने और इसे एक समन्वित तरीके से कार्यान्वित करने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने में भारत सरकार और गंगा-बेसिन की राज्य सरकारों के निकट सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड गठित करने का निश्चय किया है।

बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:–

1.	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री	सदस्य
3.	हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	गंगा बाढ़-नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष	सदस्य-सचिव

बोर्ड व्यापक नीतियों का निर्धारण करेगा और अनेक स्कीमों के कार्यान्वियन में प्राथमिकताएं निश्चित करेगा। बोर्ड स्कीमों की स्वीकृति भी देगा और उनके कार्यान्वियन के लिए वार्षिक परिव्ययों की सिफारिश करेगा। निर्माण कार्य संबंधित राज्य सरकारें शुरू करेंगे न कि बोर्ड।

बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में चाय बागानों का बन्द होना

1929. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में सो चाय बागानों में से लगभग तीस में काम बन्द हो गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

(ख) क्या पश्चिम बंगाल और आसाम में कुछ ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने अपने चाय बागान उन लोगों को बेच दिये हैं जिन्हें इस व्यवस्था में कोई अनुभव नहीं है और यदि हां, तो ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने इनको किन कारणों से बेचा है;

(ग) क्या सरकार के उनके नियंत्रण में ऐसे चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) इन कारणों के परिणामस्वरूप चाय उद्योग को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। 1959 तथा 1972 के वर्षों के बीच जिला दार्जिलिंग में 97 चाय बागानों में से केवल 3 बंद किये गये थे। इन चाय बागानों में से एक भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया था, दूसरा चाय अलाभकर होने के कारण बंद कर दिया गया था तथा तीसरा चाय बाग वित्तीय कठिनाईयों के कारण बंद कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

1930. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि भारत चाय का कितना निर्यात करता है और गत तीन वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1969 से 1971 के दौरान भारत से किये गये चाय के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये जाते है;

वर्ष	मात्रा दस लाख कि० गा० में	मूल्य करोड़ रु० में
1969	168.71	120.54
1970	208.43	148.82
*1971	212.63	160.30

*अनन्तिम

खलासियों की सेवाओं का डीजल लोको शेड ईरोड (दक्षिण रेलवे) में क्लर्कों के रूप में उपयोग

1931. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोको शेड, ईरोड, दक्षिण रेलवे, में क्लर्कों के रिक्त स्थानों में खलासियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या डीजल लोको शेड ईरोड में इंजनों की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में क्लर्क नियुक्त करने के लिये कोई कार्य विश्लेषण किया गया है;

(ग) क्या क्लर्कों ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेज कर डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट / ओलवकोट और डिप्टी सी० एम० ई० / डीजल का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) जी, नहीं । कुछ पढ़े-लिखे खलासियों से नेमी विवरण आदि तैयार करने का काम लिया गया था लेकिन उन्हें रिक्त स्थानों पर नहीं लगाया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अन्य यूनिटों से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर के सहायता देने की आवश्यक कार्रवाई की गई है । काम का जो विश्लेषण किया गया था उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पद बनाने के प्रश्न पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है ।

एन० जी० ओ०/टेलीफोन एसक्चेंज मद्रास (दक्षिण रेलवे) में टेलीफोन आपरेटरों की भर्ती

1932. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० जी० ओ०/टेलीफोन ऐक्सचेंज, मद्रास, दक्षिण रेलवे में महिला टेलीफोन आपरेटर दैनिक मजदूरी प्रणाली पर कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या वे सिग्नल तथा दूर संचार विभाग में कार्य करने वाले टेलीफोन ऑपरेटरों और इंस्पेक्टरों के सम्बन्धी है; और

(ग) रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करने के लिये उम्मीदवारों को आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं जब कि रिक्त स्थानों की स्थिति के अनुसार यह कार्यवाही की जानी चाहिये थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अपर इंडिया एक्सप्रेस की देखभाल

1933. **श्री सरजू पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कारण से अपर इण्डिया एक्सप्रेस की सियालदह में ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, फालतू यात्री डिब्बे नहीं होते तथा मेकेनिकल तथा इलैक्ट्रिक खराबियों को देखने के लिये 'वाशिंग लाइन' पर डिब्बों को देर से ले जाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) अपर इंडिया एक्सप्रेस के समुचित अनुरक्षण के लिए सियालदह स्टेशन पर पर्याप्त व्यवस्था है।

माल डिब्बों में (क्रास ब्रोन्ज) के 'फिटिंग्स' को बदलना

1934 **श्री सरजू पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों में लगे हुए कांसे के फिटिंग्स की यदा कदा चोरी होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन फिटिंग्स के स्थान पर पोलीथीन/प्लास्टिक/एस० जी० सी० आई० किस्म के फिटिंग्स लगाने का है; और

(ग) क्या ये फिटिंग्स सस्ते होंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, जहां तक उपलब्ध हों।

(ग) जी हां।

ब्रेस ब्रिज स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर पेय जल की सुविधाएं

1935. **श्री सरजू पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के ब्रेस ब्रिज स्टेशन पर यात्रियों के लिए पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं हैं;

(ख) क्या ब्रेस ब्रिज स्टेशन पर गहरा नलकूप खोदा गया है परन्तु उसे चालू करने में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो नलकूप चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और यात्रियों को इस नलकूप से पेय जल कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। इस स्टेशन पर एक हस्तचालित पम्प पहले से मौजूद है। गर्मी के मौसम में स्टेशन पर और गाड़ियों में यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने के लिए इस स्टेशन पर एक अस्थायी पानीवाला भी तैनात किया जाता है।

(ख) और (ग) 3" व्यास का एक ट्यूबवेल गलाया गया है। फिर भी उत्पादकों द्वारा प्रेस्ड स्टील टैंक की सप्लाई न होने के कारण ट्यूबवेल चालू होने में विलम्ब हो रहा है। फिलहाल इस निर्माण कार्य में 75% प्रगति हो चुकी है। प्रेस्ड स्टील टैंक प्राप्त होते ही, यह निर्माण कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई उप-प्रभाग में ग्रामीण विद्युतीकरण

1936. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई उप प्रभाग में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रगति हुई है, उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा और कितनी खेती योग्य भूमि उनके अन्तर्गत आएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मिदनापुर जिले में 690 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को दो ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें मंजूर कर दी हैं। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ उस जिले के कन्टाई उप-मण्डल में 97 ग्रामों और 383 उथले नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए व्यवस्था की गई है। इन स्कीमों पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और लगभग 5 वर्षों में पुर्ण होने की सम्भावना है। स्कीम के पूर्ण होने पर इससे कंन्टाइ उप-मण्डल में लगभग 1900 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी।

पश्चिम बंगला में बेल्डा और दीघा के बीच रेल संबंध

1937. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दीघा (पश्चिमी बंगाल) को समुद्री सैरगाह के विकास की दृष्टि से मिदनापुर जिले के वेल्डा स्थान से दीघा तक नई रेलवे लाईन के प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रुपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'असम मेल' का बरास्ता फरक्का होकर जाना

1937. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे टाइम टेबल के अनुसार 'आसाम मेल' को बरास्ता फरक्का चलना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि यह गाड़ी अभी भी पुराने रास्ते पर चल रही है; और

(ग) सरकार गाड़ी को बरास्ता फरक्का कब से चलायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, नवम्बर, 1971 की समय सारणी के अनुसार 15 नवम्बर, 1971 से, बरौनी और बोंगाईगांव के बीच मीटर लाइन पर मेल को रद्द करके, असम मेल को, बरौनी के रास्ते चलाये जाने की बजाय फरक्का के रास्ते चलाया जाना था किन्तु बाद में सार्वजनिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया कि यह गाड़ी बरौनी के रास्ते चलती रहेगी।

(ख) बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खण्ड के लोगों ने मिटर लाईनगाड़ी को रद्द करने का विरोध किया। लगभग उसी समय, फरक्का के रास्ते आपातकालीन भारी यातायात का ढोया जाना भी शुरू हो गया और इस तरह, पूर्व रेलवे के बड़हरवा-फरक्का खण्ड और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के चामग्राम-मालदा खण्ड पर सामान्य यातायात के लिए वर्तमान क्षमता में भी कमी हो गयी।

(ग) उपर्युक्त खंडों पर क्षमता का विकास किया जा रहा है। इन दोनों खंडों पर क्षमता का विकास कर लेने के बाद इस प्रस्ताव पर फिर विचार किया जायेगा।

मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में दण्ड प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम लागू करना

1939. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेघालय और नागालैंड राज्यों में दण्ड-प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम जैसे आधारभूत अधिनियमों को लागू करने के लिए विधि में उचित विधान सम्बन्धी परिवर्तन लाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का विस्तार मेघालय और नागालैंड राज्यों पर नहीं है। उक्त राज्यों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 नागालैंड राज्य को लागू होता है। मेघालय राज्य को लागू किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति का पता उस राज्य सरकार से लगाया जा रहा है और जानकारी प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रगिया में डिवीजनल मुख्यालय

1940. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में रगिया में रेलवे का डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने की योजना में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) असम सरकार से अनुरोध किया गया है कि रगिया में अपेक्षित भूमि अधिग्रहण करके उसका विकास करे और मंडल मुख्यालय की स्थापना के लिए उसे रेलवे को सौंप दे । इस सम्बन्ध में असम सरकार से और सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है ।

बिजली कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

1941. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में, अलग-अलग बिजली कर्मचारियों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए पदोन्नति के अवसर क्या हैं तथा उनका आधार क्या है; और

(ख) प्रत्येक जोन में, ग्रेडवार, अलग-अलग कुल कितने बिजली कर्मचारी हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम रेलवे के बिजली कर्मचारियों से अभ्यावेदन

1942. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों से उनके कार्य करने की शर्तों और अन्य शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है: और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे सुरक्षा दल के विभागीय प्रत्याशियों के लिये पदोन्नति के अवसर

1943. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल के कुल कितने कर्मचारी भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में अलग-अलग ग्रेड में नियुक्त है और उनमें से कितने कर्मचारी, श्रेणीवार, सिविल पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं ;

(ख) पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए एस० आई० पी० एफ०, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अलग-अलग कुल कितना वेतन दिया जाता है और रेलवे द्वारा इन पदों पर विभागीय तौर पर भरती किए गए कर्मचारियों के वेतन क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पुलिस विभाग से कर्मचारियों को रेलवे सुरक्षा दल में प्रतिनियुक्ति पर लेने की प्रथा से विभागीय प्रत्याशियों के पदोन्नति के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनका मनोबल नष्ट हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है !

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिस में आवश्यक सूचना दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1643/72.]

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को देय अनुमानित औसत मासिक परिलब्धियां इस प्रकार हैं—

	सिविल पुलिस से उधार लिये गये अधिकारी (रुपयों में)	विभाग द्वारा भर्ती किये गये अधिकारी (रुपयों में)
उप निरीक्षक सुरक्षा दल	5,335	6,34,230
सहायक सुरक्षा अधिकारी	40,330	64,350
सुरक्षा अधिकारी	10, 640	20,550
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	23,175	—

(ग) रेलवे सुरक्षा दल में कर्मचारियों को पुलिस विभाग से उधार लिये जाने की प्रणाली से विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ा है। रेलवे सुरक्षा दल में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति उन वर्तमान नियमों के आधारपर की जाती है जिन में यह व्यवस्था है कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आना चाहिए; और सुरक्षा अधिकारियों तथा सहायक सुरक्षा अधिकारी के 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने चाहिए और शेष 50 प्रतिशत पद अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए। जहां तक निरीक्षकों तथा उप निरीक्षकों और निम्नतर कोटियों का सम्बन्ध है बहुत थोड़े कर्मचारी पुलिस से आये हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of an Under Bridge at Maunathbhanjan Junction (N. E. Railway)

1944. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the absence of an under-bridge on the main line at Maunathbhanjan Junction of the North Eastern Railway in Uttar Pradesh, the entire traffic is held up for long when trains have to pass from there ; and

(b) if so, the action Government propose to take solve the problem ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to Mau Junction Station on the North Eastern Railway. No com-

plaints for holding up of the road traffic at Mau Junction, in absence of a Road Under Bridge, have been received. The Government of Uttar Pradesh have also not sponsored any proposal, so far, for provision of a Road Under-Over Bridge at Mau Junction.

(b) Does not arise.

Doubling of Railway Track between Agra and Itarsi

1945. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) the date when the work of doubling the Railway track from Agra to Itarsi was undertaken indicating the phases in which the work will be executed ;

(b) the progress made in this regard and the time by which the work is likely to be completed ; and

(c) the amount spent thereon so far and the amount likely to be spent on the entire work ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c) On the 598 km. long Agra-Itarsi section, the work on the doubling of 582.44 km. excluding the bridge portions on the Bina, Betwa and Narmada rivers and approaches to Bridges on Chambal and Betwa rivers, has been programmed as under :

(i)	Prior to First Plan	:	19.39	km.
(ii)	During First Plan	:	Nil	,,
(iii)	During Second Plan	:	62.76	,,
(iv)	During Third Plan	:	184.39	,,
(v)	During 1966-67, 1967-68 & 1968-69	:	148.42	,,
(vi)	During Fourth Plan upto 1972-73	:	167.48	,,
	Total	:	582.44	km.

The progress made on the work of doubling the above 582.44 km. is as under :

(i)	Doubling opened to goods traffic so far	:	473.47	km.
(ii)	Doubling expected to be opened to goods traffic during 1972-73	:	92.84	,,
(iii)	—do— during 1973-74	:	14.87	,,
(iv)	—do— during 1974-75	:	1.26	,,
	Total	:	582.44	km.

An amount of Rs. 3369.14 lakhs has been spent so far and further amount of Rs. 979.87 lakhs is expected to be spent on the above doubling.

Construction of Shed over Platform of Jhansi Railway Station

1946. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether Government have received any request from the people of Jhansi for the construction of a shed over that part of the platform of Jhansi Railway Station where passenger trains to and from Manikpur and Bina stop ; and

(b) if so, the decision taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Request has been received for provision of cover over platform No. 4 at Jhansi Station from where only trains for Jhansi-Manikpur section start and arrive.

(b) This request will be put up to the Railway Users' Amenities Committee in due course and if approved by them, the work will be included in future year's Works Programme, subject to the availability of funds.

Extension of Taj Express upto Jhansi

1947. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether unanimous demand for extending the Taj Express upto Jhansi has been made to Government by the Zonal Railway Users Consultative Committee of the Central Railway ; and

(b) if so, the decision taken thereon by Government ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No. A suggestion was made by Shri M. L. Dwivedi, Member Z. R. U. C. C. to extend the Taj Express to and from Jhansi in the Meeting of the Zonal Railway Users' Consultative Committee held on 29.1.1972.

(b) The suggestion could not be accepted, as it would have affected the timings of the train in a manner detrimental to the interests of the tourists for whose benefit the train was especially provided. Also the proposal was not found to be operationally feasible on account of lack of capacity on Agra Fort-Jhansi Section and lack of terminal facilities at Jhansi.

तम्बाकू का निर्यात

1948. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा तथा कितनी कीमत के फ्लू क्योरड वरजीनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इंडियन लीफ टोबेको डेवलपमेन्ट कम्पनी ने कितनी मात्रा तथा कितनी कीमत के नान-फ्लू–क्योरड वरजीनिया सिगरेट तम्बाकू का निर्यात किया ; और

(ग) उस में से कितनी मात्रा तथा कितनी कीमत के तम्बाकू को ब्रिटेन में तथा अन्य देशों में ब्रिटिश अमरीकन टोब्रेको ग्रुप के सिगरेट निर्माताओं का सप्लाई किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए ०सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्ष में फ्लू-क्योर्ड विर्जीनिया तम्बाकू के निर्यात इस प्रकार हुए ;

वर्ष	मात्रा हजार कि० ग्रा० में	मूल्य हजार रु० में
1968	40,756	29,82,92
1969	42.357	29,97,60
1970	39,185	29,06,67

(ख) तथा (ग) सरकार प्रत्येक फर्म द्वारा अलग-अलग किए गए निर्यातों के बारे में आंकड़े प्रकाशित नहीं करती।

Widening of Railway Over Bridge at Khandwa Railway Station (Central Railway)

1949. **Shri G. C. Dixit** ; Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to widen the Railway over-bridge at Khandwa Railway Station of Central Railway ; and

(b) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The proposal for widening of the existing Road Over Bridge at Khandwa or construction of a new one by the side of the existing bridge is under examination in consultation with the Government of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Payment of House Rent Allowance to Class III and IV Staff of Phusawal Division (Central Railway)

1950. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether all the class III and IV employees of Bhusawal Division, Central Railway, are being paid House Rent Allowance ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Class III & IV employees of Bhusawal Division of Central Railway who are employed in qualified cities and are eligible are only paid House Rent Allowance at the rates sanctioned from time to time.

(b) Under the scheme for the grant of House Rent Allowance in force for Central Government employees, including Railway servants, only employees not yrovided with Government quarters and who are working in towns and cities which have been notified as eligible for House Rent Allowance, can be paid such allowance.

Decrease in Goods Traffic on Central Railway.

1951. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether goods traffic has decreased considerably on the Central Railway; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) ; (a) No. During the period April 1971 to February, 1972, loading of originating revenue earning traffic on Central Railway was 12.47 million tonnes against 12.04 million tonnes during the corresponding period of 1970-71.

(b) Does not arise.

Railway Line between Dohad and Khandwa

1952. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the general public and the Members of Parliament have been demanding the construction of a Railway line from Dohad to Khandwa for many years; and

(b) if so, whether Government propose to undertake construction of the Railway line, and if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it will not be possible to consider the construction of this rail link at present.

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में ग्रेड 'बी' ड्राइवरों का चयन

1953. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में हाल ही में ग्रेड 'बी' ड्राइवरों का चयन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितने ड्राइवरों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ; रिक्त पदों की संख्या क्या थी और कितने उम्मीदवारों को चुना गया ; और

(ग) क्या चयन में अनियमितताओं के संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, । अनन्तिम नामिका 19-6-71 को घोषित की गयी थी ।

(ख) (i) साक्षात्कार के लिए बुलाये गये ड्राइवरों की संख्या ; 136

(ii) रिक्तियों की संख्या 34 (बाद में संशोधन करके 24 रह गयी) ;

(iii) पहले 96 व्यक्तियों में से चुने गये उम्मीदवारों की संख्या 24 है।

(ग) जी हां, मामला विचाराधीन है ।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति नियमित करना

1954. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री 13 जुलाई, 1971 के जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति नियमित करने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4693 और 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में जानकारी एकत्र करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उक्त जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'क')। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1644/72.]

फुलेरा शैड, जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के 'सी' ग्रेड के ड्राइवर

1955. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुलैरा शैड, जयपुर डिवीजन में हाल ही में पदोन्नत 'सी' ग्रेड के ड्राइवरों ने बड़ी संख्या में बीमारी की छुट्टी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उन ड्राइवरों के नाम क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकीं ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रबड़ बोर्ड में छटनी

1956. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में रबड़ बोर्ड से कुल कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई ;

(ख) इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या छंटनी के विरुद्ध सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1971–72 के दौरान बोर्ड से कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं हुई है। तथापि, बोर्ड के 6 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नवम्बर, 1971 में इसलिए समाप्त किया गया कि उन्होंने अपने कार्य और आचरण से संबंधित नियमों के उल्लंघन में अवैधतापूर्ण कार्य किये थे ।

(ग) तथा (घ) जी हां। अध्यक्ष को यह परामर्श दिया गया है कि वह, रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1961 के संदर्भ में जिन कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया है, वह उनके अभ्यावेदनों की जांच करे ।

Muhane Reservoir Scheme in Gaya

1957. **Shri Sukhdeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Muhane Reservoir Scheme has been undertaken for irrigating the land in Gaya district of Bihar State; and

(b) if so, the progress made in this regard and the time by which it will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B.N. Kureel) : (a) The Government of Bihar has intimated that Mohane Reservoir Scheme is under detailed survey.

(b) Does not arise.

Drought and Famine in Navada sub-division of Gaya District due to lack of Irrigation facilities

1958. **Shri Sukhdeo Prasad Verma** ; Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state;

(a) whether Nawada sub-division of Gaya district in Bihar State has been facing drought and famine constantly due to lack of irrigation facilities; and

(b) if so, whether Government propose to include Tillaiya Diversion scheme and upper Sakri Reservoir scheme in the Fourth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b) Areas in various parts of South Bihar are prone to droughts in a number of years. The Government of Bihar have sent proposals for Tilaiya Diversion Scheme. A suggestion has been made that the tunner proposed in the project may be realigned. The modified project is awaited. The question of its inclusion in the Plan will arise only after the tiechnical examination has been completed and the inter-State aspects involved in diverting waters from the existing reservoir are settled. The Upper Sakri reservoir is still under nvestigation by the Government of Bihar.

भारतीय रेलों में कर्मशियल इंस्पेक्टरों के रूप में पदोन्नति करने के बारे में नीति

1959. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में कर्मशियल क्लर्कों की कर्मशियल इन्स्पेक्टरों के रूप में पदोन्नति करने के बारे में एक समान नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक जोनल रेलवे पर कर्मशियल क्लर्कों के लिये पदोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 9–12–69 के अतारांकित प्रश्न 3242 और 10–3–1970 के अतारांकित प्रश्न 2371 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

ईरान के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडल

1960. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का ईरान से व्यापार बढाने की सम्भावना का पता लगाने के लिये हाल ही में ईरान का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल किस निष्कर्ष पर पहुंचा; और

(ग) उक्त निष्कर्षों के बारे में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पारस्परिक आधार पर व्यापार के विस्तार की संभाव्यताओं का पता लगाने तथा पारस्परिक लाभ के लिये संयुक्त उद्यम स्थापित करने की दृष्टि से अपने समकक्षियों के साथ सीधा संपर्क बनाने के उद्देश्य से, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर्स संघ द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 9 मार्च 1972 तक ईरान का दौरा किया। दौरे की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1645/72.]

(ख) तथा (ग) प्रतिनिधिमंडल के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पंजाब में अनाज के लदान के लिये माल डिब्बे

1961. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनाज व्यापारियों को सेन्ट्रल पूल गोदामों में अनाज ले जाने में माल डिब्बों की कमी अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अन्य राज्यों की तरह पंजाब से खरीदे गये खाद्यान्न की ढुलाई की व्यवस्था भारत के खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के अनुसार रेल द्वारा की जाती है। इस वर्ष के प्रथम 11 महीनों के दौरान पंजाब और हरियाणा से प्रायोजित खाद्यान्न की ढुलाई 33.08 लाख मीटरिक टन की गयी थी जबकी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 28.31 लाख मीटरीक टन की ढुलाई की गयी थी। विभिन्न टर्मिनलों पर खासकर पूर्वी क्षेत्रों में माल के आदान के अनुरूप उतराई न हो पाने के कारण माल भेजने में और सुधार नहीं किया जा सका।

(ख) 1972 में रबी की भारी फसल की प्रत्याशा में रेलवे ने खरीदे गये प्रायोजित खाद्यान्न का प्रेषण तीव्र कर दिया है और मार्च, 1972 के प्रथम 23 दिनों में पंजाब और हरियाणा से प्रायोजित खाद्यान्न की लदान औसतन 628 माल डिब्बे प्रतिदिन हुई है।

त्रिपुरा में दम्बोरो परियोजना का निर्माण

1962. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में दम्बोरो परियोजना का निर्माण वर्ष 1972–73 तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) उक्त परियोजना पर पहले ही कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है; और अब कितनी धनराशि व्यय की जानी है; और

(ग) उक्त परियोजना से कितनी बिजली प्राप्त होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बनाए गए निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, परियोजना के 1974 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ख) 1970–71 तक 326.51 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है और चालू वर्ष (1971–72) के दौरान प्रत्याशित व्यय 100.02 लाख रुपये हैं। परियोजना पर व्यय की जाने वाली शेष धनराशि 206.78 लाख रुपये हैं।

(ग) इस परियोजना में प्रत्याशित विद्युत की मात्रा 50 प्रतिशत भार अनुपात पर 8.6 मैगावट है जोकि लगभग 38 मिलियन यूनिट वार्षिक पक्की ऊर्जा के बराबर है ।

त्रिपुरा में गोहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के लिए स्थान की व्यवस्था

963. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या त्रिपुरा में गोहाटी उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई है;

(ख) क्या वहां उसके लिए स्थान व्यवस्था सन्तोषजनक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गोहाटी स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अगरतल्ला स्थित न्यायालय भवनों, न्यायालय-कक्षों और चेम्बरों का तुरन्त सुधार और जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। राज्यपाल से यह निवेदन किया गया है कि वे आवश्यक सुधार कराने के लिए अनुदेश जारी करें ।

बाढ़ों और बाढ़ सहायता संबंधी समिति का प्रतिवेदन

1964. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह बाढ़ों और बाढ़ सहायता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ख) समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बाढ़ और बाढ़ सहायता सम्बन्धी मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है। रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों के हवाले के लिए पुस्तकालय को सप्लाई कर दी गई हैं।

(ख) समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1646/72] इन सिफारिशों का अध्ययन हो रहा है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधान परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों (बिहार) का परिसीमन संशोधन आदेश, 1971

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत विधान परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों (बिहार) का परिसीमन संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1967 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1629/72.]**

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और डाक और तार विनियोग लेखे 1970-71

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ।

(1) संविधान के अनूच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार (डाक और तार) के वर्ष 1970–71 के विनियोग लेखे के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 1970–71 के विनियोग लेखे, डाक और तार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1630/72]**

खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इलायची बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं, श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का **वर्ष** 1970-71 के दो कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1631/72.]

(ख) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1632/72.]

(2) इलायची बोर्ड के वर्ष 1970-71 में कार्य के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1633/72.]**

वार्षिक योजना, 1972–73

योजना मंत्री तथा प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं सभा पटल पर वार्षिक योजना, 1972–73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखता हूँ । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1634/72.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 30 मार्च, 1972 को अपनी बैठक में महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है ।

(दो) कि राज्य-सभा ने 30 मार्च, 1972 को अपनी बैठक में लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) दिल्ली संशोधन विधेयक, 1972 पास किया है ।

विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं निम्नलिखित दो विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महा प्रशासक (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) लोक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) दिल्ली संशोधन विधेयक, 1972 ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

नौवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 3 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से जो 3 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देंगी ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पा रही हूँ । सामान्यता मैं प्रश्नों का सीधा एवं स्पष्ट उत्तर देने की आदी हूँ । किन्तु इस चर्चा में दिए गए एक दो भाषणों को सुनने के उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि वक्ता कुछ खिन्न हैं और मैं निराश लोगों के मर्म को आहत नहीं करना चाहती ।

डा० कर्णी सिंह भी हमारी नीतियों के विरूद्ध हैं और सदा से उसका विरोध करते आए हैं, किन्तु उनका भाषण एक संतुलित भाषण था ।

कुछ सदस्यों ने प्रजातंत्र के बारे में भी भला बुरा कहा है । जब तक चुनावों में उनकी जीत होती रही, तब तक प्रजातंत्र ठीक था और अब उन्हें इस प्रजातंत्रिक प्रणाली में कमियां प्रतीत होने लगी हैं । कुछ पुरानी आदतों को दूर करना निश्चय ही कठिन होता है ।

यह चर्चा कई दिनों तक चलती रही है और इसमें अनेक विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं । मैं सब विषयों को न लेकर केवल मुख्य-मुख्य प्रश्नों का उत्तर दूंगी ।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हम गरीबी हटाने के बजाय विरोधी पक्षों को हटा रहे हैं। मैं नहीं समझती कि इस प्रकार की टिप्पणियों से लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में कहां तक सहायता मिल सकेगी। ऐसा लगता है कि इन लोगों को जनता के निर्णय में विश्वास नहीं है। विरोधी दलों की चुनावों में जो करारी हार हुई है उसके लिए किसी भी प्रकार हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विरोधी पक्षों का यह कथन कि चुनाव एक धोखा था निराधार एवं हास्यास्पद है, मैं इस आरोप का पूर्ण खंडन करती हूँ। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहीं गई बातों से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि उनके आरोप निराधार हैं।

यह भी कहा गया है कि हमने चुनावों में बंगला देश के मामले का लाभ उठाया है परन्तु माननीय सदस्यों को पता है कि इस मामले से पहले भी चुनाव हुए थे। उस समय युद्ध की कोई बात नहीं थी। उन चुनावों के परिणाम भी हमें ज्ञात हैं।

पश्चिम बंगाल के सामान्य चुनावों में केवल बंगला देश के मामले से ही अन्तर नहीं आया। विरोधी दलों द्वारा जो हमारी बंगला देश सम्बन्धी नीती के विरूद्ध प्रचार किया गया, उसका भी इसमें कम हाथ नहीं है। मुझे इस सम्बन्ध में अनेक लोगों के पत्र प्राप्त हुए है। उन्होंने लिखा है कि वे मार्क्सवादी दल के इस व्यवहार पर अत्यधिक खिन्न है और चुनावों में यदि वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो इतना निश्चित है कि वे मार्क्सवादी दल का भी समर्थन नहीं करेंगे। जनता ने इस लिए हमारे पक्ष में मत दिया है क्योंकि वह जानती है कि यह स्थायी सरकार निश्चित तथा दृढ़ कार्यवाही करने में सक्षम है। मैं कई माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ यदि सरकार जनता की आशाओं के अनुकूल कार्य नहीं करेगी, तो वह अगले चुनावों में हमारा साथ नहीं देगी। अत: यह बात महत्वपूर्ण है, कि भारतीयों के लिये जो कुछ किया जाना है वह किया जाए।

यह कहा गया है कि समाजवाद शब्द को अब छोड़ दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम समाजवाद या गरीबी हटाओ जैसे अपने नारो को भूल गए हैं अथवा उन्हें समाप्त कर दिया है। इन नारों पर समयानुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना होना। हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। अपने सभी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं और निस्संदेह अब भी नारे लगा रहे हैं। हम इनके कार्यान्वयन में पूरी तरह लगे हुए हैं। अत: यह कहना गलत है कि केवल इस कारण कि एक विशेष अभिभाषण में एक शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, तो हम अपने मूलभूत उद्देश्यों से दूर हो गए हैं।

जब हम गरीबी हटाओं के बारे में कहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि गरीबी और लोगों की आवश्यकताओं की धारणा परिवर्तनशील है। लोग पिछले पांच वर्ष की तुलना में अब अधीक मांग करने लगे हैं और गरीबी के प्रति धारणा भी बदलती रहती है, जितने से लोग कछ वर्ष पूर्व तक संतुष्ट हो सकते थे उससे अब वे संतुष्ट नहीं होंगे।

अधिकांश लोग गरीब हैं। अत: प्रगति पर विचार करते समय हमें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। हमें अति निर्धन लोगों की सहायता के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि इन लोगों को हमारे कार्यक्रमों से कम से कम लाभ पहुंचा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें

बिल्कुल ही कुछ लाभ नहीं हुआ । आधार भूत ढांचे बनना आवश्यक था और इसी कारण हम पिछले वर्षों में चिन्तित रहे । हम अब ऐसे चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं ।

कुछ सदस्यों ने कीमतों के बारे में आवाज उठाई है । हमारे आर्थिक उद्देश्यों में सरकार मूल्यों में उचित रूप से स्थिरता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि कीमतों में वृद्धि हुई है । किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि यह वृद्धि समुचित सीमाओं के बीच हुई है । गत वर्ष जो हमने कोई कदम उठाए हैं, जैसे ऋण का विनियमन, कतिपय वस्तुओं के व्यापार पर प्रतिबन्ध, अत्यावश्यक कच्चे माल का सामयिक और चुनींदा आयात आदि, उनकी सफलता का भी यही एक कारण है । खाद्यान्न का पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने की जिस नीति का हम चौथी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ से पालन करते रहे हैं, उससे भी उचित लाभ प्राप्त हुए हैं । बाढ़ आने के बावजूद भी उत्तर भारत में इस समय हमारे पास खाद्यान्न का इतना भंडार है जितना की पहले कभी नहीं था, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रहे हैं और निस्सन्देह इससे जीवन निर्वाह व्यय को स्थिर रखने में अच्छा प्रभाव पड़ा है । लेकिन खरीदारों तथा उपभोक्ताओं के हितों के बीच समुचित संतुलन बनाये रखना भी जरूरी है, खाद्य उत्पादों के मूल्यों को कृत्रिम रूप से उंचा बनाये रखने से अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर भी दबाव पड़ेगा और वे भी महंगी होती रहेंगी तथा ऐसा करना दीर्घ-कालीन दृष्टि से किसानों के हितों के भी विपरीत होगा अतः हमें कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्यों पर विचार करते समय समूची मूल्य समस्या पर समेकित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

निर्मित वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय भी हमें लागत तथा उसमें कुछ और जोड़ कर मूल्य निर्धारित करने की नीति को त्याग देना चाहिए जिसके कारण अतित में योग्य निर्माताओं को सुविधा प्राप्त होती रही है और उन्हें अपनी प्रबन्ध व्यवस्था को ठीक करके लागत को कम करने के लिये बाध्य नहीं होना पड़ा हैं । अतः किसी वस्तु विशेष के मूल्य के सम्बन्ध में हम जो भी निर्णय लें वह समुची राष्ट्रीय व्यवस्था के हितों के लिये सहायक होना चाहिये न कि ऐसी कि उससे समाज के किसी एक वर्ग को ही लाभ पहुंचे ।

जिन सदस्यों ने रोजगार के अधिकाधिक अवसर जुटाने की नितान्त आवश्यकता पर जोर दिया है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ । यदि हमें अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली की व्यवहार्यता कायम रखनी है, तो अगले तीन चार वर्षों में इस मोर्चे पर प्रगति करना बहुत जरूरी है, जब तक रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा नहीं किये जाते उस समय तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती । अतः सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना ही हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य है । योजनाओं द्वारा रोजगार पैदा करने के लिए कई अनुपूरक कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं । यद्यपि उन सब कार्यक्रमों से अभी तो अधिक रोजगार के अवसर नहीं जुटा पाये हैं, किन्तु अब उन से रोजगार के अवसर पैदा होने आरम्भ हो गये हैं । और शीघ्र ही उनके परिणाम स्पष्ट हो जायेंगे । इस समस्या को हल करने में सरकार की निष्ठा बजट में स्पष्ट झलकती है । 1972-73 की वार्षिक योजना के लिए सरकारी क्षेत्र में विकास परिव्यय में सराहनीय वृद्धि की गई है और इससे गैर सरकारी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा । योजना में 125 करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है, उससे सरकार कई रोजगार प्रधान योजनाओं को क्रियान्वित

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

कर पायेगी और साथ जनता की कई बुनियादी आवश्यकतायें जैसे पीने के पानी की सप्लाई, आवास की व्यवस्था, सड़के आदि भी पूरी होंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्म निर्भरता पर उच्च प्राथमिकता वाले मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य के रूप में विशेष बल दिया गया है। किंतु हमें इस बारे में यह अवश्य ही स्पष्ट होना चाहिये कि आत्मनिर्भरता से हमारा क्या अभिप्राय है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह बहुत ही समृद्ध क्यों न हो, अपनी अर्थ व्यवस्था को अलग थलग नहीं कर सकता। सभी राष्ट्र एक दूसरे पर कुछ सीमा तक निर्भर होते हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवाओं और माल का भागीदार बनाना चाहिये और हमें निश्चय ही विदेशों से प्राप्त उत्तम औद्योगिक तकनीक और सामग्री को अपनाने में काफी समय लगेगा। किन्तु हम इन माल और सेवाओं के लिये अपने निर्यात के द्वारा अधिक अर्जन करके भुगतान करना चाहते हैं और हमें सदैव यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशों से आने वाली किसी भी वस्तु के साथ अन्य प्रभाव यहां न आ पायें। हमें उसके बारे में सदा सतर्क रहना होगा।

हमारे निर्यात में वृद्धि को मुख्यत: विकसित देशों की आर्थिक नीतियों पर और विशेषकर उनके द्वारा बाजार में पहुँचने के लिये उपयुक्त अवसरों की व्यवस्था करने पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: अन्य अल्प विकसीत देशों के साथ सहयोग करके हमें अपनी व्यापार संबंधी समस्याओं के लिये न्यायपूर्ण हल निकालने चाहिये। फिर भी अन्तत: निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये किये जाने वाले हमारे प्रयास तो हमारी अपनी अर्थ-व्यवस्था की क्षमता तथा लागत को कितना कम रख सकने की क्षमता के आधार पर ही निश्चित करने होंगे।

पूंजीपतियों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बारे में भी चर्चा हुई है। इस सम्बन्ध में हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है। हम इस प्रकार की किसी भी नीति से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो कुछ किया गया है, वह यह है कि जब इसके लिये कोई उचित माध्यम या उद्यमी न रहे और जब वे औद्योगिक क्षेत्र में न आयें, तो हमने अपने आपको संतुष्ट करके, कि वे शीघ्रता से उत्पादन की क्षमता को पूरा कर सकेंगे, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिये ऐसा विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि अन्यथा इसका अर्थ यह होता कि हम इन क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पायेंगे।

युद्ध विराम के लिये हमने जो एकपक्षीय पेशकश की थी, जिसके बारे में यहां चर्चा चली, उसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ा स्वागत हुआ है। हमारे देश की जनता ने भी इस एकपक्षीय युद्ध-विराम की प्रशंसा की है। इस मामले में, जनसंघ ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अन्तर्राष्ट्रीयता और जीवन के अप्रौढ़ तथा पुराने दर्शन पर आधारित है। सोवियत संघ भारत का मित्र है और हम आपकी मित्रता का आदर करते हैं। यदि कोई इस बात की कल्पना करता है कि पाकिस्तान के साथ या अन्य किसी मामले में, अथवा विदेश या घरेलू मामले में हमारे समझौते में यदि हम किसी तीसरे पक्ष के आदेशों का पालन करते हैं, तो यह निरर्थक बात होगी।

पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिये भारत सरकार ने कई बार कहा है और इच्छा प्रकट की है और अब भी हम यही चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता के साथ हमारा कभी भी कोई झगड़ा नहीं है। उनकी केवल यही गलती है कि उन्हें भारत के बारे में जो कुछ भी कहा गया

है, वह झूठ है और उसे उन्होंने सही मान लिया है और इस लिये शायद उन्हें इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है कि हम अपने पड़ौसी देश के साथ मैत्रीभाव रखने के इच्छुक हैं । मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत सहयोग और अच्छे पड़ौसी की भावना से यदि काम करेंगे तो एक दूसरे को शक्ति मिलेगी ।

आज देश में आशा और विश्वास की भावना व्याप्त है। देश के अंदर यही भावना है कि समस्याएं कितनी भी गम्भीर क्यों न हों हम उनका समाधान कर लेंगे । हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो हमारी सफलताओं को कम करने में और हमारी जनता के विश्वास तथा इच्छाओं का दमन करने में हमारे शत्रु के रूप में कार्य करते हैं । हम संकट के समय से गुजर रहे हैं। इस समय हम न तो युद्ध की स्थिति में हैं और न हीं पूर्णतया शांति की स्थिति में हैं । इस स्थिति में यही उचित होगा कि हम शांत और एक होकर रहें ।

आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की समस्या को हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ सुलझाना है जिसे हमने गतवर्ष की चुनौतियों में दिखाया था । जैसा कि राष्ट्रपतिजी ने कहा है कि यह वर्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है । वास्तव में यह एक बड़ी चुनौती है और इसका हमें कई स्तरों पर तथा कई मोर्चों पर सामना करना है। अब हमें चुनावों के बारे में भूल जाना चाहिये और इस कार्य के लिये एक साथ बैठकर और अधिक कार्य करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 18 तथा 20 से 30 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1 to 18 & 20 to 30 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 13 मार्च, 1972 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने को कृपा की है, उनके अत्याधिक आभारी हैं ।"

सभा में मत-विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided.

पक्ष में 227; विपक्ष में 47 ।

Ayes 227 ; Noes 47.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted,

भारतीय तांबा निगम (प्रबंध ग्रहण) विधेयक

INDIAN COPPER CORPORATION (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

इस्पात और खाद्य मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:--

"कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड का अर्जन होने तक, लोक हित में, उस उपक्रम के प्रबंध-ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस समय हमारे देश में सब धातुओं में से तांबा ही एक अति दुर्लभ अलौह धातु है, जिसका उद्योग तथा औद्योगिकी में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है । इसकी मांग तथा आंतरिक उत्पादन में लगभग एक लाख मीटरीक टन का अंतर है । यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय देश का एकमात्र तांबा उत्पादक एकक भारतीय तांबा निगम है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10,000 मीटरीक टन है ।

1971 के दौरान तांबे का उत्पादन लगभग 9600 मीटरीक टन रहा तथा भारतीय तांबा निगम के अर्जन किये जाने से पूर्व निर्धारित किया गया लक्ष्य 13,500 मीटरीक टन अथवा इससे कुछ अधिक था । हमें पूर्ण विश्वास है कि हम देश के समक्ष रखे गये लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे ।

भारतीय तांबा निगम में हाल में एक आधुनिक फ्लैश स्मैलटर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 16,500 मीटरीक टन है । गत कुछ महीनों में स्मैलटर में कुछ आरम्भिक त्रुटियां रही हैं । परन्तु वहां काम करने वाले तकनिशियनों को पूर्ण विश्वास है कि वे उन त्रुटियों को दूर कर देंगे और उस स्मैलटर का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा ।

प्रबंध ग्रहण का एक मुख्य कारण यह है कि इस समय भारतीय तांबा निगम जिस क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है, वह संभवत: देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक मात्रा में तांबा अयस्क पाया जाता है । हमारा उद्देश्य यह है कि तांबा निक्षेपों का अधिकतम उपयोग किया जाये। भारतीय तांबा निगम के पास पट्टे के अनुसार जितना क्षेत्र है तथा उसमें जितने तांबा निक्षेप हैं, उससे वह केवल 15 वर्ष अथवा इससे कुछ अधिक समय तक खनन कार्य कर सकता है । अत: कम्पनी के लिए हमें यह अनुरोध करना स्वाभाविक था कि उसके क्षेत्र के साथ मिले हुए खण्ड अर्थात सिद्धेश्वर खंड के खनन का पट्टा उन्हें दिया जाय । परन्तु हिन्दुस्तान कापर ने भी जो राखा परियोजना के अन्तर्गत वहां पहले ही खनन कार्य कर रहा है, उसी खंड के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि राखा परियोजना के भावी विकास के लिए उस क्षेत्र का बहुत महत्व है । इस क्षेत्र के समेकित विकास का केवल एक यही तरीका था कि इन दोनों को अर्थात भारतीय तांबा निगम और हिन्दुस्तान कापर को मिलाकर एक कर दिया जाये । इस पृष्ठभूमि में भारतीय तांबा निगम के अर्जन का निर्णय किया गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय तांबा निगम के अर्जन के परिणामस्वरूप हम तांबे के उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर सकेंगे ।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई ।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 4 मिनिट म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock).

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं भारतीय तांबा निगम के प्रबंध ग्रहण के बाद निश्चित किये गये लक्ष्यों के बारे में बोल रहा था। अब हमारा लक्ष्य 13,500 टन से 15,000 टन तांबे का उत्पादन है।

अब हम 1973 के लिये उसे 41,000 टन तक बढ़ाना चाहते हैं जिसमें से 15,000 टन खेतड़ी में और 26,000 टन घाट शिला में होगा।

इस दशक के अंत तक हम अपने तांबा के उत्पादन में 70 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार हम अपनी आवश्यकता का 10 प्रतिशत उत्पादन कर पाते हैं।

वर्ष 1972 में हमें 2000 टन तांबा संकेन्द्रक का आयात करना पड़ेगा। खेतड़ी में संकेन्द्रकों के उत्पादन द्वारा हमें उस के आयात की कतई आवश्यकता नहीं रहेगी।

वर्ष 1972 में हमें 8500 टन संकेन्द्रकों का घाटशिला में उपयोग के लिये आयात करना पड़ेगा।

इस उद्योग को अधिकार में लेने के हमारे उद्देश्य हैं, प्रथम उत्पादन बढाना, खनिज स्रोतों को बढावा देना तथा उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों का देश के तांबा कारखानों के लिये उपयोग करना तथा अंतिम एकाधिकार नियंत्रण को समाप्त करना। देश की सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगति के लिये इसे नियंत्रण में लेना और भी आवश्यक है।

कलकत्ता में जो चांदी परिशोधक है, वह चांदी के उत्पादन में कोई अधिक लाभप्रद नहीं है। हम वहां पर 6800 टन की क्षमता वाला तांबा परीशोधक बनाना चाहते हैं। जिस पर लगभग 60 लाख रुपए व्यय होंगे।

खेतड़ी, घाटशिला और राखा के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में अग्नि जुन्डाला में तांबे का उत्पादन किया जायेगा। हमें आशा है कि 1975 तक हम 1000 टन धातु संकेन्द्रक और 500 टन तांबे का उत्पादन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में मलनज खण्ड में देश का महत्वपूर्ण तांबा भण्डार है जो कि अनुमानतः 210 लाख टन है। जिसमें औसतन 1.16 प्रतिशत धातु है जहां हम खनन कार्य शीघ्र शुरू कर सकेंगे।

हमें आशा है कि अगामी छः मास में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से हम अपने निर्णयों को अंतिम रूप दे पायेंगे।

भारतीय तांबा निगम 1924 में 2,25,000 पौंड की प्रदत्त पूंजी से आरम्भ हुआ। इस निगम के मुख्य अंशधारी भारतीय बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाएं थीं। विदेशी अंश केवल

[श्री एस० मोहन कुमारमंगलद]

2.5 प्रतिशत था और भारतीय बीमा निगम का शेयर 18 प्रतिशत था। मुआवजा देने के सिद्धान्त अभी तय नहीं हुए हैं।

प्रबन्ध अधिकार को सरकार द्वारा अपने नियंत्रकाधीन लेने के बदले में 75000 रु० मासिक मुआवजा दिया जाएगा जो कि संविधान की धारा 31 के अनुरूप है। कम्पनी के लेखों से पता चलता है कि मैंनेजिंग एजेंसी को वार्षिक 15 लाख रुपए मिलता रहा है।

इसे अधिकार में लिये जाने का मुख्य कारण तांबे के क्षेत्र का तीव्रगति से विकास करना है। क्योंकि यह कार्यवाही अभी हाल की है, अतः इस निगम पर कितनी लागत आएगी, मैं यह नहीं कह सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार के पास उपलब्ध स्रोतों से तांबे का उत्पादन बहुत बढ़ सकेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गये प्रश्न के संबंध में मैं उनका ध्यान अध्यादेश की अंतिम धारा की ओर दिलाना चाहता हूं।

भारतीय तांबा निगम तथा हिन्दुस्थान कापर कारपोरेशन ने अलग-अलग परामर्श दाता नियुक्त किये जाने की सिफारिश की थी। हम नहीं चाहते कि बहुत से परामर्श दाता नियुक्त किये जाये। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इस प्रकार के कार्य शीघ्र करने आवश्यक होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ " कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड का अर्जन होने तक, लोक हित में, उस उपक्रम के प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि विदेशी पूंजी द्वारा नियंत्रित इस एकाधिकार व्यापार के राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह पहला कदम है।

अध्यादेश 10 मार्च को जारी किया गया था। जो विधेयक उसके स्थान पर लाया गया है उसमें केवल निगम के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई है जिसके लिये भारी रकम मुआवजे के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

यह बात समझ में नहीं आती कि इस संस्था का सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया। भविष्य में उन प्रबन्धकों का क्या कर्तव्य है, जिसके लिये उन्हें 75,000 रु० वार्षिक देने की व्यवस्था की गई है। संविधान में ऐसे मुआवजे की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीयकरण है तब हम इसे अधिकार में क्यों लेते हैं ?

इस संस्था ने भूतकाल में पर्याप्त लाभ कमाया है। क्या उनका कुछ अंश उद्योग के विकास पर लगाया गया है। मुआवजे को किस आधार पर तय किया गया है। हमारा मत है कि यह मुआवजा उचित नहीं है।

इस संस्था का प्रबन्ध कार्य अब हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को, जो एक सरकारी कम्पनी है और जिसका कार्य निराशा जनक है, दिया जा रहा है। खेतडी तांबा परियोजना जो हिन्दुस्तान कापर

लिमिटेड द्वारा 1962 में आरम्भ की गई थीं, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं । यह समय-समय पर स्थागित की जाती रही है । उसकी 1969–70 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें 1972 में उत्पादन आरम्भ करने की आशा है, जिसे बाद में 1973 और 1974 के लिये स्थगित किया गया । इस संस्था के अधिकारीगण विदेशों की यात्रा में अधिक रूचि रखते हैं । इसकी रिपोर्ट में कहा गया हैं कि प्रशिक्षित तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के अभाव के कारण उनके विस्तार कार्यक्रमों में कठिनाईयां आयी हैं । इस प्रकार के उपक्रमों के लिये हमें अपने ही देश में तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए । किसी कम्पनी को अधिकार में लेना ही पर्याप्त नहीं है ।

विधेयक का खण्ड 13 आपत्तिजनक है। इसमें अभिरक्षक को किसी भी कर्मचारी को एक महीने का नोटिस देकर उसकी नौकरी समाप्त करने की व्यवस्था की गई है । इस खण्ड में कोई भी मार्ग दर्शक सिद्धांत नहीं रखे गये । उन्हें पूर्णत: अभिरक्षक के अधिकार में रखा गया है । इस खण्ड को केवल अधिकारियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए । इसे श्रमिकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

खनन किये गये तांबे को समान रूप से वितरण के लिये एक नीति तैयार की जानी चाहिए । मेरे पास 1956–61 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। मंत्री महोदय कृपया बाद के आंकड़े दें । सरकार की अतीत की नीति के अनुसार गुजरात की उसकी आवश्यकता का 70 प्रतिशत, महाराष्ट्र को 28 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल को उसकी आवश्यकता का केवल 10 प्रतिशत प्राप्त होता था । यह प्राथमिकताएं किस आधार पर निर्धारित की गई हैं ? अधिक उत्पादन के साथ-साथ उसका राज्यों में वितरण भी समान होना चाहिए ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूँ। यह खान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है । वे लोग अच्छे तांबे को ले लेते थे और साधारण तांबे को छोड़ देते थे । ठेकों को समाप्त करने के लिये कोई मुआवजा नही दिया जाना चाहिए । सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाला अभिरक्षक तांबा खानों का विशेषज्ञ होना चाहिए ।

असंतुष्ट पक्षों को, जो उच्चतर न्यायालयों में जाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

खण्ड 13 के अन्तर्गत नोटिस केवल अधिकारियों को दिया जाना चाहिए न कि श्रमिकों को ।

भारतीय तांबा निगम की वर्तमान मशीनें पुरानी हो गई हैं। देश की तांबे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये आधुनिक भट्टी तथा उपक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए । श्रमिकों के क्वार्टरों में पानी की सुविधाएं दी जानी चाहियें तथा उनके कल्याण के लिये समुचित प्रबन्ध किये जाने चाहिये। मेरा सुझाव है कि अंग्रेजी तथा अन्य चाय बागान का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सुझाव विधेयक के सम्बन्ध में दें ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : सरकार को तुरन्त सभी ऐसी कम्पनियों के प्रबंध को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ । यह कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिए था ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या जब भी राष्ट्रीयकरण अपेक्षित हो, उसे दो चरणों में किया जायेगा। पहला चरण प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लिये जाने तक सीमित होगा तथा दूसरा चरण एक अनिश्चत अंतराल के पश्चात लागू किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत स्वामित्व को अधिकार में लिया जाएगा। मैं इस प्रकार की व्यवस्था में कोई औचित्य नहीं पाता। मुआवजे के रूप में 9 लाख रुपया वार्षिक देना अनुचित है। इस कम्पनी के पिछले लाभों को देखने से पता चलता है कि इसको कर देने के पश्चात 1½ करोड़ रुपया लाभ रहा। इससे भी बढ़कर युनाइटिड बैंक आफ इन्डिया द्वारा 14 लाख, स्टेट बैंक द्वारा 91.30 लाख, आई० सी० आई० सी०आई० द्वारा 49.90 लाख तथा आई० डी० बी० आई० द्वारा 1½ करोड़ रुपए के ऋण उन्हें दिये गये। मुआवजा देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इस कम्पनी के 26000 शेयर पांच छः प्रसिद्ध व्यक्तियों के पास है और यह लोग समुचित मुआवजे की आशा कर रहे हैं।

हमारे देश में तांबे की कुल आवश्यकता 1,28,000 टन है जबकि हमारा उत्पादन आवश्यकता से कहीं कम है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को तांबे की कमी को दूर करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

खेतड़ी के बारे में उनकी आशावादिता समझ में नहीं आती। खेतड़ी और घाटशिला मिल कर भी देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।

मुझे खुशी है कि कलकत्ता की चांदी परिष्करण कारखाने में तांबे का शोधन कार्य आरम्भ किया जाएगा।

भारतीय तांबा कम्पनी परियोजना के कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। उन्होंने कम्पनी के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिये बड़े संघर्ष किये हैं। उनकी आवास स्थिति बहुत खराब है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात नया निगम इनके लिये तत्काल कुछ न कुछ अवश्य करेगा।

सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि भारतीय तांबा कम्पनी के वर्तमान कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी सुरक्षा तथा रोजगार की स्थिति को पूर्णतया ध्यान में रखा जायेगा। मेरे माननीय मित्र श्री सोखी जी ने कहा है कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने खंड 13 का समर्थन भी किया है, जिसके अन्तर्गत अभिरक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह जिसे चाहे, निकाल सकता है। हमें इन अभिरक्षकों में अधिक विश्वास नहीं है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें किसी राष्ट्रीय संस्थान से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया हो?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में नियुक्त किये गये अभिरक्षक ने कहा है कि कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय में काम करने वाले 59 कर्मचारियों को, जो तांबा निगम में प्रतिबन्ध एजेन्टों के कार्यालय में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में रोजगार पर नहीं लगाया जायेगा। कर्मचारियों ने अभिरक्षक से बातचीत की है और वह 25 कर्मचारियों को वापस लेने पर सहमत हो गये हैं। मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों में उत्साह की भावना जागृत होनी चाहिये, उनको हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। ठीक है कि यह विधेयक कुछ देर से लाया गया है फिर भी यह एक अच्छा विधेयक है ।

अमरीका सरकार द्वारा योजनेतर सहायता बन्द किये जाने से, जिसमें अलौह धातुएं भी शामिल हैं, अब यह आवश्यक हो गया है कि देश में जितना भी तांबा मौजूद है, उसे समुचित ढंग से निकाला जाये तथा उपयोग में लाया जाये ।

भारतीय तांबा निगम एक गैर-सरकारी कम्पनी है जिसे 1924 में लन्दन में निगमित किया गया था । इसके पास 26 वर्ग मील क्षेत्र का खनन पट्टा था । परन्तु गत 48 वर्षों में यह कम्पनी केवल 6 वर्गमील का ही विकास कर पायी और भारत में तांबे का आयात किया जाता रहा। कम्पनी की आय दर लगायी गयी पूंजी पर 45 प्रतिशत आती थी यह दर भारत ही क्या, विश्व में सबसे ऊँची है। आय की दर को देखते हुये इसका तत्काल अर्जन आवश्यक हो गया ।

जो लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं, वे पूरे नहीं होते । हमें संशोधनों के पूर्ण उपयोग के लिये प्रयास करने चाहिये ।

वर्ष 1973–74 तक तांबे की मांग 1,28,000 मीटरिक टन हो जायेगी । मंत्री महोदय के अनुमानुसार खेतड़ी तथा घाटशिला का कुल उत्पादन 41,000 मीटरिक टन होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उत्पादन मांग से बहुत अधिक कम है । भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में 34 करोड़ मीटरिक टन तांबे के निक्षेप हैं । देश के औद्योगिक विकास के लिये के इन निक्षेपों को निकालने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिये ।

हम तांबे के आयात पर 50 से 60 करोड़ रुपये की राशि व्यय करते हैं। मुझे आशा है कि दस वर्ष में हम इस मामले में विदेशों पर निर्भर रहने की मात्रा को कम कर सकेंगे ।

जो व्यक्ति इस कम्पनी में 20,30 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि इस खान में सोने के निक्षेप थे । मुझे विश्वास है कि कम्पनी इन निक्षेपों के विषय में सरकार को नहीं बतायेगी। उन्होंने इन निक्षेपों को निकाल भी लिया होगा। पुराने कर्मचारियों ने बताया है कि कम्पनी ने इन निक्षेपों को निकाल लिया है और यह बात सरकार को नहीं बतायी है । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम्पनी के मुआवजे के प्रश्न पर विचार करते समय हमें इस तथ्य को सामने रखना चाहिये कि कम्पनी ने किस प्रकार वर्षों तक शोषण किया है।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : जैसा कि बताया जा चुका है भारतीय तांबा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण केवल कम्पनी के प्रबन्ध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये अपितु निजी क्षेत्र के सम्पूर्ण उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य देश में तांबे के सीमित संसाधनों का विकास करना है । इस समय देश में तांबे का उत्पादन 9600 मीटरिक टन होता है । यह देश की आवश्यकता तथा मांग की तुलना में बहुत कम है। चौथी पंचवर्षीय योजना में तांबे के उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान उत्पादन से बढाकर 47,000 मीटरिक टन करना था। परन्तु प्रतिवेदन में बताया गया है कि लक्ष्य पूरा नहीं होगा ।

[श्री जी० विश्वनाथन]

प्राक्कलन के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1973–74 में देश में तांबे की माँग, 1,28,000 मीटरिक टन हो जायेगी। सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुआवजे के प्रश्न पर विचार करते समय मंत्री महोदय को यह ध्यान में रखना चाहिये कि कम्पनी को उसका मूल पूंजी-निवेश ही वापस किया जाये।

विधेयक के खंड 13 में अभिरक्षकों को बहुत अधिक शक्तियां दी गयी हैं। मंत्री महोदय को इन शक्तियों को कम करना चाहिये।

सामान्यतया जब किसी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा लाल फीताशाही का साम्राज्य हो जाता है। मेरा तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रमों के मूल्य को कम करना नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वय ही कहा है कि सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी कार्यकुशलता प्रमाणित करके औचित्य स्थापित करना चाहिये। सार्वजनिक उपक्रमों में सर्वत्र ही अनुपयुक्त तथा बेकार क्षमता पायी जाती है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स तथा सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स में 90 प्रतिशत बेकार क्षमता है, इस्पात तथा खान मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले इस्पात संयत्रों में 40 प्रतिशत बेकार क्षमता है। भारी उपकरण मशीनरी में 30 प्रतिशत तथा उर्वरक एककों में 20 प्रतिशत बेकार क्षमता है। सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों के सभापतियों तथा प्रबन्ध निदेशकों को पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहियें। सरकारी क्षेत्र के दैनिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। वास्तव में दक्ष तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही सभापति अथवा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों की अपेक्षा तकनीकि व्यक्तियों को ही वरीयता दी जानी चाहिये। जो व्यक्ति सार्वजनिक उपक्रमों में निष्ठा रखते हों, उन्हें ही सभापति अथवा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये तभी हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण से जनता को लाभ होता है।

श्री पी० के० घोष (रांची) : यह विधेयक तांबे के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा आयात को कम करने के लिये लाया गया है। यह विधेयक देश में तांबे का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में इस क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान तथा प्रबन्ध अधिकारियों की कमी है। सरकार भारतीय तांबा कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रबन्ध अधिकारियों की सेवायें ले सकती है।

अर्जन कार्य अध्यादेश के माध्यम से ही किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि यदि विधेयक संसद के समक्ष लाया जाता है तो इसमें बहुत समय लगता है और इस अवधि में कम्पनी के मालिक लेखों में गड़बड़ी कर देते हैं, मूल्यवान मशीनें निकाल लेते हैं। कोककर कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय भी ऐसा ही हुआ। राष्ट्रीयकरण किये जाने की सूचना खान मालकों को मिल गयी और उन्होंने वहां से कीमती मशीनें निकाल लीं। अत: अर्जन कार्य अध्यादेश के माध्यम से ही किया जाना चाहिये।

बहुत शीघ्र ही इस कम्पनी का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इस कम्पती ने बहुत लाभ कमाया है अतः सरकार को इसे कोई मुआवजा नहीं देना चाहिये । जिन सदस्यों ने मुआवजा न देने की बात कही है मैं उनका समर्थन करता हूँ ।

बताया गया है कि देश में तांबे की बहुत कमी है । यह कम्पनी लाभ कमाने के लिये कार्य कर रही थी अतः ऊँची श्रेणी के ताम्बा अयस्क का ही उपयोग करती थी अन्य श्रेणीयों के अयस्क का नहीं । अब अन्य श्रेणी के अयस्कों का भी उपयोग किया जाना चाहिये । ऐसा करने से मंत्री महोदय द्वारा निश्चित किया गया लक्ष्य पूरा हो सकेगा ।

इसके लिये यह देखना आवश्यक है कि प्रबन्धक कुशल व्यक्ति होने चाहिये, खेतड़ी परियोजना के प्रबन्धकों जैसे नहीं । प्रबन्धकों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । यदि प्रबन्धक ठीक कार्य नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिये, उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति नहीं की जानी चाहिये ।

देश में तांबे की कमी को देखते हुये जिन नयी खानों का पता चला है, उनसे तांबा निकालने का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये ।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : No body would object to the ordinance or the Bill relating to takeover if the nationalized institutions are efficiently managed and run in public interest. The philosophy and the policy adopted so far by the Government in this regard create certain doubts about the success of the move. I do not mean to support private undertakings but the position of other public undertakings of the country reveals the dificiencies of the Government working. Had we tried to exploit the large copper deposits if the country there could have been no shortage and no need of any import. May I know, why a proper utilization of copper deposits is not being made ?

We have large copper deposits in Mahakaushal and Balaghat in Madhya Pradesh. The copper available only in Madhya Pradesh can meet the requirements of the nation. So far my knowledge goes the copper available in Madhya Pradesh is of better quality than what is available in Bihar or Andhra Pradesh. In view of the increasing requirements of the country, it is necessary that the copper mines are properly developed.

As regards compensation to I. C. C. the Government should make such arrangements so that the large amount of Rs. 75,000 per month is not paid for long time to the company.

Will the hon. Minister be pleased to state the reasons for delay in realizing the target of Khetri project ? The disturbances in Khetri project have resulted in loss of crores of Rupees. May I know the person or persons responsible for the loss and the action taken against them ?

What are the reasons which have delayed exploitation of resources in Madhya Pradesh? Have we got efficient technicians and scientists to find out the copper deposits and to utilike them for the economic development of the country ? So far as I know we do not have such technicians and scientists, therefore, we should try first to have them available in the Country. Besides this, the Corporation should not prove a undertaking running in loss like other public undertakings.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : यह विधेयक देश के पुनर्निर्माण की दिशा में एक कदम है । मैं इसका स्वागत करता हूँ । केवल राष्ट्रीयकरण से ही काम नहीं चलेगा । सार्वजनिक उपक्रमों

[श्री कार्तिक उरांव]

में कार्य करने वाले व्यक्ति जबतक अपने को भारतीय नहीं समझेंगे, जब कोई नयी चीज उपस्थित करना चाहेंगे तब तक राष्ट्रीयकरण से क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये जा सकते।

पता नहीं विधेयक में मुआवजे की व्यवस्था किस लिये की गई है, यह भूमि के लिये है अथवा ताम्बा अयस्क के लिये अथवा उपकरणों के लिये। भूमि हमारी है तांबा अयस्क हमारा है। उपकरणों का मुआवजा उल्लेख करके दिया जा सकता है। हमें सीधे इसका अर्जन कर लेना चाहिये, मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी देय हो वह दिया जाना चाहिये। हम 75,000 रुपये प्रतिमास क्यों देते रहे! यदि मुआवजा देना आवश्यक समझा ही जाये तो वहां जितना कार्य हो उसका केवल 10 प्रतिशत दिया जाना चाहिये।

मशीनों तथा अन्य दूसरी चीजों से मानव का अधिक महत्व है। अतः जो व्यक्ति इस कार्य को करने वाले हों, वे चरित्रवान होने चाहिये तथा प्रांतीयता, भाई भतीजावाद, पक्षपात और जातीयता से ऊपर होने चाहियें। अन्यथा हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। जो लोग पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद में लिप्त हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिये। जब तक हम इन समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में परिर्वतन नहीं लाते, तब तक कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। हमारा प्रशासन ऐसा होना चाहिये जिससे सामान्य आदमी को यह पता चल जाये कि हमने क्या परिवर्तन किये हैं तथा क्या परिवर्तन करने वाले हैं।

परियोजना के लिये तकनीशनों की व्यवस्था की जानी चाहिये। जिस देश का शीघ्र औद्योगिक विकास आवश्यक है वहां हमें केवल प्रशासन पर ही अधिक बल नहीं देना चाहिये। खनन इंजीनीयर तथा तकनीकी व्यक्ति ऐसी परियोजनाओं के अच्छे प्रशासक प्रमाणित हो सकते हैं। उन्हें अच्छे प्रशासक बनने के लिये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। प्रशासक इंजीनीयर अथवा तकनीकी व्यक्ति नहीं हो सकता। राजनैतिक विचारों से प्रभावित होकर हमें सभापतियों तथा अभिरक्षकों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिये। उनकी नियुक्ति गुणों के आधार पर होनी चाहिये।

भारत सरकार को सरकारी क्षेत्र सेवा आयोग की आवश्यकता है और केवल उन्हीं के द्वारा नियुक्तियां की जानी चाहियें और विभिन्न उद्यमों में भेजा जाना चाहिये। क्यों कि प्रत्येक अध्यक्ष का नियुक्ति करने का अपना ढंग होता है। इस प्रकार की बातें समाप्त होनी चाहिये। यदि एक आदमी खाद्य निगम में असफल सिद्ध हो जाता है तो उसे इस्पात निगम में भेज दिया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिये। उसे प्रत्येक स्थान पर असफल ही समझना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में केवल यही एक समस्या नहीं है। भारतीय तांबा निगम के कर्मचारियों की समस्या है और उनके विषय में कहा गया है कि कम्पनी के सभी कर्मचारियों को निगम में रोजगार दिया जाना चाहिये। आदिवासियों ने राखा खानों में अयस्क का खनन करने के लिये अपनी भूमि दी है और उन्हें कोई भूमि नहीं दी गई। यदि सरकार भी इसे ले लेती है तो इसके पश्चात भी उन्हें कोई अन्तर नहीं पड़ता। स्थानीय लोगों को पहला अवसर दिया जाना चाहिये अन्यथा सभी ओर क्षोभ और क्रोध का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Inspite of the fact that we have to import copper in large quantity, the Government have not taken concrete steps towards production of copper in the country. Had the Khetri Copper Project from which we has great expectations, worked properly and to the schedule, one fourth of our requirements of copper would have been met and the loss of foreign exchange to the tune of Rs. 16 lakhs per day would have been avoided.

This project has been under consideration of Government ever since 1962. Many changes have came and the cost of this project has now increased from Rs. 24 crores to Rs. 115 crores. Government should explain what went wrong with this project and what action has been taken against those responsible for the lapses.

The country should be taken into confidence. True, that some progress has been made in regard to this project; but an assurance should be given by the Government that the work on the Khetri project would proceed according to the schedule.

In Khetri, not only copper is available but the valuable metal like uranium is likely to be found there. This project should not, therefore, be neglected. There is also the likelihood of copper deposits being found at Dariba in Alwar district. Dariba mines should also be exploited. The work that is going on there should be speeded up.

In order to improve the condition of public sector undertakings, an All India service should be constituted to man these undertakings.

While providing employment at Khetri, local people should be given preference so that backwardness of that region may be removed.

According to Government, this Company has earned huge profits therefore, nominal amount should be paid as compensation to this company for the take over.

Shri Shiva Chandika (Banda) : The Indian Copper Corporation, has so far been under foreign management. The owners have exploited the labour in their monopoly business.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair.]

The Britishers committed atrocities on the labour. Consequently, the workers went on strike. Once, a strike continued for six long months. Therefore, no compensation should be paid to the foreign owners. If compensation has to be paid, it should be paid to the workers for the loss they have suffered during the strikes.

I agree with the hon. Minister that manganese and kainite mines which were acquired by the corporation will also be nationalised. Big bungling is going on there with the connivance of a number of small people who have been given the lease of these mines. A good deal of the metal is divested to these small lease-holders as a result of which the corporation runs in loss while these small lease-holders become millioners. This loss may now have to borne by the Government. Therefore, the small lease holders' malpractice must be stopped.

Some time back, Shri L. N. Mishra promised to provide a 100 bed Hospital at Mosawami mines, but that has not been provided. Attention should be paid to this.

Local people should be given preference in employment. The tribals who live there, have the first claim to employment.

[Shri Shiva Chandika]

The schools with Bengali and Oriya medium which have been functioning for the last 50 or 60 years should not be closed after take-over.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : I welcome this Bill. Our past experience is not satisfactory. Inspite of there being copper and zinc mines in Rajasthan, we have to import these metals. The hon. Minister has hoped that we would improve the position of production by 1974; it is a matter of satisfaction. Apart from that, local people have not been given employment.

The management of public sector undertakings should be improved.

Government should find out how much zinc is available there. Rajasthan is rich in mineral wealth. A large production of this wealth lies unexplored. Government should see that optimum use is made of this wealth and the country is benefited from it.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I welcome this Bill. It is a concrete step in right direction.

Copper deposit should be exploited to the maximum advantage of the country. Recently, Government has moved in the direction of taking over management of some mines and industries. But it is not only copper, but all the mines *viz.* manganise, iron, coal etc. are not being managed properly. The mineral wealth of a nation is a valuable asset which should be properly utilised. Efforts made for the use of low-grade ore are welcome. Wastage of low grade copper as also of coal, iron ore, are manganese and other minerals should be checked as early as possible. When Asian Refractory was taken over, it was stated that it would resume work within six months. But a long period has elapsed and yet the refractory has not started working.

It is wrong to say that a new avenue of loss is opened if any unit is taken over by the Government.

The only way to make good this loss is to nationalize these industries as early as possible.

One thing should always be kept in view that while nationalizing the industries Government should keep in view the interest of labourers and they should be given their due so that they are satisfied.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस विधेयक को एक मत से समर्थन देने पर मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

मुआवजे के बारे में शंका उठाई गई है। इस विधेयक में तांबा निगम को हाथ में लेने और मुआवजे की राशि का उल्लेख किया गया है। यह शंका भी उटाई गई कि क्या हमारी सदैव यह नीति रही है कि पहले प्रबन्ध को हाथ में लिया जाये और बाद में राष्ट्रीयकरण किया जाये। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी यह नीति नहीं है पर कभी कभी ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।

कोकिंग कोयला खानों की संख्या अत्यधिक होने के कारण हम उनकी आस्तियों के और मुआवजे के सम्बन्ध में सही-सही अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

जहां तक तांबा निगम को हाथ में लेने और मुआवजे देने की बात है, उसके सम्बन्ध में हम संविधान के 24 वें संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे हम अनुच्छेद 31 (ग) का लाभ उठा सकें। दूसरे हम संशोधित संविधान के आधार पर मुआवजे सम्बन्धी सिद्धान्तों को भी निश्चित करना चाहते हैं। इसलिए यदि समय हुआ, तो हम इसी सत्र में तांबा निगम और कोकिंग कोयला खान दोनों के सम्बन्ध में विधेयक पेश करेंगे।

माननीय सदस्यों ने प्रबन्ध मुआवजे के रूप में 75,000 रुपये दिये जाने की आलोचना की है, पर हमने यह राशि वैज्ञानिक राय लेने के बाद तय की है। ऐसा न करने पर वैधानिक कठिनाइयाँ खड़ी होने का डर था और फिर वह अनुच्छेद 31 (ख) का उल्लंघन होता। श्री सोमनाथ चटर्जी का यह कहना भी सही नहीं है कि हम सार्वजनिक राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग मुआवजे के रूप में दे रहे हैं क्योंकि यह मुआवजा निगम के अपने राजस्व में से दिया जा रहा है।

हिन्दुस्तान कापर्स पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गये हैं। यह कहा गया है कि इसके प्रबन्धक विदेशों में दौरा लगाने के अतिरिक्त किसी अन्य बात में दिलचस्पी नहीं रखते। वहां करोड़ों का गबन हुआ है, वहां प्रबन्ध अकुशल है आदि। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बतादूं कि सभी विदेशी दौरे संस्था के हित में किये गये हैं व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। गत दो वर्षों में 18 तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया जो अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत बाहर गये। अध्यक्ष, महा प्रबन्धक और कुछ अन्य उच्च अधिकारी भी विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न देशों के निमंत्रण पर जम्बिया, अमरीका और कनाडा गये। जैसा कि कहा गया है कि हमारे यहाँ तकनीकी जानकारी की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने लोगों को उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी जानकारी के लिए विदेश भेजना ही पड़ेगा। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों पर कोई भी आरोप लगाने से पहले हमें वास्तविकता की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिये अन्यथा उनके विरुद्ध कुछ भी कहना उनके प्रति अन्याय होगा।

खेतड़ी परियोजना में विलम्ब हुआ है पर यह पूरे प्रबन्ध का आमूल चल परिवर्तन किये जाने के कारण हुआ। इन नये लोगों ने अप्रैल, 1971 तक कार्यक्रम संभाला। ये सभी तकनीकी और कुशल अधिकारी हैं तथा यहां आर्थिक हानि उठा कर राष्ट्र हित के लिए आए हैं। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को जो भवन फरवरी, 1971 में बना कर देना था वह अब उसे मई, 1972 में ही बना कर देगा। फिर उन्होंने समय पर कार्रवाई कर के उस विलम्ब को 15 महीने से घटा कर 9 महीने कर दिया है। अतः यदि हम प्रबन्धकों के इस नए दल को पूरा सहयोग देंगे और उन पर निराधार आरोप नहीं लगाएंगे तो वह हमें बहुत कुछ कर दिखायेंगे।

जहाँ तक खन्ड 13 का प्रश्न है, उसका उपयोग कर्मचारियों के अहित के लिए नहीं किया जायेगा। उसका उपयोग जहाँ तक सम्भव होगा वहाँ तक एक सीमा से आगे नहीं किया जायेगा।

मुख्यालय के 25 कर्मचारियों के बारे में यह कठिनाई है कि वे वास्तव में निगम का कार्य नहीं कर रहे हैं। वे हिस्सेदारों के सम्बन्ध में प्रबन्ध एजेन्टों के लिए कार्य करने में लगे हैं। अतः इस सम्बन्ध मे मैं कोई भी आश्वासन देने में असमर्थ हूँ कि भारतीय तांबा निगम में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को स्थायी रूप से निगम में खपा लिया जायेगा।

[श्री एस० मोहन कुमारमंगलम]

इस समय भारतीय तांबा निगम पिछले कुछ वर्षों से 9000 मीटरिक टन तांबें का उत्पादन कर रहा है, जिसमें से 6000 मीटरिक टन सप्लाई और निपटान निदेशालय को वित्त मंत्रालय के मूल्य लेखा अधिकारी द्वारा तय की गई दर पर दिया जाता है और शेष का 2000 मीटरिक टन निगम के बेलन मिलों को तथा 1000 मीटरिक टन खुले बाजार में बिकता है। पर 1971 से खुले बाजार में बिक्री निपटान निदेशालय द्वारा किया जाना तय किया गया। पर यह उत्पादन देश की आवश्यकता का केवल 10 प्रतिशत है। हमें आशा है कि 1975 तक हम 40 से 50 प्रतिशत तक तांबे का उत्पादन करना शुरू कर देंगे और 1980 तक हम इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो जायेंगे। इस ओर हम हर सम्भव ध्यान दे रहे हैं

अमरीकी सहायता मिलना बन्द होने के बाद हम लेटिन अमरीकी देशों से तांबा निर्यात करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अभी इस संम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता। आशा है कुछ समझौता हो जायेगा। जहाँ तक रोजगार देने का प्रश्न है 500 रुपये से कम वेतन वाले पदों पर नियुक्ति करने में स्थानीय और स्थानीय रोजगार दफ्तरों में दर्ज लोगों को प्राथमिकता देते हैं। पर जहाँ तक उच्च तकनीकी पदों का प्रश्न हैं इन्हें हम अखिल भारतीय पद के रूप में मानते हैं और योग्यतम व्यक्ति को उन पर लेते हैं। यह अनुभव किया गया है कि युवा प्रबन्धकों ने अच्छा काम किया है और आशा है भविष्य में वे हमें निराश नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तांबा निगम लिमिटेड का अर्जन होने तक, लोक हित में, उस उपक्रम के प्रबन्ध-ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव पारित हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। क्योंकि खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव पारित हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड 4

Shri Ramavatar Shastri (Patna) ; My amendment is regarding Clause 4, sub-clause 6. In this sub-clause it has been said that :

"The Custodian shall receive from the funds of the undertaking of the company such remuneration as the Central Government may fix".

Here the danger is that of ones payment and not of under payment. Therefore, I want the word 'such' after 'company' should be removed and after 'remuneration' in place of "As the Central Government may fix" this should be added—

"of rupees one thousand and five hundred per month only."

By this amendment I want to fix a ceiling on the remuneration because generally these custodians are paid more.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यह कहा गया है कि अभिरक्षक को अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। खण्ड 4 की उपधारा (6) में उल्लिखित अभिरक्षक वह है, जिसका उल्लेख खण्ड 2 की उपधारा (ग) में किया गया है। अतः कोई भी अधिक वेतन प्राप्त कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। यह पारिश्रमिक केवल सरकारी कम्पनियों में दिया जाता है और हिंदुस्तान तांबा निगम में भी दिया जाता है। अब यह कितना होगा यह हमारी विवेक शक्ति पर छोड़ दिया जाये।

संशोधन संख्या मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 1 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड–6 (दण्ड)

Shri Ramavatar Shastri : A provision of penalties has been made in the Bill in the event of removing or keeping any thing or the property of the company. A penalty of Rs. 10,000 has been provided. This should be raised to Rs. 50,000 because only then one will think before doing any mischief. If it had been both imprisonment and penalty, then I would have not brought this amendment.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में यह संशोधन करना आवश्यक नहीं है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाये।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment no. 2 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 से 15, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 to 15, Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) में कम्पनी की जो परिभाषा दी गई है इसे सुस्पष्ट बनाने के लिए खण्ड 5 के उपखण्ड (2) के अन्तर्गत भी यही उपबन्ध किया जाना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri : I welcome this Bill as it envisages to increase the production of copper in this country. The provision for compensation of Rs. 75,000/- for the take over of its management is on the high side. Could this not be fixed at Rs. 5000/-?

Mr. Chairman ; He has replaced to it.

Shri Ramavatar Shastri : His reply is not satisfactory. He has quoted an Article of the Constitution as well. There is no justification in paying such a huge amount of compensation.

He has rightly said that all the officers are not bad and that the Government needs their cooperation. Good officers should be given same incentive and the commit ones should be dealt with severly.

Mr. Chairman, Sir, we ought to be cautious that no body may steel the costly machines at the mines.

If same amount of the employees is due in the shape of Provident Fund or otherwise, from Indian copper corporation, the Government should see that the amount is given back to the employees at an early date.

We should engage talented persons available in other states but the preference should be given to local talented persons.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भारतीय तांबा निगम के कलकत्ता कार्यालय में जो 25 श्रमिक कार्य करते थे उन्हें राष्ट्रीयकृत कम्पनी में नौकरी पर रखा जाना चाहिए।

मुआवजे के रूप में 75,000 रुपये का दिया जाना यह प्रकट करता है कि सरकार पूंजीपतियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। आम बीमा के राष्ट्रीयकरण का 28 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन के दौरान उस वर्ग की सेवाओं का पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें। परन्तु मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि सरकार सदा ही एकाधिकारियों को प्रसन्न करने की चेष्टा करती रही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मोरैना) : सभा में गण पूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गण पूर्ति की घंटी बज रही है, अब गण पूर्ति हो गई है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : कहा गया है कि 75,000 रु० की क्षतिपूर्ति ज्यादा है। पांच हजार रुपया क्यों न दिया जाये ? यदि कम रकम दी जायेगी तो धारा 31 (2) के अनुसार कहा जाएगा कि यह धन भ्रामक है। पच्चीसवें संशोधन विधेयक के अधिनियम बनने से पूर्व ऐसा करना अवैधानिक होगा।

मैं श्री बसु से कहना चाहता हूं कि निर्वाचन के लिये 75,000 रुपये का महत्व कुछ नहीं है।

कोई भी मशीनें इधर उधर नहीं की गई है।

जहां तक कर्मचारियों की जमा पूंजी का प्रश्न है हमारे पास इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। भारतीय तांबा निगम की कार्य-क्षमता तथा रुपए के लेन-देन के मामले संतोषजनक रहे है। तो भी यदि कर्मचारियों का कुछ भी अहित होने की संभावना हो, तो हम उस पर ध्यान देंगे।

श्री शिव चन्दिका : पिछले बीस वर्ष में उन्होंने 8000 श्रमिकों की छटनी की। क्या उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं पुराने मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि उद्योग के विस्तार के सम्बन्ध में हमें श्रमिकों की आवश्यकता हुई, तो उन्हें सेवा में लेने की चेष्टा की जायेगी।

श्री बसु ने जो 25 कर्मचारियों का उल्लेख किया है, अभिरक्षक तथा सरकार इस ओर ध्यान देगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक
CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारत द्वारा बंगला देश को दिये गये वचन को तत्काल पूरा करने के लिये भारत की आकस्मिक निधि को 1 फरवरी, 1972 से 30 अप्रैल 1972 तक की अवधि में अस्थायी रूप से 30 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये करने के प्रयोजन के लिये भारतीय आकस्मिकता निधि, 1950 में और संशोधन करने का इस विधेयक में प्रस्ताव है।

वर्तमान 30 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय के तथा शेष 28 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय के अधिकार में हैं।

अधिनियम के अनुसार नई सेवाओं के लिये आकस्मिक खर्चे इस निधि से पूरे किये जाते हैं। अग्रिम राशि की स्वीकृति के बाद संसद के सत्र में तत्काल ही अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त कर इस निधि में यह अग्रिम राशियां जमा कर दी जाती हैं। तथापि निधि से ली गई राशि के अनुदान की जिससे इस राशि को लेने के प्रयोजन के बारे में भी संकेत किया जाता है, सूचना संसद को दी जाती है।

बंगला देश की स्वतंत्रता के बाद वहां की सरकार को अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिये काफी कठिन कार्य करना पड रहा है। भारत सरकार को उनकी शीघ्र काफी सहायता करनी पड़ी है। अतएव आकस्मिक निधि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार राशि को 30 करोड़ से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर रही है। आपने निर्वाचन से एक मास पूर्व अध्यादेश जारी किया और अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिये इतनी बड़ी राशि का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि इस राशि का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक उद्देश्यों से उपयोग में लाया गया है। यह सदन क्रिसमस तक सत्र में था और आप इसकी मंजूरी ले सकते थे। परन्तु ऐसा करने की अपेक्षा सरकार ने चुनाव से एक मास पूर्व अध्यादेश जारी किया।

विचारवान सदस्यों को इस विधेयक का विरोध करना चाहिये।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : Our country, our Government and our army have acted very well in the freedom struggle of Bangla Desh. We have signed a treaty of peace, friendship and cooperation for 25 years with that country.

Large scale genacide had been commited in Bangla Desh. A committee is conducting enquiry in this matter. Officers of C. I. A. were also involved in that. Yahya regime had prepared a list of progressive persons there who wanted freedom of Bangla Desh.

War criminals responsible for the genacide should be tried. The system of refugee relief stamps should be discontinued. Instead the Government can realize moneys from Tatas and Birlas.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The parties like C. P. M. have not as yet learnt a lesson from their defeat in recent elections. The Congress party has been fighting elections with the small moneys collected from the people. It is for that reasons that Congress could get such a vast majority.

Dr. Kailas (South Bombay) ; I support this Bill. The Government permulgated an ordinance for raising money from the cosolidated fund of India. Some Members get up and say that this amount was needed to be spent for party work. I have only to say that this has nothing to do with party activities.

Shri Nathuram Mirdha (Nagaur) : The hon. Minister has said that it became necessary for raising the corpus of Contingency Fund from Rs. 30 crores to Rs. 100 crores in order to give financial help to Bangla Desh. The allegation of the C. P. M. member that this amount was spent on elections is baseless. The people of Bengal have rejected their party in the recent elections. Why is he acting in such a way which may lose his respect in the house.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। परन्तु जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है, वह उचित नहीं है। संसद के इस सत्र के आरम्भ होने से पूर्व अध्यादेश जारी किया गया, जोकि उचित नहीं है और प्रजातन्त्री प्रक्रियाओं के विरुद्ध है। क्या सरकार बंगला देश को दी जाने वाली सहायता का पूर्वानुमान नहीं कर सकती थी ? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि गत वर्ष बंगला देश से आये शरणार्थियों की सहायता के लिये लगाये गये करों से लगभग 500 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। सरकार ने यह भी दावा किया है कि सभी शरणार्थी बंगला देश लौट चुके हैं। यदि ऐसी बात है तो इन करों से प्राप्त होने वाली राशि का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि बंगला देश की स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप शासक दल को राज्य विधान सभाओं के चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। श्री जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुए आवाडी कांग्रेस अधिवेशन से ही समाजवादी समाज की स्थापना के नारे लगाये जाते रहे हैं। क्या उसकी स्थापना देश में हो गई है ? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत उसकी रचनात्मक नीतियों के कारण मिला है, मैं ऐसा नहीं समझता ।

बंगला देश की स्वतंत्रता याह्या खां द्वारा वहां की जनता के साथ किये गये दुर्व्यवहार के कारण ही सम्भव हुई।

सरकार को अध्यादेश जारी करने की इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिये ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarized translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

श्री ज्योतिर्मय बसु : योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। अतएव उस पर कल चर्चा होनी चाहिए, आज नहीं।

सभापति महोदय : यदि सभा की इस बारे में सहमति है, तो इस कार्यवाही के पश्चात मैं सभा स्थागित कर दूंगा।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The victory that is being hailed by the entire world is being looked with doubts by some members. In the name of Nexalites and other political parties, they began to smuggle modern or costly arms from Bangla Desh. They now want that India would not help Bangla Desh financially.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सर्वथा आधारहीन बात है और राजनीतिक उद्देश्य से कही जा रही है।

Shri Shashi Bhushan : In the previous days, it was said that the people of Bangla Desh are hungry and would have to seek help from U. S. A. Today U. S. A. and China desire that India should not help that country and Bangla Desh should request for help from them. The democracy has won in Bangla Desh.

C. I. A. and many other countries tried that we should lose elections. Bangla Desh should not be deviated from India's friendship and handed over to the enemies.

Our friendship with Bangla Desh is not because of the fact that we provide financial aid to it but it is due to the fact that we share each other's views and have common objectives With these words, I support the Bill and also congratulate the Minister for such a step.

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्हयाल) : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय द्वारा प्रख्यापित भारतीय आकस्मिक निधि (संशोधन) अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है। बंगला देश की स्थिति को देखते हुए आकस्मिक निधि में तत्काल वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। मुझे समझ नहीं आता कि विरोधी दल के सदस्यों को इसमें क्या आपत्ति है और वह क्यों इस विधेयक के इतने खिलाफ हैं।

हमें अत्यधिक कठिनाई की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। यद्यपि बंगला देश को पश्चिम पाकिस्तानी तानाशाहों के अत्याचार से आजाद करा दिया गया है फिर भी बंग बन्धुओं की कठिनाईयां अभी दूर नहीं हुई हैं। हमारे देश तथा बंगला देश के बीच दुर्भावना पैदा करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र रचा जा रहा है। दोनों देशों की जनता में दुर्भावना एवं असंतोष फैलाने के लिए अमरीका एवं चीन के एजेंट सक्रिय हैं।

हाल ही में बंगला देश के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की हमारे विदेश व्यापार मंत्री से कुछ लाभदायक बातचीत हुई है। दोनों देशों में परस्पर व्यापार चालू किया जायेगा। इससे दोनों देशों को लाभ होगा।

आकस्मिकता निधि बंगला देश के निवासियों के पुनर्वास के लिए सहायक सिद्ध होगी। इस बारे में सरकार की आलोचना करना उचित नहीं है। हमें इस प्रकार के भाषण नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे बंगला देश की जनता की भावनाओं को चोट पहुँच सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार बंगला देश के निवासियों को आवश्यक सहायता जल्द से जल्द भेजेगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता था किन्तु मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने मुझे इस विषय पर दो चार शब्द बोलने के लिए एक प्रकार से मुझे मजबूर कर दिया है। कोई व्यक्ति अथवा कोई दल बंगला देश को हर संभव सहायता देने के विरुद्ध नहीं है। परन्तु सहायता देने के अनेक तरीके हैं। मामला संसद के समक्ष रखा जाता है और वहां उसे स्वीकृति मिल जाती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बंगला देश को सहायता देने के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश की क्या जरूरत थी। अध्यादेश केवल उसी समय प्रख्यापित किया जाता है जबकि सरकार किसी कार्य को अतिगुप्त रखना चाहती है जैसेकि विमुद्रीकरण अवमूल्यन, कम्पनियों का अर्जन तथा अन्य गुप्त सौदे जो यह सरकार दिन रात करती रहती है। परन्तु किसी पड़ौसी मित्र देश को सहायता देने के लिए अध्यादेश जारी करना एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। और वह भी चुनाव से तथा संसद के सत्र से एक महीने पहले। अब तक सरकार 30 करोड़ रुपये की निधि से संतुष्ट थी। परन्तु चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने के बाद उसने इस राशि को बढ़ाकर अकस्मात 100 करोड़ रुपये कर दिया है। क्योंकि आकस्मिकता निधि का अर्थ ही वह निधि है जिसकी अचानक जरूरत के समय प्रयोग किया जा सके और संसद के समक्ष यह कह दिया जाए कि संसद की स्वीकृति इसलिए नहीं ली जा सकी, क्योंकि संसद का सत्र नहीं हो रहा था। मैं नहीं जानता कि नागरवाला के पकड़े गए 60 लाख रुपये आकस्मिकता निधि में से हैं अथवा किसी अन्य छिपाई हुई निधि से हैं। इतना धन आया कहाँ से, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है।

हम में से कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आकस्मिकता निधि का प्रयोग उन ही उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया है। अतः मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूँ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : विधेयक का उद्देश्य आकस्मिकता निधि की राशि को 30 करोड़ रुपये से बढाकर 100 करोड़ रुपये करना है। इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं।

संसद बारह महीने सत्रावधि में नहीं रहती और सरकार को अत्यावश्यक कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी समय धन की आवश्यकता पड़ जाती है। बंगला देश की मुक्ति उपरान्त उन्हें सहायता की सक्त जरूरत थी और सरकार संसद का अधिवेशन होने तक एक महीने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी और इस लिए आकस्मिकता निधि का 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था।

विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि बंगला देश की सहायता करना उस समय बहुत जरूरी था। यह कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा चुनाओं में वोट लेने के लिये किया गया। बंगला देश आन्दोलन शुरू होने से पहले हमें लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में भी बहुमत प्राप्त हुआ था। अतः ऐसे आरोप सर्वथा निराधार हैं। आकस्मिकता निधि की व्यवस्था किसी भी संगठन, स्वायत निगम अथवा संयुक्त कम्पनी के लिए आवश्यक है। और सरकार जो इतने बड़े देश का शासन चला रही है, उसके लिए आकस्मिकता निधि की आवश्यकता और भी बढ़ जाती

[श्री वाई० एस० महाजन]

है ताकि जब संसद का सत्र न भी हो रहा हो, तो वह उस निधि में से आवश्यकता पड़ने पर कुछ धन निकाल सके। इस मामले में जरूरत सख्त थी, इस लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। अतः यह कहना कि यह धन प्रधान मंत्री की बैठकों या चुनाव उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया गया, सर्वथा गलत है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री के० आर० गणेश : सभापति महोदय, मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाए गए आरोपों पर अत्यधिक चकित हूँ। वह एक गंभीर राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं। गंभीर शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि यदि हम उन के दल की नीतियों का विरोध करते हैं तो उनकी राजनीति इस प्रकार भी है कि वह अंतिम दम तक प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक शक्तियों के सहारे उसकी खातिर लड़ते रहते हैं। ऐसी राजनीति उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती, बल्कि इससे उलटा राष्ट्र का अहित होता है। श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाया गया यह आरोप कि आकस्मिकता निधी का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है और इस निधि से धन निकाल कर चुनाव लड़ा गया, सर्वथा निराधार है, मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा थोथा आरोप तो कोई दुश्मन ही लगा सकता है। इस आरोप की भर्त्सना सदन द्वारा की जानी चाहिए। वह हमारे साथ किसी नीति, किसी विचारधारा के बल पर लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। लगता है कि चुनावों में अपनी पराजय के कारण वह इतने क्षुब्ध हो गए हैं कि अपना विवेक खो बैठे हैं। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि क्या बात कहनी चाहिए और क्या नहीं। यह कहना सरासर अन्याय है कि आकस्मिकता निधि की राशि केवल इस कारण बढ़ाई गई क्योंकि उन दिनों हम चुनाव के दौर से गुजर रहे थे। किसी भी माननीय सदस्य से ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारा उनके दल से कई बातों में मतभेद हो सकता है। किन्तु हम ऐसे निराधार आरोप लगाना कभी पसन्द नहीं करेंगे।

जहाँ तक माननीय सदस्य, श्री पीलू मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों का सम्बन्ध हैं, मैं यह कहूँगा कि यह सदन जानता है कि संविधान के अनुच्छेद 267 (1) और 283 (1) के अन्तर्गत 1950 में भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम बनाया गया। इसके अन्तर्गत आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर धन लिया जा सके तथा भुगतान भी किया जा सके। 1970 के आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत इसकी राशि 30 करोड़ रुपये रखी गई है जिसमें से 2 करोड़ रुपये रेलवे मंत्रालय को तथा बाकी 28 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को दिए जाते हैं ताकि आपात के समय वह सुरक्षा, डाक तार विभाग आदि के कार्यों पर उसे व्यय कर सके।

कुछ सदस्यों ने पूछा है कि यह धनराशि अध्यादेश जारी करके क्यों जुटाई गई है। पाकिस्तान के साथ युद्ध तो संसद की सत्रावधि के दौरान ही समाप्त हो गया था। उसके बाद जब बंगला देश आज़ाद हुआ तो सरकार को बंगला देश की आवश्यकताओं का पता लगा। इसके लिए एक समिति भी नियुक्त की गई, जिसने बंगला देश को जरूरत पड़ने वाली धनराशि का अनुमान लगाया। बंगला देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। उनकी आवश्यकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना

आवश्यक था। इसलिए 17–2–1972 तथा 4–3–1972 को बीस-बीस करोड़ रुपये की राशि दो बार बंगला देश को देने के लिए स्वीकृत की गई और यह जरूरत इतनी सख्त थी कि संसद का सत्र प्रारंभ होने तक इसके लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करना पड़ा।

भारतीय आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में ली गई धनराशि द्वारा पूरे किए गए व्यय की लेखा परीक्षा होगी। इसके साथ ही भारतीय आकस्मिकता निधि से निकाली गई अग्रिम धनराशियों की अनुपूरक मांगों को, जिन्हें सभा ने पारित किया है पूरा कर लिया गया है।

बंगला देश के संकट का अस्थायी रूप से सामना करने के लिए भारतीय आकस्मिकता निधि से धन 30 अप्रैल 1972 तक निकाला जाएगा और 30 अप्रैल के बाद भारतीय आकस्मिकता निधि की राशि 30 करोड़ रुपये, जीतनी कि संसद द्वारा स्वीकार की गई है, कर दी जाएगी। अतः यह आरोप, निधि से निकाले गए धन का दुरूपयोग हुआ है, पूर्णतया निराधार है।

द्रविड़ मुनेत्र कडगम के कुछ सदस्यों का कहना है कि आकस्मिकता निधि की राशि बिना सोचे समझे बढ़ा दी गई है। इस राशि का बंगला देश की खातिर लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

हम चुनावों में केवल बंगला देश की स्थिति के कारण ही नहीं जीते। मैं तो यह कहूँगा कि पिछले चुनावों में उनके दल की जीत का भी कारण एक समान राष्ट्रीय विचारधारा थी और वह सब उसी विचारधारा के अंग थे। अब भी उनका दल सरकार के कार्य चालन में सहायता दे रहा है अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वह थोड़ी नम्रता से काम लें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : इस विधेयक के खंडों पर कोई संशोधन नहीं है। अतः खंड, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र को एक साथ लिया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 से 3 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्यों तथा मंत्री महोदय ने मेरे दल की निन्दा की है, जबकि हमारे दल ने स्वयं 27 मार्च को कलकत्ता में यह प्रस्ताव पास किया था कि केन्द्र सरकार से बंगला देश को मान्यता देने का अनुरोध किया जाए तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाए । सरकार ने मान्यता देते देते 9 महीने लगा दिए और इस बीच बंगला देश के 90 लाख व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाँ दीं और इसके लिए हम सरकार से जवाबदेही चाहते हैं ।

हमारी सरकार किस ढंग से काम कर रही है, इसका पता देश में होने वाली धोखा धड़ी के व्यापार से आसानी से लग सकता है । विश्व के किसी भी सरकारी क्षेत्र एकक में से मात्र टेलोफोन करने पर 60 लाख रुपये की राशि निकाल कर नहीं दीं जाती । किन्तु हमारे देश में ऐसी बात भी संभव है । नागरवाला द्वारा निकाले गए 60 लाख रुपये का किस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है इस पर सरकार मौन है ।

हम किसी भी पड़ौसी देश को सहायता देने के विरुद्ध नहीं है किन्तु लोगों के धन का दुरूपयोग हो, यह हम कभी सहन नहीं कर सकते ।

अतं में मैं यह कहूँगा कि मंत्री महोदय को मेरे दल की निन्दा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : There can be no two opinions about the need to help Bangla Desh to maximum possible extent. The difference of opinion in this matter relates only to the manner in which the corpus of the Fund has been raised. Instead of issuing the Ordinance, the Government should have got a Bill passed earlier.

The non-Bengali Mohamedens in Bangla Desh should be allowed to stay there as citizens. Those who want them to be brought to India are following a wrong policy as they are likely to cause communal troubles here.

श्री के० आर० गणेश : मैं यह पहले बता चुका हूँ की अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया गया । इसके बिना हमारे पास कोई और चारा नहीं था । जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, मैं यही कहूँगा कि वे सर्वथा निराधार हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 5 **अप्रैल,** 1972/16 **चैत्र** 1894 **(शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on wednesday, April 5, 1972/ Chaitra 16, 1894 (Saka).

NDPI-495-6-72